राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का २७वां दिवस [संख्या १८

सोमवार, दिनांक २१ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, विद्युत, समाज कल्याण व खनिज, विभाग]

प्रश्न संख्या ५२८

श्री अध्यक्ष : श्री मनरूपराम परिहार ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५२९

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामकरणसिंह ।

बारानी भूमि पर कुंआ बनवाने पर लगान बढ़ाया जाना

५३०. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) काश्तकार की वह भूमि जिस पर वह कुंआ नहीं बनाता है, क्या सरकार उससे बारानी का कम लगान लेती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उस ही भूमि पर अब काश्तकार के अपने पैसे से कुंआ बना लेने पर सरकार लगान बढ़ा देती है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी नहीं ।

(ख) दफ़ा १५९ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार अगर काश्तकार किसी गैर आबपाश जमीन में कुंआ बना कर आबपाश करता है तो २० साल तक नहीं लगान लगाया जाता है जो कि वो कुंवे से आबपाश न होने की सूरत में देता ।

श्री रामकरणसिंह : एक साल के बाद किस आधार पर लगता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून के आधार पर।

(हंसी)

श्री रामकरणसिंह : यह कानून किस आधार पर बनाया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह विधान सभा ने बनाया है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

लूणकरणसर से कालू तथा कालू से सरदारशहर तक सड़क

५३१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या लूणकरणसर कस्बा से कालू तक व कालू से सरदारशहर तक सड़क निर्माण हेतु जनता की मांग चल रही है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(२) क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) ऐसी मांग की इस विभाग को जानकारी नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

(२) निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

श्री भीमसेन : क्या सरकार की पॉलिसी ' ' तहसील हैड क्वार्टर को दूसरी तहसील हैड क्वार्टर से सड़क द्वारा सम्बन्धित किया जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसे प्रपोज़ल्स हैं, मगर ये सब बातें फाइनेन्स पर डिपेन्ड करती हैं ।

श्री भीमसेन : यह निवेदन था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन जब सड़क योजना बनाई जाय तो इस पर भी विचार किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : थर्ड फाइव इयर प्लान में विचार किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

तहसील छीपा बड़ौद में स्कूल भवनों का निर्माण

५३२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील छीपाबड़ौद, जिला कोटा में कितने स्कूल भवनों का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है।

(२) हाई स्कूल भवन छीपा बड़ौद, मिडिल स्कूल, सारथल तथा मिडिल स्कूल, हरनावदा में जनता की कितनी धनराशि अभी तक व्यय हो चुकी है तथा सरकार ने कितनी सहायता अभी तक इन्हें दी है ?

(३) क्या सरकार इन अधूरे स्कूल भवनों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिये समुचित आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है ?

Page No.3

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(४) क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद हाई स्कूल भवन के बिल्स पास करने में निर्माण विभाग में इसलिए देर लगती है कि इस भवन का निर्माण पंचायत के द्वारा हो रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) तहसील छीपा बड़ौद में ५ स्कूल भवनों का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है :–

(१) हायर सेकन्डरी स्कूल, छीपा बड़ौद,

(२) पाठशाला भवन, सारथल,

(३) हरनावदा शाहजी,

(४) गोरधनपुरा,

(५) ढोलम,

(२) (अ) हाई स्कूल भवन, छीपा-बड़ौद हेतु सेठ भूरामल जी ने ३४,००० रु० की कीमत का भवन जन सहयोग के रूप में दिया है। इसी भवन को पूर्ण कराने हेतु सरकार ने विकास योजना के अन्तर्गत विकास विभाग से १०,००० रु० तथा शिक्षा विभाग से ३५,००० रु० कुल ४५,००० रु० सहायता के रूप में दिये हैं अर्थात् जनसहयोग से ११,००० रु० सरकार ने अधिक दिया है ।

(ब) मिडिल स्कूल, सारथल हेतु जनता से २,५०१.७५ रु० जन सहयोग के रूप में प्राप्त हुए हैं एवं सरकार ने भी २,५०० रु० की राशि इस भवन हेतु स्वीकृत की है ।

(स) मिडिल स्कूल, हरनावदा हेतु जन सहयोग से ६,०३४.८१ प्राप्त हुए हैं एवं सरकार ने भी ६,००० रु० की सहायता दी है ।

(३) इन समस्त अधूरे स्कूल भवनों हेतु पंचायत समिति एवं सरकार द्वारा पुनः धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है एवं आशा है कि शीघ्र ही पूर्ण हो जायेंगे ।

(४) छीपा बड़ौद हाई स्कूल का जितना काम किया गया है उतना पेमेन्ट कर दिया गया है और उसके पेमेन्ट में कोई देर नहीं लगी है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि सारथल में जो मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग पर जनता ने सात हज़ार रुपये खर्च किये हैं ? आपने २५ सौ बताये हैं । मैंने स्वयं ने देखा है कि सात-आठ कमरे बनाये हैं, वे जनता के पैसे से बन चुके हैं। मैं समझता हूं कि २५०० रु० में सात-आठ कमरे नहीं बन सकते । केवल उन पर पट्टी डालना बाकी है । आपकी तरफ से इतनी रकम मिल जाती है तो वह पूरा हो सकता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सारथल के लिए पूछ रहे हैं ? मैंने सूचना दे दी है, जो वास्तव में खर्च हुआ है । आपकी सूचना है कि सात हजार लगा दिये हैं, यह गलत सूचना दे रहे हैं । मैं सूचना दे रहा हूं वह सही है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : सात–आठ कमरे २० बाई २२ के बन चुके हैं, वे २,५०० रु० में नहीं बन सकते ।

Page No.4

श्री दामोदरलाल व्यास : बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, लेकिन बने हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

भीलवाड़ा में डाली गई बिजली की लाइन

५३३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) प्रधान मंत्री के भीलवाड़ा आगमन पर बिजली की लाइन डालने हेतु कितना कोपर वायर कितनी लाइन डालने के लिये इश्यू किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि एस्टीमेटेड लाइन पूरी नहीं डाली गई ? यदि नहीं, तो कितनी लाइन का लगाया जाना अपेक्षित था तथा कितनी डाली गई ?

(३) क्या यह सही है कि बचा हुआ कोपर वायर वापिस जमा नहीं कराया गया बल्कि बेच दिया गया ? यदि हां, तो इसका कौन जिम्मेवार है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) २६,३७० पौंड कोपर वायर इश्यू किया गया था ।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह: जो एस्टीमेट बनाया गया, था लाइन डालने के लिए, वह एस्टीमेट कितना था ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो सरकार किस आधार पर कह रही है कि एस्टीमेट के आधार पर कोपर वायर पूरा पूरा इस्तेमाल कर लिया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : २६,३७० पौंड कोपर वायर इश्यू हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : वह कितनी लाइन डालने के लिए हुआ था ?

श्री हरिश्चन्द्र : २६,३७० पौंड कोपर वायर इश्यू हुआ है, वह लगाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : वहां कितनी लाइन लगनी थी और कितनी लगाई ?

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक लगाने का प्रश्न है, वह म्यूनिसिपल बोर्ड का काम है, जहां लगाया होगा, वह लगा होगा। हमारे यहां से २६,३७० पौंड कोपर वायर इश्यू हुआ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कोपर वायर म्यूनिसिपल बोर्ड ने पॉवर हाउस को दिया था लाइन डालने के लिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री अध्यक्ष: श्री मूलचन्द डागा।

जोधपुर डिविजन में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता

५३४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(श्री मूलचन्द डागा)

जोधपुर डिविजन में समाज कल्याण विभाग ने किन किन संस्थाओं को सन् १९५८ व १९५९ में आर्थिक सहायता के रूप में कितनी कितनी धनराशि दी तथा यह सहायता किन नियमों के आधार पर दी गई ? संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखें ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जिन संस्थाओं को सहायता दी गई, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले पिछड़े वर्ग के लिये छात्रावासों को मान्यता व सहायता प्रदान करने सम्बन्धी नियमों के आधार पर दी गई, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

जयपुर जिले में नम्बरदारों को दी जानेवाली छूट

५३५. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) जिला जयपुर में नम्बरदारों को छूट (पचोतरा) कब दिया गया ?

(२) तहसील कोटपुतली के नम्बरदारों को ठिकाने के समय किस हिसाब से छूट (पचोतरा) मिलता था तथा अब किस हिसाब से दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या अब भी उनकी छूट (पचोतरा) जारी है ?

(४) क्या सरकार नम्बरदारी का नया कानून लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सन् १९५८–५९ में ।

(२) ठिकाने के समय ४ प्रतिशत छूट दी जाती थी तथा अब ५ पाई प्रति रुपया छूट दी गई है । सूची रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) जी हां ।

(४) नम्बरदारी का नया नियम "दी राजस्थान लैंड रेवेन्यू (लम्बरदारी) नियम, १९५८" २५ जनवरी से ही लागू है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

मंत्रीगणों के दौरा करने के नियम

५३६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :-

(क) मंत्रीगण दौरा कब कब और किन किन हालतों में कर सकते हैं ? क्या इसके लिये भी कोई नियम बने हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सत्य है कि मंत्रीगण दौरा करते समय समय की पाबन्दी का कतई ध्यान नहीं रखते, जिसका जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

Page No.6

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) मंत्रीगण दौरा जब सरकारी काम के लिए आवश्यकता होती है, कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है और न इसकी आवश्यकता है।

(ख) यथासम्भव समय की पाबन्दी की जाती है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : पन्क्चुअलिटी के लिए कोई रेकॉर्ड रखा जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी ?

श्री पी० के० चौधरी : फंक्शन के लिए टाइम देकर कितने टाइम बाद पहुँचते हैं, उसका रेकॉर्ड रखा जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मिनिस्टर के पहुंचने और जाने का हर जगह रिकॉर्ड रखा जाता है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : दौरे की आवश्यकता का निर्णय कौन करता है ? मंत्री ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : किसी सार्वजनिक संस्था का उद्घाटन करने के लिए बुलाते हैं उस समय मंत्री लोग दौरा करते हैं वह सरकारी स्तर पर करते हैं या व्यक्तिगत हैसियत पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, बिल्कुल सरकारी स्तर पर।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या यह सही है कि जो मंत्री जिस डिपार्टमेंट के इन्चार्ज नहीं हैं उसके पर्पजेज़ के लिए टूर करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : कोई मंत्री या उप मंत्री, जिस डिपार्टमेंट के इन्चार्ज नहीं, उसके पर्पजेज़ के लिए टूर प्रोग्राम भेज सकते हैं या टूर करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, भेज सकते हैं, टूर कर सकते हैं, क्योंकि जोइन्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर का काम देख सकता है, लेकिन एक्शन लेने के लिए सम्बन्धित मंत्री को लिखता है। वैसे उसे पूरा अधिकार है कि वह उसका काम देख सकता है, टूर पर जा सकता है।

श्री श्रीभानसिंह: जोइन्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपने यह कहा, क्या यह जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी प्रेक्टिस में भी है ? डिप्टी मिनिस्टर, जो स्पेसिफ़िकली इन्चार्ज नहीं है, वह उस पर्पज के लिए, इस चीज़ के लिए क्या टूर प्रोग्राम इश्यू करके टूर कर सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर पर तरीका यह है कि जो मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर जाता है तो जनता की हर एक आवश्यकता को, जनता से सम्बन्ध रखने वाले हर डिपार्टमेंट को देखता है, उसकी जानकारी करता है और जानकारी उसको करनी चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : जो मंत्री लोग जाते हैं वे अगर कोई सरकारी कार्यक्रम की

(श्री मुरलीधर व्यास)

दृष्टि से, कोई बिल्डिंग या सार्वजनिक स्थान के बनाने के निमित्त उसका उद्घाटन करने जायं, उसका शिलान्यास करने जायं तो ठीक

बात है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर उद्घाटन करने के लिए जाते हैं, तो भी क्या सरकारी स्तर पर जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : व्यक्तिगत उद्घाटन नहीं होता है, उसके लिए नहीं जाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : विवाह शादी पर जाते हैं तो सरकारी दौरे पर जाते हैं या व्यक्तिगत दौरे पर जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां केवल विवाह शादी में या केवल सामाजिक कार्य के लिये जाते हैं तो व्यक्तिगत दौरे पर जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सामाजिक कार्य के लिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा मतलब है खुद के सोशियल रिलेशन्स की वजह से ही यदि जाते हैं तो निजी दौरे पर जाते हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : त्यौहारों पर जाते हैं तो सरकारी दौरे पर जाते हैं या निजी दौरे पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो अच्छी तरह से जानते हैं।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सच है कि त्यौहार वगैरह पर जाना होता है तो सरकारी कार्य भी निकाल लेते हैं और सरकारी दौरे पर जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, सरकारी काम के लिये जाते हैं तो दौरा सरकारी माना जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : निकालते हैं क्या ऐसा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी स्पेसिफिक् केस का पूछेंगे तो पता चलेगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकता।

श्री मूलचन्द डागा : क्या नेहरूजी ने ऐसा कहा है कि मन्त्रियों को दौरे पर जाने से पहले आचार-संहिता बना लेनी चाहिये कि इस इस कार्य के लिये फलां फलां जगह जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दौरे पर जाते हैं तो बराबर प्रोग्राम बनाते हैं और उसकी सूचना पहले देते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : मंत्री महोदय अपने कार्यक्रम के अनुसार नियमित पहुँचें, क्या इस बात का खयाल रखा जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियमित ही पहुँचते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : किसी डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस का कोई फंक्शन हो तो उस मौके पर मन्त्रीगण जाते हैं, कई बार सारी की सारी केबिनेट जाती है तो सरकारी कार्यक्रम निकाल कर जाती है, क्या यह सही है ?

Page No.8

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी कोई बात नहीं है। केबिनेट किसी ऑर्गेनाइजेशन के कार्य के लिये जाती है तो उनका खुद का व्यक्तिगत दौरा होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : गंगानगर में कॉन्फ्रेन्स हुई थी तो वहां सारी केबिनेट गई थी, वहां मन्त्रीगण सरकारी हैसियत से गये या व्यक्तिगत दौरे पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग से प्रश्न पूछिये तो अलग अलग मन्त्रियों के टी० ए० बिल देख कर बता दूँगा कि किस किस कार्य के लिये वे गये ?

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि मन्त्री महोदयों ने अपने अपने स्थानों पर अधिक सरकारी दौरे किये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह बिल्कुल सही है, चैक कर लिया जाय। बिल्कुल सही है किसी मंत्री का उठा कर देख लें।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आप हमेशा कहते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

ढाणी शालिग्रामपुरा, तहसील लालसोट में आगजनी से ग्रसित लोगों को सहायता

५३७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ढाणी शालिग्रामपुरा, तहसील लालसोट में दिसम्बर में हुई आगजनी में कितने रुपयों का नुकसान हुआ ?

(२) क्या यह सच है कि तहसील ने जांच करके यह नुकसान करीब ८ हज़ार का बताया है ?

(३) इन लोगों को पंचायत समिति लालसोट ने कितनी मदद दी ?

(४) सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार उनके मकानों, पशुओं के लिये चारे और खाने के लिये अन्न का क्या प्रबन्ध किया गया ?

(५) क्या वह सहायता सरकार द्वारा डीडवाना, तहसील लालसोट में तथा रामगढ़ पचवारा व नीजरण में पंचायत समिति द्वारा दी गई सहायता के मुकाबले पर्याप्त है ? यदि हां, तो इन सब के आंकड़े क्या हैं ?

(६) इस विषय में जिला परिषद् तथा जिलाधीश महोदय ने क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) ग्राम शालिग्रामपुरा में दि० १७-१२-५६ को कुल ७,७४० रु० ५० न० पै० का नुकसान हुआ है।

(२) हां, यह सच है तहसील ने जांच करके नुकसान ७,७४०||) रु. का बताया है।

(३) पंचायत समिति द्वारा २००) रु० सहायतार्थ दिये गये हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(४) कुछ प्रबन्ध नहीं किया गया क्योंकि सूचना देर से प्राप्त हुई।

(५) नहीं, यह सहायता डीडवाना तहसील लालसोट में तथा रामगढ़ पचवारा व नीजरण में दी गई सहायता के मुकाबले में अपर्याप्त है। डीडवाना में सरकार द्वारा १,१०७) रु० कुल नुकसान ६,६७८ रु० का छठा भाग दिया गया। नीजरण में १०० रु० कुल नुकसान ३१५ रु० होने पर दिये गये (पंचायत समिति द्वारा) तथा रामगढ़ पचवारा में ४००) रु० के नुकसान के ऐवज में १६० रु० की सहायता दी गई।

(६) जिला परिषद् से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची): यह सहायता किस आधार पर दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके नियम बने हुए हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): सहायता के योग्य इन व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता क्यों नहीं दी जाती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं कि यह फायर फंड से इमीजियेट रिलीफ़ दिया जाता है, जो मदद के मोहताज हों उन्हीं लोगों को दिया जाता है। पर्याप्त है या अपर्याप्त, यह प्रश्न नहीं। नियमों के अनुसार जितने फंड्स डिस्पोज़ल पर होते हैं उनके अनुसार दिया जाता है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : नियमों के अनुसार सहायता नहीं दी गई है, पार्टीबाजी के लिहाज़ से अपनी अपनी पार्टी के आदमी समझ कर यह सहायता दी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पार्टीबाजी का मुझे पता नहीं। पंचायत समिति ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पंचायत समिति में पार्टीबाजी है कि नहीं, मुझे पता नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल यह है कि कुछ को सहायता दी गई है और कुछ को नहीं दी गई है, तो पार्टीबाजी के आधार पर ही सहायता दी है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अच्छा हो कि आप स्ट्रेट क्वेश्चन पूछें कि इन इन को नहीं मिली है; तो मैं जानकारी करके बता दूँ कि ४०—५० के मकान जले, फलां को दी गई, फलां को मदद नहीं दी गई; तो हर एक केस के मेरिट्स के आधार पर कि किसके पास कितनी सम्पत्ति है, किसकी माली हालत अच्छी है, किसकी बुरी है, जिनकी माली हालत अच्छी है उनको नहीं दी गई जिनकी माली हालत बिल्कुल खराब है, इन सारे फैक्ट्स को मैं तभी आपके सामने रख सकता हूं जब कि आप कोई स्ट्रेट क्वेश्चन पूछें।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की सहायता देने में कोई समय की सीमा निर्धारित है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जल्दी से जल्दी दी जानी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसा देखा जाता है कि पंचायत समितियों से लिखा-पढ़ी करने में महीने-महीने, दो-दो महीने की देर हो जाती है ...

Page No.10

श्री दामोदरलाल व्यास : देर का कोई सवाल नहीं, वगैर किसी सैंक्शन के मौके पर सैंक्शन दे सकते हैं इस प्रकार के नियम हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : अक्सर यह देखा जाता है, जामसर में झौंपड़ी जली तो साल भर बाद में रिलीफ दिया गया । तो आप यह कैसे कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिलना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह रहा हूँ कि जल्दी मदद मिलनी चाहिये अगर कहीं देरी हुई है तो वह गलती है । आप बतायें, उनको ताकीद की जायेगी ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कहीं पर आगजनी होती है तो उसमें महीना, दो-दो महीना निकल जाता है और कोई मदद नहीं दी जाती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, यह गलत है । फौरी तौर पर जिले का बड़े से बड़ा ऑफिसर फौरन मौके पर जाता है और एक, दो दिन की भी देर नहीं होती है, कोई इत्तला ही नहीं मिले तो वह बात दूसरी है ।

डॉ० चन्द्रकला : जैसे जयपुर शहर में कई बार आग लगी है....

श्री दामोदरलाल व्यास : जयपुर शहर में जब जब आग लगी है फौरन मिनिस्टर्स मौके पर पहुंचते हैं । मैं खुद मौके पर पहुँचता हूं, आप नहीं पहुंचती हैं ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी ।

प्रश्न संख्या ५३८

अजमेर में सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण

५३८. श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई) : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Whe ther Government has taken final decision regarding the shifting of certain Government Offices to Ajmer in accordance with the recommendations of the Capital Enquiry Committee ?

(b) What Government Offices or other establishments have already been shifted to Ajmer in connection with the implementations of these recommendations ?

(c) When the Government proposes to shift back the Offices of the Commissioner, Jaipur Division, the D. I. G., Jaipur Division and all other ivisional Offices of the Jaipur Division now located at Ajmer which had only tentatively been shifted to Ajmer on the merger of Ajmer in Rajasthan pending the enquiry and report of the Capital Enquiry Committee and the decision thereon ?

(d) Is the Government aware that as a result of the above mentioned ivisional Offices continuing at Ajmer instead of at a far more centrally situated place as Jaipur, a

(श्री बी० एन० जोशी)

great deal of hardship and inconvenience is being caused to the residents of Jaipur Division in general, besides avoidable loss of time, money and human effort in Government work ?

(अनुपस्थित–सम्बन्धित सदस्य महोदय की लिखित प्रार्थना पर स्थगित)

प्रश्न संख्या ५३६

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

पाली जिले में हरिजन व पिछड़ी जाति की बस्तियां

५४०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पाली जिले में कोई हरिजन या पिछड़ी जातियों की बस्ती के निर्माण की स्वीकृति गत वर्ष या इस वर्ष में हुई है ?

(ख) यदि हां, तो कहां २ और किन २ जातियों के लिए कब २ इन बस्तियों की स्वीकृति समाज कल्याण विभाग द्वारा तथा कब २ सरकार द्वारा प्रदान की गई ?

(ग) ऐसी प्रत्येक बस्ती कितनी २ लागत की है तथा इन पर कब कब कार्य चालू करवा दिया गया और अब तक किस २ बस्ती में क्या २ कार्य हो गया है ?

(घ) अनुमान के अनुसार इन बस्तियों में कितने २ परिवारों को रहना था और अब कितने २ परिवार रह रहे हैं ? यदि कम हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (क) जी हां ।

(ख) गांव नाना, जिला पाली के भील परिवारों की सिर्फ एक बस्ती के लिये दिनांक ३-३-५६ को समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । इसके अतिरिक्त फुटकर मकानों के लिए जो सहायता दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) यह बस्ती ५८,००० रु० की लागत की है । इस बस्ती के बनाने का कार्य अप्रेल, १९५९ में चालू किया गया था और केवल कुछ नींवें खुदवाई का ही कार्य हुआ है । इस समय मकान बनाने का कार्य बन्द है ।

(घ) अनुमान के अनुसार इस बस्ती में ५० परिवारों को बसना है । परन्तु मकान नहीं बन पाये इसलिये परिवारों के रहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : इस बस्ती की सरकार द्वारा कब सेंक्शन दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया न कि ३-३-५९ को ।

Page No.12

श्री भैरोंसिंह : समाज कल्याण विभाग द्वारा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : इसमें क्या सरकार की स्वीकृति है, ऐसा समझा जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : समाज कल्याण विभाग भी तो सरकार का है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न है कि डिपार्टमेंट ने पहले एग्जीक्यूट करके सेंक्शन देकर समाज कल्याण विभाग को भेजा या पहले समाज कल्याण विभाग ने सेंक्शन दे दी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने यह पूछा था कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सेंक्शन कब हुई, तो इसका जवाब दिया गया कि ३-३-५६ को।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न देखिये, दोनों चीजें अलग पूछी हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा कब सेंक्शन हुई और सरकार द्वारा कब आज्ञा प्रदान की गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया न कि ३-३-५६ को समाज कल्याण विभाग द्वारा है तो सरकार द्वारा इससे पहले हो गई होगी।

श्री भैरोंसिंह : हो गया होगा ऐसा नहीं, निश्चित कहिये कि कौनसी तारीख को सरकार की स्वीकृति हो गई थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार से स्वीकृति इससे पहले हो चुकी थी; तारीख तो मेरे पास नहीं पर यह निश्चय है कि ३-३-५६ को समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके पास स्वीकृति पहुँच गई।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि ३-३-५६ को समाज कल्याण विभाग ने स्वीकृति दी उससे पहले सरकार ने स्वीकृति दे दी थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वैसे मेरे पास तारीख नहीं है पर ऐसा मान कर चलना चाहिये कि दे दी होगी।

श्री भैरोंसिंह : भवन निर्माण का काम बन्द क्यों पड़ा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वहां पर भील पहले बसने के लिये तैयार थे, फिर उन्होंने कहा कि हम अपने अपने खेतों पर भवन चाहते हैं, वे आये नहीं। इसी सिलसिले में हमारे ऑफिसर्स भी वहां गये और उन लोगों से बातचीत की है पर अभी तक वे इस बारे में राजी नहीं हुए हैं, इसलिये निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन भीलों ने बस्ती बसाने का काम शुरू करने से पहले ही कह दिया था कि हम यहां पर बसने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह नहीं कहा था। पहले बसने के लिये तैयार थे। बाद में यह कहा कि हम अपने खेतों में मकान बनाने को तैयार हैं। उनको कहा गया कि कॉलोनी बसानी है इसलिये खेतों में मकान नहीं बनाए जा सकते।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय इस बस्ती की खुदाई का काम हुआ था उसी समय भीलों ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया था कि वे इस बस्ती में आबाद होने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जब यह खुदाई का काम शुरू हुआ तब यह लिख कर दिया गया कि वे खेतों पर अपने मकान बना कर रहना चाहते हैं। यह नहीं लिख कर दिया कि वे यहां नहीं बसना चाहते।

श्री भैरोंसिंह : यह आप किस बेसिस पर कह सकते हैं कि उन्होंने पहले वहां बसने को स्वीकार किया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो सारी कार्यवाही चली है। पहले तैयार थे मगर बाद में यह कहने लगे कि खेतों पर मकान बनादिये जावें।

एक माननीय सदस्य : पहले कैसे मंजूर कर लिये और बाद में क्यों अस्वीकार हुए ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : पहले उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बाद में कई लोगों ने कहा कि वे अपने खेतों में मकान बनाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के पास कुछ लिखित में प्रार्थनापत्र हैं कि जिस बस्ती के लिये कहा जाता है, वास्तव में मालूम हो सके कि उन्होंने पहले वहां पर बसने की स्वीकृति दे दी है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : वैसे सिद्धान्तया तो यह होना ही चाहिये। मगर....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : क्या सरकार उनको जहां पर वे खेतों में बसना चाहते हैं वहां बसाना ठीक समझती है या इसी प्रकार की बस्ती में बसाना ठीक समझती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार यह चाहती है कि वे इसी प्रकार की कॉलोनी में बसें। उनको किसी प्रकार से राजी किया जा रहा है कि जिस प्रकार की कॉलोनी का निर्माण हुआ है वहीं पर बसें।

श्री मुरलीधर व्यास : जब उनको वहीं अपने खेतों पर रहना सुविधाजनक है तो फिर उनको वहां पर क्यों नहीं अलग अलग बसाया जाता हैं ? इसमें सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह कॉलोनी की स्कीम थी और एक जगह बसाने की व्यवस्था की गई थी और अब उसके विपरीत दूसरी व्यवस्था हो तो यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सतीशचन्द्र।

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्नः क्या यह सही है कि जो लोग वहां बसना चाहते हैं उनको नहीं बसाया जाता है और जो लोग नहीं बसना चाहते उनको....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चम्बल योजना के अन्तर्गत सिवील डिविजन

५४१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल योजना के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत मंडल के आधीन (भवन निर्माण योजनाओं) को पूरा करने के लिए एक सिविल डिविजन का निर्माण मई, सन् १६५६ में हुआ था ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस डिविजन में एक एग्जीक्युटिव इंजीनियर, ८ जूनियर इन्जीनियर, एक अकाउन्टेन्ट, एक हैड क्लर्क तथा ५ एल. डी. सी. तथा बहुत सारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ रखा हुआ है ? यदि हां, तो इसकी व्यवस्था का कुल कितना बजट है ?

(३) क्या यह सही है कि अभी तक कोई भी निर्माण कार्य इस डिविजन द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) ऐसी स्थिति में इस डिविजन के स्टाफ ने क्या काम किया ?

विद्युत मंत्री : (श्री हरिश्चन्द्र)
(१) जी हां, २४ अप्रेल १६५६, से।

(२) सिविल डिविजन में टेक्निकल और मिनिस्टीरियल स्टाफ कुल मिला कर २० मुलाजिम हैं। सन् १६५६–६० का बजट ५८,००० रुपये हैं।

(३) जी हां, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उसकी प्राथमिक योजनायें तथा नकशे आदि का कार्य करना होता है। तत्पश्चात् चम्बल कंट्रोल आयोग की स्वीकृति अनिवार्य है। इन बातों की पूर्ति अभी अभी हुई है। इसके पश्चात् टेन्डर कन्ट्रेक्ट आदि का कार्य करना है। निर्माण कार्य ये सब बातें पूरी करने के बाद ही हो सकता है।

(४) इस एग्जीक्युटिव इन्जीनियर के पास थर्मल स्टेशनों का काम भी है जिसके लिए अलवर, भरतपुर, जयपुर, मालपुरा, टोडाभीम, डूंगरपुर आदि में भी काम चल रहा है। इसके अलावा चम्बल भवन निर्माण का कार्य शुरू करने से पहले उसके नकशे एस्टिमेट आदि भी बनाने पड़े हैं जिसमें भी समय लगता है। इसके बाद टेन्डर आदि मांगने का कार्य भी किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रत्येक काम बताया गया है उसको करने में कितना समय लगा और पूरा काम होने में कितना समय और लगेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने आपको बताया कि काम अभी चल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि प्राइमरी फोर्मेलिटीज़ सब जुलाई तक पूरी हो चुकी थीं और इसलिये जुलाई में टेन्डर आमंत्रित किये गये ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि काम अभी चल रहा हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब प्राइमरी फोर्मेलिटीज़ पूरी हो गई तभी तो आपने टेन्डर इन्वाइट किये होंगे ? टेन्डर तो बाद में ही इन्वाइट किये जाते हैं। आपने जुलाई में टेन्डर इन्वाइट किये। फोर्मेलिटीज़ तो जुलाई से पहले पहले समाप्त हो गई। जुलाई के बाद में क्या काम हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने टेन्डर के लिये नहीं पूछा, आपने पूछा उसका उत्तर दिया। आपका यह प्रश्न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न तो यही है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने पूछा कि चम्बल योजना के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत मन्डल के आधीन भवन निर्माण योजनाओं को पूरा करने के लिये एक सिविल डिविज़न का निर्माण मई, सन् १६५६ में हुआ था ? टेन्डर इन्वाइट का काम जुलाई में हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसका लास्ट आइटम पढ़ें तो आपको मालूम होगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : This is objectionable, Sir, how the Hon'ble, Member is supposed to know what the last paper in the Minister's hand contains ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो इसके अंतर्गत है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : When the Hon'ble Member has already got the information why should he insist on getting it again, Sir ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके लिये सिविल डिविजन का निर्माण मई, ५६ को हुआ। इसमें ५८ हज़ार का व्यय हुआ और जवाब यह दिया गया है कि सर्वे कराई और एग्ज़ामिन कराया गया है। जब यह प्राइमरी फोर्मेलिटीज़ का काम जुलाई में पूरा हो गया तभी तो टेन्डर इन्वाइट किये गये। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जुलाई के बाद क्या काम हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने पूरी डिटेल्स आपको दे दी हैं। स्टाफ है या नहीं, मैंने पूरी डिटेल दे दी है।

श्री अध्यक्ष : क्या आपके पास यह सूचना है कि टेन्डर जुलाई में स्वीकार किये हैं ? क्या आप इसको स्वीकार करते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बारां तहसील के चपरासी श्री चन्दालाल शर्मा की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच

५४२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि बारां तहसील के चपरासी श्री चन्दालाल शर्मा की मृत्यु आज से करीब एक वर्ष पूर्व उस समय के तहसीलदार श्री कान्हासिंह के दुर्व्यवहार के कारण से हुई ?

Page No.16

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(२) क्या यह सच है कि बारां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के मंत्री ने इस काण्ड की सूचना मुख्य मंत्री को तार द्वारा दी थी ?

(३) क्या यह सच है कि इस काण्ड की जांच कराए जाने के लिए राजनैतिक पार्टियों ने उस समय के कमिश्नर को लिखा था ?

(४) क्या यह सच है कि इस काण्ड की जांच करने के लिए बारां एस० डी० एम० को नियुक्त किया गया था ?

(५) क्या यह सच है कि इस घटना के बारे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के मंत्री, राजनैतिक पार्टी के नेताओं एवं राजकीय कर्मचारियों के बयान एस० डी० एम० की अदालत में हुए थे ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी नहीं।

(२) जी हां। श्री देवीदत्त गालिया द्वारा सूचना दी गई थी।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

(५) जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया है कि मृत्यु नहीं हुई तो फिर चीफ मिनिस्टर के पास शिकायत कैसे की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायत की गई थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि श्री चन्दालाल शर्मा में मृत्यु नहीं हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि हुई है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : शिकायत किसने की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री देवीदत्त गालिया ने। यह शिकायत की गई कि तहसीलदार के दुर्व्यवहार के कारण श्री चन्दालाल शर्मा की मृत्यु हुई। चीफ मिनिस्टर को शिकायत की गई थी और इसके लिये ऑफिसर मुकर्रर किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : ये श्री देवीदत्त कौन थे ?

श्री दयाकृष्ण विजय : किन किन के बयानात लिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सर्व श्री देवीदत्त गालिया, मोहनलाल, कृष्णकुमार आदि के बयान लिये गये

श्री दयाकृष्ण विजय : इनके बयानातों का सारांश क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके बयानातों के सारांश को तो मैं नहीं बता सकता। आपने पूछा कि उसकी मृत्यु हुई, उसका उत्तर दिया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि वह बीमार था और बीमारी की हालत में उसको छुट्टी नहीं दी गई और उससे बराबर काम लेते रहे और इस कारण से उसकी मृत्यु हुई ?

Page No.17

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। आपने जो पूछा उसकी इन्क्वायरी कराई और इन्क्वायरी का रिजल्ट आपको मैंने बताया। बयान कैसे दिये, उनमें क्या डिस्क्रिपेन्सीज़ थीं, यह मैं नहीं बता सकता। अगर आप चाहें तो अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने तो इन्क्वायरी का जो रिज़ल्ट था वह आपको बताया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने पूछा कि बयानात हुए थे ? हुए तो क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कब बयानों को पढ़ कर सुनाने के लिये पूछा ? ५ आदमियों के बयान हैं पढ़ कर नहीं सुना सकता।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या आप जांच की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। अगर माननीय सदस्य चाहें तो अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस समय माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे तो क्या वे प्रार्थना को स्वीकार करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा प्रश्न करें कि ऐसा करेंगे या नहीं, यह तो ठीक नहीं है लेकिन मेरे पास जांच की रिपोर्ट नहीं है। मैंने, जो सूचना आपने चाही, उसकी दी है। जांच की रिपोर्ट का जिस्ट मैंने आपके सामने रखा है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : तहसीलदार के दुर्व्यवहार से उसकी मृत्यु हुई या उसकी मृत्यु का कोई और कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एस. डी. एम. ने जांच की और जांच बयानात लिये।

श्री मुरलीधर व्यास : जांच की रिपोर्ट को और बयानात हुए उनको टेबल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि बयानात मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जांच करा कर, जिस ऑफिसर ने जांच करके रिपोर्ट दी है उसका जिस्ट आपको बता दिया। बयानों को यहां रखा कर क्या करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : उनको खुद को पूरी इन्फोर्मेशन नहीं है कि पूरी जांच करके रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट से साबित नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए मंत्री महोदय खुद ही देख कर संतोष कर लेंगे कि आखिर संतोषजनक जांच की गई है या नहीं।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : प्रार्थना पत्र कब पेश हुआ और जांच कब हुई ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री दयाकृष्ण विजय : कम से कम फाइल तो मंत्री महोदय देख लें कि किस प्रकार से तहसीलदार के साथ पक्षपात किया गया है ....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका सवाल साफ है कि क्या इसकी सूचना मुख्य मंत्री को तार द्वारा दी गई ? मैंने कहा हां।

श्री मूलचन्द डागा : प्रार्थना-पत्र कब पेश हुआ और जांच कब की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसी रोज जांच का आॅर्डर दे दिया जिस दिन तार आया था।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन सवाल यह है कि जांच की रिपोर्ट कब आयी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : बीमारी की वज़ह से उसने तहसीदार से छुट्टी मांगी थी लेकिन तहसीलदार ने उसको छुट्टी नहीं दी....

श्री अध्यक्ष : यह सारी डिटेल्स की बात आ गयी।

श्री दयाकृष्ण विजय : उसने छुट्टी मांगी थी और उसको छुट्टी नहीं दी गई....

श्री अध्यक्ष : उहोंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास रिपोर्ट नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : उस व्यक्ति को तहसीलदार ने जबर्दस्ती बाहर भेजा। उसको नौकरी पर इत्तिला कराने के लिए बाहर भेजा और कहा कि इत्तिला करा लाओ, वह ज्यादा बीमार हो गया और उसकी शफाखाने में मृत्यु हो गई।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

१० वर्ष शैक्षणिक अनुभव के अध्यापकों को ट्रेन्ड अध्यापकों की ग्रेड दिये जाने सम्बन्धी नियम

५४३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या शिक्षा विभाग में ऐसे नियम हैं कि दस वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के अध्यापक को ट्रेन्ड अध्यापक मान कर उसको ट्रेन्ड की ग्रेड दी जाय ? यदि हां, तो कब से ?

(ख) इस सम्बन्ध के आदेशों का सीकर जिले में कहां तक पालन किया गया है ? क्या ऐसे अध्यापक हैं जिनको इस नियम का लाभ मिलना चाहिये था, परन्तु नहीं मिल सका ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां, जिन अध्यापकों को अध्ययन का १० वर्ष का अनुभव हो या बेसिक योग्यता के आधार पर अन्ट्रेन्ड ग्रेड में ५ वर्ष का समय हो गया हो, साथ ही साथ उनका कार्य भी संतोषजनक हो और ट्रेन्ड ग्रेड में रिक्त स्थान हो तो उनके २५ प्रतिशत स्थानों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दे दी जाने का नियम है।

(ख) सीकर जिले में इस प्रकार के सब मामले तय हो चुके हैं केवल दो अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें ट्रेन्ड ग्रेड नहीं मिली है। उन्हें ट्रेन्ड ग्रेड दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

Page No.19

श्री भैरोंसिंह : नियम कब से हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से नियम बने हैं। तारीख तो मुझे नहीं मालूम है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें मैंने पूछा है कि 'यदि हां, तो कब से' ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है ? अध्यक्ष महोदय.... 'I will inform the Hon'ble Member about the date.

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

तहसील नोहर के ग्राम भूगान में कुए निर्माण हेतु प्रदत्त धन राशि

५४४. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तहसील नोहर के ग्राम भूगान में नए कुए के लिए सरकार से करीब ६,०००) रु० मिले थे ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उस गांव में उस रकम से कुआ नहीं बनाया गया है और गांव वालों ने इसकी शिकायत भी की है, परन्तु इस पर कोई जाच नहीं हुई है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशन : रुपया मिला है लेकिन कोई कुआ नहीं बनवाया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : ५८-५६ के लिए सवाल किया गया, मैंने कहा, जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : वे कह रहे हैं कि मिले हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास यही सूचना है कि नहीं मिली।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : उस पर्टिक्युलर इयर में न मिली हो। after information of Rajasthan पैसा मिला है, या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य साल सम्वत् बता दें तो मैं देख सकता हूं उसको।

श्री श्रीभानसिंह : Then the Collector has tried to side track or deceive the Hon'ble Minister.

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्य बता दें।

श्री श्री भानसिंह : क्यों बता दें ? पर्टिक्युलर गांव के लिए पूछा है। फिर ५८-५६ का ही क्यों बताया ५६-५७ की क्यों नहीं सूचना दी ?

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्यों को संतोष हो जाय जांच कर लेंगे बनिस्बत यह कहना कि क्यों नहीं जांच की।

श्री दामोदरलाल व्यास : As a matter of fact, if the Hon'ble Member gives me any information regarding this amount being paid to anybody in

(श्री दामोदरलाल व्यास)

any year, I will definitely get that enquired into and inform the Hon'ble Member much before the House adjourns.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : He has mentioned about the particular village where that amount was given.

श्री चन्दनमल वैद : सवाल यह है कि प्रश्न पूछा है ...

श्री दामोरदरलाल व्यास : आप सूचना दे दें। कलेक्टर ने तो कहा 'नहीं'।

श्री चन्दनमल वैद : कलेक्टर ने यह कैसे कहा कि ५८-५६ में नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : The Hon'ble Member asserts that the amount has been paid.

श्री रामकिशन : छः हजार रुपया दिया था।

श्री अध्यक्ष : कब दिया रुपिया ?

श्री रामकिशन : सन् तो याद नहीं है। लछमन जाट को दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : वाटर बोर्ड ने दिया, रूरल वाटर सप्लाई से दिया गया या किससे दिया गया ? अन्दाज़ से तारीख बता दीजिये कि किस साल में दिया गया ?

श्री रामकिशन : राजस्थान बनने के बाद दिया।

श्री अध्यक्ष : यह इतना मुश्किल नहीं होगा। अमुक आदमी को दिया गया या नहीं, जांच कर लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास बिल्कुल टोटल डिनायल आयी है।

एक माननीय सदस्य : जल बोर्ड से दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री दामोदरलाल व्यास : जल बोर्ड से दिया गया है तो पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब से कहा जाय, वे जवाब देंगे।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : कभी आप जोइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी कह कर बच जाते हैं और कभी कहते हैं कि पर्टिक्युलर मिनिस्टर साहब को कहा जाय।

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर से इन्क्वायरी आप करवा कर मंत्री महोदय के पास भेज दीजिये, वे जवाब दे दें।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा।

रिटायर्ड एस. डी. ओज़ की पुनर्नियुक्ति

५४५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की क्या करेंगे :–

सन् १६५६ व जनवरी, १६६० में किन किन रिटायर्ड एस. डी. ओज़ को कहां कहां पर पुनः नौकरी पर रखा गया है ? सूची सदन की मेज़ पर रक्खें।

Page No.21

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, श्री मुख्य मंत्री की ओर से) : केवल श्री जैसिंह की एस. डी. ओ. फलोदी, के पद पर पुनः नियुक्ति की गई है, जो कि एस. डी. ओ. जैसलमेर, के पद पर से रिटायर हुए थे।

श्री मूलचन्द डागा : रिटायर्ड एस. डी. ओ. की वापिस नियुक्ति क्यों की गई?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार के पास ऑफिसर्स कम हैं और भी आर. ए. एस. ऑफिसर्स नियुक्त किये गये हैं, और किये जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सब ही को किया जा रहा है या आपकी मर्जी पर सिलेक्शन होता है, उनका किया जा रहा है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी मर्जी पर नहीं, सिलेक्शन तो उनके मेरिट पर होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसके लिए कोई नियम बना रखा है कि किस किस को रीएम्प्लोयमेंट दिया जाय?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, पिछला रिकॉर्ड सर्विस का अच्छा हो और योग्य हो तो वापिस उनको रीएम्प्लोय किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह समझा जाय कि योग्य नहीं थे, पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, पेन्शन नहीं मिलती और फिर कौनसा स्पेशल क्राइटेरिया देख कर इसकी सर्विस अच्छी है, योग्य है, उसको इसलिए रिएम्प्लोय कर लेते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : पेन्शन का यह आधार नहीं है। जब तक किसी को सजा न मिले पेन्शन में कमी-बेशी नहीं की जा सकती है। पेन्शन का वह क्राइटेरिया नहीं है जो कि आप बता रहे हैं, और रीएम्प्लोय करने का यह है कि यदि दस-पन्द्रह को करना है तो २०-२५ में से, जरूरत के अनुसार, छांट लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : रीएम्प्लोयमेंट करने के लिए ऑफिसर्स की छुंटनी के लिए क्या कोई कमेटी मुकर्रर कर रखी है कि जो उनकी छुंटनी करे।

श्री दामोदरलाल व्यास : अपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट है।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोई कमेटी करती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : अपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कमेटी नहीं है और अपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट ही करता है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या और कोई कोम्पिटेन्ट पर्सोनल नहीं मिल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मिल रहे हैं इसीलिए इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट आर. ए. एस. का कर रहे हैं। जब तक उनका रिक्रूमेंट न होकर वे ट्रेन्ट न हो जायं तब तक रीएम्प्लोयमेंट करना पड़ता है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : तब तक रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपका सुझाव है, उसके लिए धन्यवाद ।

सीकर जिले में पंचायत समितियों को दिये जाने वाले अध्यापक

५४६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) सीकर जिले में पंचायत समितियों के अधिकार में प्राथमिक पाठशालायें किस तारीख को की गई ?

(ख) क्या यह सही है कि इस तारीख के पश्चात् निरीक्षक, शिक्षा विभाग सीकर ने पंचायत समिति के अध्यापकों का स्थानान्तरण किया है ? यदि हां, तो किन किन का, कहां कहां और क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त निरीक्षक की ओर से संचालक शिक्षा विभाग को पंचायत समिति में दिये जाने वाले अध्यापकों की एक सूची पेश की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(घ) क्या पंचायत समिति में पाठशालायें दिये जाने से पूर्व इस सूची में कोई परिवर्तन किया गया ? अगर हां, तो क्या और क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मन्त्री की ओर से) : (क) ता० २-१०-५६ को ।

(ख) जी हां, निम्नलिखित ५ अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया है :—

१. श्री बद्रीनारायण शर्मा प्रा० शा० पटवारी का बास से प्रा० शा० श्री माधोपुर नं० २

२. श्री जगदीशप्रसाद प्रा० शा० सिरोही से प्राथमिक शाला देवराला को ।

३. श्री जगीशचन्द्र प्रा० शा० सैयद छोटी से प्रा० शा० सेनीसीकार को ।

४. श्री रामकिशोर प्रा० शा० कल्याण भट्टी से मा० शा० चला को ।

५. नरेशसिंह प्रा० शा० कल्याणपुर से मा० शा० देवराला को ।

इनके स्थानान्तरण का कारण यह है कि इन्होंने राजकीय स्कूल में रह गये अध्यापकों के साथ बाहमी तबादला करने के प्रार्थना पत्र दिये थे ।

(ग) जी हां ।

तारीख १६-६-५६ को उन अध्यापकों की एक सूची पेश की गई जो कि पंचायत समितियों को ट्रान्सफर किये जाने थे ।

(घ) पंचायत समिति में पाठशालायें दिये जाने के पूर्व इस सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : जिन अध्यापकों की सूची २ अक्टूबर, १९५६ को प्राथमिक पाठशालाओं की पंचायत समितियों को दी गई, क्या उस सूची के अन्दर इन पांचों अध्यापकों के नाम थे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैंने अर्ज किया कि इनके स्थानान्तरण का कारण यह है कि इन्होंने राजकीय स्कूल में रखे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गये अध्यापकों के साथ वाहमी तबादला करने के प्रार्थना, पत्र दिये थे । जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में रह गये उनका वाहमी तबादला हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि इन पांचों अध्यापकों के नाम उस सूची में थे क्या, जो सूची पंचायत समितियों को सुपुर्द की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास कम्पलीट अध्यापकों की सूची तो है, नहीं जो सैकड़ों की तादाद में हैं, इसलिये मैं कुछ नहीं कह सकता । अगर आप मूल सवाल ही इसी तरह का पूछते तो आपको उत्तर मिल जाता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वाहमी तबादले की आज्ञा शिक्षा विभाग का निरीक्षक नहीं दे सकता जब कि स्कूलों का स्थानान्तरण पंचायत समिति को हो गया था, इसलिये पंचायत समिति को बिना पूछे स्थानान्तरण हो नहीं सकता और यह स्थानान्तरण पंचायत समिति को बिना पूछे कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात नहीं। ये टीचर्स जब पंचायत समिति को ट्रान्सफर हो गये पंचायत समिति के मार्फत दरख्वास्त दी कि वे सरकारी स्कूलों में जाना चाहते हैं, इन टीचर्स की दरख्वास्त को पंचायत समिति ने रिकमन्ड किया कि इनका ट्रान्सफर कर दिया जाय । उनकी रिकमन्डेशन पर ट्रान्सफर किया गया ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो यह सूचना दी गई वह ६० प्रतिशत गलत है, किसी भी पंचायत समिति की सिफारिश से स्थानान्तरण नहीं किया गया यह जो कहा गया कि पंचायत समिति की सिफारिश पर स्थानान्तरण किया गया है यह गलत सूचना देते हैं ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Thank God, it is 50 percent. We expected hundred percent wrong.

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सूचना मुझे मिली है वह में पढ़कर सुना देता हूं "They applied to the Panchayat Samiti which recommended the mutual transfers. Accordingly these 5 teachers were taken in Government schools and in their place the teachers who were willing to go to Panchayat Samiti were taken."

And then, if you can give me any other definite information, which I very much doubt, I will find out again.

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई ।

बीकानेर जिले में "एस्चीट रेगुलेशन एक्ट" के अन्तर्गत मामले

५४७. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५७ से आज तक राजस्थान एस्चीट रेगुलेशन एक्ट के अन्तर्गत जिला बीकानेर में कितने मामले समाश्रत किये गये ?

Page No.24

(श्री भीमसेन)

प्रत्येक मामले में कितनी चल व अचल सम्पत्ति थी ?

(२) उपरोक्त समयावधि में बीकानेर शहर में कितने मामले उपरोक्त कानून के अन्तर्गत चलाये गये ?

(३) सरकार द्वारा उपरोक्त मामलों में किस किस व्यक्ति की कितनी चल व अचल सम्पत्ति पर कब्जा किया गया और कब्जा किससे लिया गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) २१ मामले समाश्रत किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) चार मामले चलाये गये।

(३) किसी पर नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भीमसेन : बीकानेर शहर के चार मामले चलाये गये उनका क्या रिज़ल्ट रहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार द्वारा इन मामलों में किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर नहीं किया गया। राजस्थान एस्चीट एक्ट की धारा ५६ के अनुसार अदालत डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा फैसला करना और उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। मुकदमा अदालत डिस्ट्रिक्ट जजी में चल रहा है।

श्री भीमसेन : महन्त हरिहरनाथ का मामला सरकार के ध्यान में है क्या ?

श्री दामोरदलाल व्यास : वे तो नहीं..

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : नाथद्वारे के तो नहीं हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास: नहीं, सरदार शहर से आये हैं।.... इनकी ६० हजार की सम्पत्ति है।

श्री भीमसेन : सरकार ने निर्णय ले लिया कि इनके कौन वारिश हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे निवेदन किया, इस पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती। डि० जज इसके लिये ऑथोरिटी है, जो ये बातें तय करता है।

श्री भीमसेन : कलेक्टर को पॉवर्स होते हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर के एक्शन के बाद ही तो डिस्ट्रिक्ट जजी में जाते हैं। आप प्रोसीजर देख लीजिये। उसके अनुसार अगर रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ हैं, उनका डिस्प्यूटेड मामला है। They have not got the powers to take a final decision. The matter has to be referred to the District Judge and he gives the final decision.

श्री भीमसेन : वास्तव में उस व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज पेश करके ६० हज़ार रुपया जो बैंक में केश जमा है और ६० हज़ार की प्रोपरटी है उसको हस्तगत करने का निश्चय किया है। अगर डिस्ट्रिक्ट जजी में उसके अनुकूल फैसला हो जाय तो क्या सरकार आगे अपील में जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मै माननीय सदस्य का बहुत अभारी रहूंगा, वे मुझे इस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बात की सूचना दें जिससे वे फर्जी दस्तावेज़ प्रमाणित हो सकें, गवर्नमेन्ट इन्टरेस्ट के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रहा है तो I shall be grateful to the Hon'ble Member if he gives this information and I will certainly take proper action at the proper level.

श्री भीमसेन : ऐसा है फर्जी दस्तावेज तैयार करके सकसेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : फर्जी दस्तावेज कैसे हैं, उसकी इत्तला गजट में निकलती है, उसकी ओपन हिअरिंग होती है, अदालत द्वारा जांच होती है, उसके बाद सकसेशन का सर्टिफिकेट मिलता है।

श्री भीमसेन : सरकार ने क्या चाराजोई की उसके वास्ते कि ये फ़र्जी दस्तावेज हैं?

श्री अध्यक्ष : चाराजोई आप ही कर लेते। We cannot interrupt the process of law in the courts.

श्री भीमसेन : गवर्नमेंट के इन्टरेस्ट की बात है, गवर्नमेंट को देखना चाहिये।

नाथद्वारा प्रकरण में नियुक्त आयोग के परिणामों पर कार्यवाही

५४८. **श्री मूलचन्द डागा (पाली) :** क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) नाथद्वारा प्रकरण के बाबत में जो एक आयोग नियुक्त किया गया था उसके क्या परिणाम निकले?

(ख) क्या उन परिणामों पर राजस्थान सरकार ने विचार किया? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

(ग) क्या यह बात सत्य है कि तिलकायत जी महाराज के खिलाफ सरकार फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने जा रही है।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(क) नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) कमीशन की सिफारिशें सामान्यतः स्वीकार कर ली गई। उचित कार्यवाही के लिये नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड को कमीशन की सिफारिशें भेज दी गई हैं।

(ग) २२ फरवरी, १६६० को संबन्धित पुलिस स्टेशन पर जांच करने के लिये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह रिपोर्ट किसने दर्ज कराई?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेम्पल बोर्ड के सदस्य ने।

श्री भैरोंसिंह : कार्यवाही के सम्बन्ध में महाराजश्री को कमीशन ने, एग्ज़ीबिट किया था वह प्रोपर्टी महाराजश्री को लौटा दी गई?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं मेरी जानकारी में नहीं लौटाई।

श्री भैरोंसिंह : यहां जैसा आपने बताया यह रिपोर्ट प्रबन्धक समिति के सदस्यों द्वारा की गई तो क्या यह प्रबन्धक समिति के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई या समिति के प्रस्ताव के अनुसार की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रस्ताव के अनुसार की गई।

श्री मनोहर कोठारी (कुंभलगढ़) : क्या इसी प्रकार की रिपोर्ट किसी व्यक्ति ने किसी कोर्ट में दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री माणिक्यलाल शर्मा ने।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शर्मा ने या वर्मा ने।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने सोलीसीटर जनरल की राय ली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जबाब मैं दे चुका।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि सरकार ने यह राय अपने आप ली है या इस राय के लिए प्रबन्धक समिति ने मांग की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मांग कोई नहीं की गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार उचित समझती है कि मन्दिर के मामले में जो प्रबन्धक समिति है उसको एक्शन लेना चाहिये जब कि सरकार प्रबन्ध समिति की अन्य कामों में राय लेती है उस पर अपने निर्णय इम्पोज़ करती है, इस पर उनकी राय क्यों नहीं ली ? बिना प्रबन्धक बोर्ड के अनुमति के राय क्यों मांगी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार अपनी जिम्मेदारी महसूस करती है और उसी के अनुसार राय ली गई।

झुंझुनूं तहसील के जागीरदारो की बकाया रकम का चुकारा

५४६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) झुंझुनूं तहसील के कितने जागीरदारों को, जिनकी जागीर का सन् १९५४–५५ व ५५–५६ में पुनर्ग्रहण हुआ और जिनकी जागीर–भूमि का लगान सरकार में जमा हो चुका है तथा जागीर अधिनियम की धारा २२ (घ) के अनुसार जागीरदार के अनुपात के हिस्से की रकम चुकाई जानी थी, दी गई है, तथा कितने जागीरदारों की कितनी कितनी रकम बाकी है ?

(ख) इस रकम का अब तक चुकारा क्यों नहीं किया गया और अब यह रकम कब तक चुका दी जायगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) झुंझुनूं तहसील की ५४–५५, ५५–५६ में ३९ जागीरें खालसे हुई जिसमें से कुल १४ जागीरदारों को २२ (घ) के अनुसार अनुपात के हिस्से की रकम चुकानी थी. जिसमें से ५ जागीरदारों को रकम चुका दी गई। बाकी ९ जागीरदारों को ३६२३·८३ नये पैसे चुकाने हैं एवं २५ जागीरदारों से २२

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(घ) की वसूली करनी है, जिसके लिये मुआवजे में से काटने के लिये लिखा गया है, तथा दीगर तहसीलों के जागीरों के गांव जो इस तहसील में स्थित हैं उनकी संख्या १४ है जिनको २४०४ रुपये चुकाने बाकी हैं।

(ख) फसली साल की जमा कायमी जागीरदारान के चार्ज देने पर होती है, अतः जागीरदारान के चार्ज देरी से देने के कारण जमा कायमी समय पर न हो सके और इसी कारण रकम अब तक नहीं चुकाई गई और शीघ्र चुका दी जावेगी।

बारानी व चाही भूमि की दरें

५५०. श्री सूबेदारसिंह (बाडी) : क्या राजस्वमन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) टौंक व जयपुर जिला तथा धौलपुर उपजिले में बारानी व चाही की कम से कम तथा ज्यादा से ज्यादा दरें क्या हैं ?

(२) क्या राजस्थान में ये दरें सबसे अधिक हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या टौंक व जयपुर जिलों में बारानी रकबे में गेहूं पैदा होता है ? यदि हां, तो कितने एकड़ों में तथा उक्त भूमि की दर क्या है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इसको अगली टर्न पर रख दिया जावे। इन्फोर्मेशन जो आई है एक्यूरेट नहीं मालूम होती। It is to be examined

सैटलमेन्ट विभाग में सरप्लस इन्सपेक्टर्स

५५१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सैटलमेन्ट विभाग में कुछ इन्सपेक्टर्स को सरप्लस किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कब से तथा कितनों को ?

(२) क्या यह सही है कि ये लोग ५ साल से ज्यादा समय से इन्सपेक्टर्स के पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो फिर इनको अभी तक कन्फर्म क्यों नहीं किया गया ?

(३) सरकार इन लोगों को कहां कहां पर एब्ज़ोर्ब करने का इरादा रखती है ?

(४) क्या इसी प्रकार कुछ जमीनों के मामले भी पेन्डिंग हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां। सैटलमेन्ट में काम की कमी के कारण ५२ इन्सपेक्टर्स १–३–६० को और ७० १–११–५६ को सरप्लस किये गये।

(२) जी हां, कन्फर्मेशन की कार्यवाही की जा रही है। पर सूचना सम्बन्धित महकमे की नहीं आने की वजह से कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हो सका।

(३) सभी सरप्लस लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड विभाग में एब्ज़ोर्ब कर लिये गये हैं।

(४) जी हां।

Page No.28

प्रश्न संख्या ५५२

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

ब्यावर तहसील में बिल्डिंग स्टोन, पट्टी, कातला एवं चूने के पत्थर पर रॉयल्टी।

५५३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सत्य है कि ब्यावर तहसील में बिल्डिंग स्टोन, पट्टी, कातला, चूने का पत्थर आदि पर रॉयल्टी वसूल नहीं की जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) अजमेर, केकड़ी और किशनगढ़ तहसीलों में सन् ५६ में उक्त कार्य में कितनी रॉयल्टी वसूल हुई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, खनिज मन्त्री की ओर से) : (क) जी हां, रॉयल्टी व रेन्ट की दरों पर खानदारों के अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पर राज्य सरकार ने वसूली को ब्यावर में रोक दिया है।

(ख) अजमेर, केकड़ी और किशनगढ़ तहसीलों से निम्नलिखित रॉयल्टी वसूल की गई है :—

सन् ५७-५८ १३,८०७) २४ न० पै०

सन् ५८-५६ ५३०५७) ६६ न० पै०

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भूमि अवाप्तिकरण की प्रक्रिया

५५४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) राजस्थान में भूमि अवाप्तिकरण की क्या प्रक्रिया है ? क्या ये प्रक्रियाएं नगरों तथा गांवों में सर्वत्र एक सी हैं ?

(ख) क्या अवाप्तिकरण की सूचना जारी करने के पहले उस क्षेत्र का सर्वे किया जाता है जिससे अवाप्तिकरण से होने वाले हानि-लाभ का अन्दाजा हो सके ?

(ग) क्या अवाप्तिकरण की प्रक्रिया शुरू करने के पहले सरकार उस आबादी में बसने वाले लोगों के पुनर्वास की योजना बना लेती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) भूमि अवाप्तिकरण की प्रक्रिया हेतु राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, १६५६ (एक्ट २४ ऑफ १६५६) बना हुआ है। प्रक्रियाएं गांवों में और नगरों में एक सी हैं।

(२) भूमि अवाप्त करने से पूर्व अधिनियम १६५६ धारा ४ के अन्तर्गत विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। जिसमें राज्य कर्मचारी को सम्बन्धित भूमि पर जाने एवं नाप आदि की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(३) अगर पुनर्वास के लिये लोगों की संख्या अधिक हो और अन्य स्थान पर पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध हो तो पुनर्वास की योजना भी बनाई जा सकती है।

डॉ० चन्द्रकला : तो यह पुनर्वास के लोगों की संख्या पर्याप्त है, इसका निर्णय कौनसा विभाग करता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसको राजस्व विभाग करता है, इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट के सहयोग से।

डॉ० चन्द्रकला : शहरों में जहां इर्रिगेशन विभाग नहीं है वहां किस तरह से होता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां कलेक्टर करता है।

रतनगढ़-फहतपुर सड़क का निर्माण

५५५. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने रतनगढ़-फतहपुर सड़क का निर्माण सन् १९५९-६० में करना निश्चित किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है?

(२) क्या यह सही है कि उस सड़क का जो भाग चूरू जिले में पड़ता है, उस पर अभी तक निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है?

(३) क्या यह सही है कि यह सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना से स्वीकृत चली आ रही है? यदि हां, तो अभी तक इसका निर्माण क्यों नहीं हुआ है?

(४) अब इस सड़क का निर्माण सरकार कब तक सम्पूर्ण कराने को तैयार है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां। कार्य आरम्भ करने का आदेश ठेकेदार को दिया गया है।

(२) यह सही नहीं है।

(३) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(४) तृतीय योजना में।

श्री किशनाराम : सबसे पहले कब शुरू की गई थी?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा?

श्री अध्यक्ष : सबसे पहले इसकी योजना कब शुरू की गई थी?

श्री हरिश्चन्द्र : मार्च. १९६० में।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : Is it true that this scheme was included in the first Five year Plan?

श्री हरिश्चन्द्र : It was in the Second Five Year Plan.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : दूसरी योजना में थी तो ६० में क्यों प्रारम्भ किया गया, जब कि दूसरी योजना ५७ से प्रारम्भ हो गई?

श्री चन्दनमल वैद : तो इससे क्या हुआ, ६० भी तो दूसरी योजना में है।

श्री हरिश्चन्द्र : जिस तरह से फण्ड्स अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से शिड्यूल किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : पर इसको प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई जब कि पहले साल यह योजना में था?

Page No.30

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा कुछ नहीं है कि काम दूसरी योजना में ही खत्म हो, तीसरी में भी चल सकता है।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु.): दूसरी योजना के कामों में ए क्लास कन्ट्राक्टर काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपका डिपार्टमेन्ट क्या कार्यवाही कर रहा है ? कोई कार्यवाही करने को तैयार हैं क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिए अलग से सवाल करें।

श्री मुरलीधर व्यास : ५८-५६ में इसके लिये धन-राशि रक्खी गई थी वह क्यों नहीं खर्च की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसी साल यह लिया गया है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : इस सड़क का बहुत सा भाग ५७ में ही बन गया था, सीकर से रतनगढ़ का हिस्सा ५८ में खत्म हो गया था।

श्री चन्दनमल बैद : यह सीकर फतहपुर है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : रोड एक ही है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। इसके अलावा एक प्रश्न का उत्तर भी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कौनसा पूछना चाहते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : ५२६ का।

श्री अध्यक्ष : श्री मनरूपराम परिहार।

१२ म०

बूसी के जागीरदार द्वारा मुआवजे उठाने हेतु प्रस्तुत गलत स्टेटमेन्ट

५२८. श्री मनरूपराम परिहार (खारची सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बूसी के जागीरदार ने अधिक मुआवजा उठाने का स्टेटमेन्ट पेश किया था, जो जांच में झूठा साबित हुआ है ? यदि हां, तो कितने हजार का अधिक दावा था ? आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या सरकार का ऐसे झूठे फर्जी दस्तावेज (स्टेटमेंट) पेश करने वाले जागीरदार के विरुद्ध फौजदारी मुकद्मा चलाने का इरादा है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) यह सही है कि बूसी के जागीरदार ने माली आय भी क्लेम की और अन्य आय भी क्लेम की। अन्य आय को जागीरदार नियमानुसार सत्यार्पण नहीं करा सके और फाइनल के वक्त अन्य आय तमाम काट दी गई। अन्य आय दावे में दस हजार तैंतीस रुपया क्लेम की गई थी।

(ख) जागीरदार ने क्लेम में अन्य आय में रकम जरूर भरी, लेकिन जांच में साबित नहीं करा सके और चूंकि सारी ही आय काट दी गई सिवाय माली आय के. तो फर्जी सबूत का सवाल ही पेश नहीं होता और न फौजदारी मुकद्मा चलाने का ही प्रश्न उठता है।

Page No.31

श्री बनेसिंह धाभाई, डाइरेक्टर कोलोनाइजेशन हनुमानगढ़ के विरुद्ध हुई शिकायतों में जांच

५२६. श्री मोहरसिंह (चुरू) [श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) द्वारा पूछा गया]

(१) क्या यह सही है कि श्री बनेसिंह धाभाई, डाइरेक्टर कोलोनाइजेशन हनुमानगढ़ के विरुद्ध पक्षपात, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और सरकारी रिकॉर्ड में अनियमितता बरतने की शिकायतें जनता द्वारा राज्य सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गई हैं ?

(२) यदि हां, तो उनमें से कितनी शिकायतों की जांच की गई और क्या क्या नतीजे निकले ।

(३) क्या सरकार श्री बनेसिंह के विरुद्ध आज तक जनता द्वारा उठाये गये सारे अभियोगों की जांच करने के लिये एक अधिकार युक्त समिति नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मन्त्री की ओर से) : (१) हां, ऐसी कुछ शिकायतें श्री धाभाई के खिलाफ सरकार के पास आई थीं ।

(२) इन शिकायतों की जांच सरकार ने कमिश्नर बीकानेर डिवीजन द्वारा करवाई । कमिश्नर बीकानेर का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : विचाराधीन कब से है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी आई है, थोड़े दिन पहले ही । कोई ज्यादा दिन नहीं हुए ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार की भी कोई शिकायत है कि धाभाई ने अपने भतीजे को, जो दूसरे विभाग में काम करता था, सैटरमेन्ट तहसीलदार के रूप में इसके अधीन नियुक्ति कराई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिटेल अभी मेरे पास नहीं है । जो शिकायतें बताई उनकी जांच हो रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : शिकायतों की डिटेल नहीं है आपके पास ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी, यहां नहीं है । फाइल में सब है । फाइल थोड़े ही यहां लेकर आता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ५३६ ।

बसवा से राजपुर बड़ तक सड़क

५३६. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : (आमेर सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या बसवा रोड, तहसील बसवा, जिला जयपुर से ग्राम राजपुर बड़ा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर तक

(श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री)

३ मील लम्बी सड़क बनाने की कोई योजना है ?

(२) क्या यह सत्य है कि ग्राम राजपुर से कुछ मील तक ग्राम वालों ने एवं स्कूल के मास्टरों ने एक कैम्प लगाकर श्रमदान द्वारा एक कच्ची फेयर वेदर रोड बनाई थी ?

(३) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सड़क निर्माण में क्या योग दिया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इस बारे में सर्वे भी कराया गया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि यहां लोगों ने श्रमदान करके कुछ रोड बनाई थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्या फरमाया ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : कच्ची रोड बनाई गई थी श्रमदान से, यह फैक्ट है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या सूचना प्राप्त करके बतलावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्राम ढाणी बड़ी तहसील राजगढ़ की पड़तल भूमि में काश्त

५५२. **श्री मोहरसिंह** (चुरू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कमिश्नर बीकानेर के आदेश दिनांक १०-१०-५६ से राजगढ़ तहसील के ग्राम ढाणी बड़ी की पड़तल भूमि खसरा नम्बर ३५४,३८५, १७६ व १८० में से क्रमश: पन्द्रह पन्द्रह बीघा जमीन आबादी के लिये छोड़ी गई थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ६० बीघा जमीन में सन् १६५६ से आज तक लगातार काश्त की जा रही है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों ने तहसील तथा निजामत राजगढ़ में बार-बार प्रार्थनापत्र दिये हैं कि उक्त जमीन को काश्त किये जाने से रोका जावे ?

(घ) यदि हां, तो इस तरह नाजायज़ काश्त करनेवालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

(ङ) क्या इस वक्त भी यह जमीन काश्त की हुई है ?

(श्री मोहरसिंह)

(च) यदि हां, तो जिन अधिकारियों की लापरवाही से व जिन लोगों द्वारा ऐसा किया गया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

(ङ) जी हां।

(च) किसी कर्मचारी की लापरवाही से काश्त नहीं हुई बल्कि काश्तकारों ने कानून की अवहेलना करते हुए काश्त की है। उनकी फसल कुर्क की जाकर कब्जा राज में लिये जाने के आदेश तहसील द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कब दिये गये आदेश ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है, अध्यक्ष महोदय। पर फसल काटने से पहले ही कर दिया गया है।

१२. १० म० प०

डाकू जगमालसिंह व विजयसिंह के आतंक से उत्पन्न स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ने डाकू जगमालसिंह व विजयसिंह के भय के कारण बरसालपुर पुगल के इलाकों में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में दी गई जानकारी के अनुसार यह मामला कोई सार्वजनिक महत्व का नहीं है जिससे सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इस पर विचार किया जाय। इसलिए इसको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं चाहूँगा कि गृह मंत्री महोदय इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कुछ प्रकाश डालें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, जगमालसिंह व विजयसिंह डाकुओं का गिरोह काफी समय से पाकिस्तान में स्थायी रूप से छिपा हुआ है और राजस्थान पुलिस द्वारा पाकिस्तान पुलिस अधिकारियों को निरन्तर इस बात पर लिखित रूप में तथा सीमावर्ती मीटिंग्स में जोर दिया जाता रहा है कि वे उसके प्रति कठोर कार्यवाही करें, किन्तु पाकिस्तान पुलिस अधिकारियों ने इस विषय में कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की, बल्कि वे कहते रहे कि इस गिरोह का उनके यहां पता नहीं चला। वास्तव में यह गिरोह स्थायी रूप से वहीं रहता रहा है और राजस्थान की सीमा में केवल लूट खसौट करने के लिये आता है व उसके बाद लौट जाता है।

आई. जी. पी. के ५-६ दिसम्बर, सन् १९५९, के हाल ही लाहोर में हुए छठवें

(श्री रामकिशोर व्यास)

सीमावर्ती सम्मेलन में पाकिस्तान पुलिस अधिकारियों ने डाकुओं के गिरोह तथा अन्य सीमावर्ती डाकुओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

कुछ महीने पहले ही १२-११-५९ की रात्रि को भी राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलेरी की इस गिरोह से, जो डाकू विजयसिंह की अध्यक्षता में थी, मुठभेड़ हुई व इसमें डाकू विजयसिंह घायल होकर पाकिस्तान की सीमा में छिप गया व उसकी राइफल रह गई जो हमारी पुलिस के अधिकार में ले ली गई। इससे यह कथन कि राजस्थान पुलिस द्वारा कुख्यात डाकू जगमालसिंह व विजयसिंह को बरसालपुर, भीकमपुर व पुगल के भागों में स्वेच्छापूर्वक आने-जाने दिया जाता है, नितान्त असत्य है।

यह कथन भी असत्य है कि जगमालसिंह व विजयसिंह डाकुओं को पाकिस्तान से भारत में चला दिया गया है। इसके विपरीत २ व ३ फरवरी सन् ६० को डिप्टी आई. जी. पीज़ के हैदराबाद में हुए तृतीय त्रैमासिक सम्मेलन में पाकिस्तान की ओर से भाग लेने वाले अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि रेगिस्तानी रेन्जर्स के द्वारा विजयसिंह का पता लगा लिया गया है। गैर सरकारी तौर पर पता लगा है कि उक्त सम्मेलन के बाद पाकिस्तान पुलिस द्वारा विजयसिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है व न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर मुक्त कर दिया गया।

यह कथन कि जगमालसिंह बीकानेर जिले में अपने ग्राम कस्तूरिया में दो ट्रक भर कर सामान लाया, असत्य है। जब यह सूचना मिली कि जगमालसिंह अपने ग्राम कस्तूरिया में आया व जंगल में ठहरा तो बीकानेर पुलिस ने तुरन्त उसका पता लगाने की चेष्टा की किन्तु वह न मिला। इस बार भी उसके खोजने के लिए पुलिस की ओर से पूर्ण प्रयास जारी हैं। कुछ समय पूर्व यह अफवाह अवश्य थी कि जगमालसिंह अपने ग्राम में दो ट्रक भर कर सामान लाया था किन्तु पूर्ण जांच के बाद यह बात नितान्त असत्य पाई गई। यह कहना भी असत्य है कि उस भाग में किसी प्रकार की बेचैनी है अथवा स्थिति के भयंकर रूप धारण कर लेने की आशंका है।

यह कहना असत्य है कि लनजी ने कोलायत में पुलिस की शरण ली है। लनजी थाना पुगल के दिनांक १०—१२—५९ के एफ. आई. आर. संख्या १८ से संबंधित अमरपुरा के फरारी मुकद्दमें के अपराधियों में से एक है। उसने दिनांक १३—३—६० को कोलायत में पुलिस को आत्म-समर्पण कर दिया व पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कारावास में भेज दिया जहां वह अब भी है। लनजी, जगमालसिंह व विजयसिंह के गिरोह में शामिल नहीं है बल्कि वह एक पूर्णतः नये गिरोह का आदमी है जिसने अमरपुर में फरारी व लूटमार का अपराध किया। इस अपराध में यह लनजी उर्फ गुमानसिंह भाटी व मोरसिंह उर्फ शेतानसिंह तथा भंवरसिंह उर्फ रणजीतसिंह तथा बलजी उर्फ प्रतापसिंह सम्मिलित थे। मोरसिंह व भंवरसिंह तो गिरफ्तार कर लिये गये, केवल बलजी अब फरार है।

उपरोक्त बताये गये विवरण से यह भली भांति प्रकट होगा कि स्थगन प्रस्ताव

(श्री रामकिशोर व्यास)

में जो बातें बताई गईं उनकी कोई असलियत नहीं है। सरकार इस विषय में जागरूक है व आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाने को तैयार है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात का खुलासा करना चाहता हूं। जिस समय फरवरी के अन्दर आपका जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से सेटलमेंट हुआ है उसके मुताबिक विजयसिंह को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में जमानत पर वह छूट गया। तो मैं फरवरी की बात नहीं करता हूं। मैं आज मार्च की बात करता हूं, मैं कहना चाहता हूँ कि फरवरी के बाद में जगमालसिंह और विजयसिंह इस समय पाकिस्तान की सीमा में नहीं हैं। ये दोनों डाकू इस समय भीखमपुर के इलाके में घूम रहे हैं, और वे दोनों इसी कारण से घूम रहे हैं कि आपके सेटिलमेन्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जगमालसिंह को पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। उसके अन्तर्गत उनको गिरफ्तार किया गया और जमानत भी हुई। उसके बाद में वे दोनों हिन्दुस्तान के अन्दर आ गये हैं, और इसी भय से आ गये हैं कि इस प्रकार से पाकिस्तान सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करती है तो इससे अच्छा हो कि हिन्दुस्तान के अन्दर चले जायं, और वह लनजा जिसको आप कहते हैं कि जगमालसिंह का आदमी नहीं है और जिसको कि १२ तारीख को गिरफ्तार किया गया। वह लनजी भी उसी गिरोह का आदमी है जिसने आपकी शरण ली है इस प्रकार से। यह जो ऐसी परिस्थिति है और आप कहते हैं कि आतंक नहीं है। मैं कहता हूं कि वहां पर काफी आतंक है उस इलाके के अन्तर्गत। सरकार इस बात का आश्वासन दे कि ऐसी परिस्थिति में वहां पर स्पेशल फोर्स या आर. ए. सी. को भेजकर बड़ी सतर्कता के साथ में उनको गिरफ्तार करे, और अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो लनजी के जरिये जो कि विजयसिंह का साथी है दूसरा रास्ता निकाले। जिस तरह कि लनजी ने अपने आप आपकी शरण ली है उस प्रकार से वह भी शरण ले लें ताकि उस हिस्से में से आतंक दूर हो। जो कस्तूरिया गांव की बात कहते हैं तो कस्तूरिया गांव में एक आदमी भी वहां पर नहीं रहता है इसी भय से। सारे गांव में इतने मकान हैं लेकिन सिवाय उसके भाई या उसकी मां के और कोई उस गांव में नहीं रहता है। जनता में इस प्रकार का भय छाया हुआ है। आप कहते हैं कि भय नहीं है तो आप जाकर देख लें कि गांव के अन्दर कौन रहता है। अगर भय निकल गया है तो लोगों को रहना चाहिए। लेकिन वहां पर कोई नहीं रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि यह स्थिति बहुत भयंकर है। और कम से कम सरकार को ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए और कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वहां आतंक कम हो।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपका जो एडजोर्नमेंट मोशन का जो सार था उसी का उत्तर मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन कर दिया है, और आप तो खुद वकील रहे हैं, आप जानते है कि जब मुकद्दमा चल रहा है और जमानत है तो यहां कैसे आ सकता है ? लेकिन नतीजे की बात यह है क आप जो फर्मा रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि राजस्थान पुलिस इस बात की पूरी

(श्री रामकिशोर व्यास)

कोशिश में है और रहेगी कि जब भी मौका मिले उनको पकड़े और खत्म करे।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की या नहीं?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि वे सतर्क हैं।

१२.१८. म० प०

सदन की मेज पर गये वाले पत्र

श्री सचिव विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं गत सत्रों में पारित दो विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है सदन की मेज पर रखता हूं :—

(१) राजस्थान ग्रामदान बिल, १९५९, और

(२) राजस्थान टिनेन्सी सिक्स्थ एमेंडमेन्ट बिल, १९५८।

राजस्थान कृषि भूमि उपभोग संशोधन विधेय,क १९६० (पुरःस्थापन)

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, में राजस्थान कृषि भूमि उपभोग (संशोधन) विधेयक, १९६०, को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

१२.२० म० प०

मांग संख्या २७—भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते

(पूर्व क्रम से)

[इस मांग पर आज निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]:

श्री मुरलीधर व्यास :

मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक-५४-ख भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर, जयपुर व जोधपुर नरेशों को मुफ्त बिजली व पानी देने पर विचार करने हेतु)

श्री चन्दनमल वैद :

That the Demand No. XXVII Major head 54-B Privy Purses and allowances of Indian Rulers be reduced by Re. 1/- (To discuss the undesirability of free supply of electricity and water to the rulers of Bikaner, Jaipur and Jodhpur.)

डॉ० चन्द्रकला :

मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५४-ख-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते में १) रु० की कटौती की जाय (एकीकृत राज्यों

(डा० चन्द्रकला)

के नरेशों के सम्बन्धियों और सेवकों के भत्ते पर विचार करने हेतु)

मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५४-ख-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर, जयपुर और जोधपुर नरेशों को निःशुल्क विद्युत एवं जल के प्रदाय पर बहस करने हेतु)

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी :

मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५४-ख-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते में १) रु० की कटौती की जाय (भूतपूर्व नरेशों के आश्रितों के भत्तों के नियमों में आवश्यक सुधार करने पर बहस हेतु)]

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास, अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे मांग संख्या २७ पर ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है कि जो राजाओं को और उनके परिवारों को भत्तों के रूप में राज्य सरकार की ओर से १५ लाख रुपया सालाना खर्च किया जाता है और उस खर्च पर भी करीब ३॥ लाख रुपया बिजली, पानी और दूसरे खर्च उनके परिवारों के पोषण के लिए दिया जाता है । मैं यह समझता हूं कि यह भत्ता आज से १० साल पहले जब प्रारम्भ किया गया था उस समय क्या परिस्थितियां थीं और क्या नहीं, परन्तु जो कुछ भी उस समय ऐसा एक निर्णय लिया गया, वह निर्णय भी जहां तक मैं समझता हूं कोई बुद्धिसंगत नहीं है, क्योंकि हमने उस समय राजाओं और उनके परिवार के लोगों के लिए ही जो प्रिवी पर्स दिया है, प्रिवी पर्स में लाखों-करोड़ों रुपया दिया था ताकि उनके परिवार के लोगों का भी उनके साथ निर्वाह हो सके । परन्तु इसके अतिरिक्त जो दूसरा राज्य सरकार के ऊपर भार लगातार पड़ता आ रहा है और मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में, जब से मैं आया हूं, मैं लगातार सुनता हूं, तब से बराबर सदन में इसका विरोध किया जाता है । जनतंत्र में जनता के विरोध की बहुत कीमत होती है, बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है, परन्तु इतना बड़ा विरोध होने पर भी हमारी राज्य सरकार और वह राज्य सरकार, जो सरकार समाजवादी सरकार अपने आपको कहे, और समाज कल्याणकारी सरकार कहे, जन कल्याणकारी सरकार कहे, और इतना विरोध होने के बाद भी यह पैसा दे । जब कि जनता की आवाज, जो सुप्रीम आवाज राज्य की हो सकती है, विधान सभा की आवाज हो सकती है और विधान सभा के अन्दर लगातार इसका विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार नहीं सोचती है तो मालूम पड़ता है कि या तो राज्य सरकार जो अपने मूल उद्देश्य बनाती है और जो हमारी बुनियादी चीज़ है, जो हमारा विधान है, उसके अन्तर्गत हमको सोचना चाहिए, उस पर ख्याल नहीं करती है । दूसरी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जब हमारे सामने इस प्रकार की परिस्थिति है, जब हमारे मुल्क में आज योजनाओं की बातें होती हैं और यह कहा जाता है कि थर्ड फाइव ईअर प्लान के अन्तर्गत हमको हर आदमी के

Page No.38

(श्री मुरलीधर व्यास)

ऊपर भार डालना पड़ेगा, प्रत्येक आदमी को इस योजना को सफल बनाना होगा और दूसरी ओर बजट के अन्दर आम लोगों पर नाना प्रकार के टैक्स लगाते हैं और उन टैक्सों से जो रुपया आता है, वह ऐसे साधारण आदमी के पास से भी आता है, जिसके पास खाने को नहीं है, उस पैसे को निकाल कर सरकार को दे। हमारी सरकार अपने को जन कल्याणकारी सरकार कहे और उन लोगों की मदद करती रहे, मैं समझता हूं, यह आज के युग के अन्दर ठीक नहीं है। इसके साथ ही हम आज दूसरों से रुपया लेते हैं, कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं, यानि एक आदमी कर्जदार रहे और दूसरी ओर कहे कि मैं दान देता हूँ, दक्षिणा देता हूं, पैसा देता हूँ, मैं समझता हूँ यह न्यायसंगत नहीं है। जब राज्य के पास में साधन हों, सुविधायें हों, अधिक पैसा हो और उस समय इस प्रकार मदद करती है तो ठीक बात है लेकिन जब हम पूरी तरह से दबे हुए हैं, हमारे पास साधन नहीं हैं, नये नये टैक्स लगाते हैं और इस प्रकार हमारी राज्य सरकार आज के जमाने में खर्चा करती है तो मैं समझता हूं कि इसको कोई अच्छा नहीं समझता है। आज राजा-महाराजाओं को काफी मिलता है, कम नहीं मिलता है। इसी सम्बन्ध में अमेरिका के अन्दर बड़ी जबरदस्त टीका हुई थी, जब हमारे यहां से अमेरिका के अन्दर पैसा मांगने गये तो अमेरिका की पार्लियामेंट में इस तरह की बात कही कि हिन्दुस्तान के अन्दर हैदराबाद के निजाम हैं, उनके पास इतना रुपया है कि एक बड़ी योजना उस रुपये से पूरी हो सकती है, वे इतना पैसा खुद लगा सकते हैं। उन लोगों को प्रिवी पर्स इस प्रकार से दिया जाता है, वैसे यह एक अलग चीज है, इसलिए मैं उसे अलग रखता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के जमाने में अब हमें योजनाओं को कामयाब बनाना है, हम चाहते हैं कि आम लोगों से हमको कुछ लेना है, उसके साथ में सरकार को यह दृष्टिकोण भी रखना चाहिये कि जब गरीब से पैसा लेकर अपनी योजनाओं को कामयाब बनाना चाहते हैं, उसके लिए कर भी लगाना चाहते हैं, ऐसी हालत में गरीब से पैसा लेकर अगर आप अपने बजट में से १५ लाख रुपया इस प्रकार देने के लिए रख देते हैं तो आखिर उस पैसे को लेने का महत्व क्या है, इस प्रकार रुपया मांगने का सारा महत्व दब जाता है। उसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि तीन लाख, चार लाख रुपया इसके अन्तर्गत बिजली और पानी के लिए रखा है, एक लाख रुपया बीकानेर के लिए, १ लाख रुपया जोधपुर के लिये, एक लाख ४० हजार रुपया जयपुर के लिए रखा जाता है, इस खर्च का विरोध होता है, यह मांग की जाती है कि यह खर्च समाप्त किया जाय। आज बीकानेर के अन्दर, मैं कहता हूं हरिजन बस्ती में नल लगाने हैं, परन्तु वहां पर सरकार कहती है कि हमारा डिपार्टमेंट अब आर्थिक डिपार्टमेंट हो गया है, आप पैसा दोगे तो हम पानी देंगे और इसी कारण जिन बस्तियों में नल लगे हुए थे, आज बीकानेर के अन्दर जो भीलों की बस्ती है, गाड़िया लुहारों के बसाने के लिए तय किया था, उन बस्ती में नल भी लगाये थे, परन्तु उन नलों को, टूटियों को इसलिए बन्द कर दिया क्योंकि आप चाहते हैं कि पैसा देकर वे पानी लेवें। उस हरिजन बस्ती में, जिसमें नाना मेघवाल, गाड़िया लुहार

(श्री मुरलीधर व्यास)

रहते थे, उसमें तीन टूंटियां लगी हुई थीं, जिससे लोग पानी भरते थे, उनको आप बन्द कर देते हैं क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है वह पहले पैसा लेगा, फिर पानी देगा। इस प्रकार हरिजन, गाड़िया लुहार, मेघवाल अगर दो घड़े, चार घड़े पानी लेना चाहे तो उसे पैसे से पानी लेना चाहिये और दूसरी ओर एक राजा को, जिसको आप करोड़ों रुपया पर्स के रूप में देते हैं, जिसको लाखों रुपये मिलते हैं, उसको पानी मुफ्त देना चाहते हैं, लाखों रुपये का पानी मुफ्त देते हैं। मैं समझता हूं कि कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत उन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। एक तरफ आप पीने के पानी के लिए पैसे की बात करते हैं और दूसरी ओर इस प्रकार की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि यह शर्म की बात है कि आप पिछड़े वर्ग के लोगों से पानी जैसी चीज़ के लिए पैसे की बात करते हैं। इस प्रकार की सुविधा वहां नहीं दे सकते हैं, जो टूंटियां लगी हुई थीं, उनको बन्द करते हैं और दूसरी तरफ इन लोगों को लाखों रुपये का पानी मुफ्त देते हैं। अगर हम अन्दाज भी लगायें कि कितना पानी चाहिये, हिसाब लगा लीजिये, एक साधारण परिवार के लिए पांच रुपये का पानी चाहिये. इसको आप १० रुपया भी मान लें, तो देखें कि १० रुपये में कितना गैलन पानी दे सकते हैं, उससे दस गुना दे सकते हैं, २० गुना दे सकते हैं, ३० गुना दे सकते हैं। लेकिन कितना पानी देते हैं, कितनी बिजली देते हैं, उसके लिए हमें सोचना चाहिये। मैं तो इसके बिल्कुल विरोध में हूं क्योंकि इन लोगों के पास पहले से काफ़ी साधन हैं और पहले से ही काफी सम्पन्न हैं, इनके पास पैसा इतना ज्यादा है कि उस पर इन्कम टैक्स लगाकर कुछ पैसा केन्द्रीय सरकार ले लेती है। अगर वे पानी का खर्चा भी घर के खर्च में बता देंगे तो उससे कुछ पैसा इन्कम टैक्स में बच जायगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को यह भार क्यों लेना चाहिये? अगर इन्कम टैक्स के दृष्टिकोण से, वैल्थ टैक्स दृष्टिकोण से कुछ पैसा चला जाता है तो आप इस तरह से सुविधा न भी दें, तो उस पैसे को वे घर के खर्च में मान लेंगे और इस प्रकार से वह बच जायगा। तो इस प्रकार जो पैसा देते हैं, बजट देते हैं, इसको बन्द करना चाहिए, इस प्रकार पैसा नहीं देना चाहिये और पैसे को बचाना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपका ध्यान इन इलाकों की ओर खींचना चाहता हूं जिनके लिये सरकार का कर्त्तव्य है कि पीने का पानी मुफ्त दे। मैं चाहता हूं कि पानी के लिए सरकार पैसा लेती है गरीबों से, जिनकी झोंपड़ियों में, जिनके घरों में नल नहीं लगाया जा सकता और जहां लगी हुई टूंटियां बन्द कर देते हैं और पैसे की मांग करते हैं, मैं कहता हूं कि यह सरकार कल्याणकारी सरकार नहीं है, इसको पूंजीवादी सरकार कह सकते हैं, जनता की सरकार नहीं कह सकते। इसलिये आपको बहुत गम्भीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा और इस पैसे को निकाल कर जिन इलाकों के अन्दर नल नहीं हैं, जो पानी के नल नहीं लगा सकते, उन इलाकों में निःशुल्क, बिना पैसा लिया टूंटियां आपको लगानी पड़ेंगी। बीकानेर के लिये मैं आपको कहता हूं कि वहां की कुछ बस्तियां पिछड़े वर्ग की हैं, उनमें से जिनके पास साधन थे, उन्होंने अपने मोहल्लों में टूंटियां लगवाईं,

(श्री मुरलीधर व्यास)

उनको पैसा नहीं देना पड़ता क्योंकि वे पहले से लगी हैं । लेकिन जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां सरकार को नल लगाने चाहिये थे, उसमें लगी हुई टूंटियों को बन्द कर दिया क्योंकि आज ऐसा कानून बना दिया है कि अब नल लगायेंगे तो पैसा लेंगे । आखिर गरीबों के लिए आपके कानून ने मदद नहीं दी । इसलिए यह पैसा बचा कर आप उन गरीबों के लिये नल लगवायें, इस पैसे का उन क्षेत्रों में उपयोग किया जाय ।

इसके साथ ही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस प्रकार से पैसा देते हैं ? मैंने इसमें देखा है कि टोंक की छः बेगमें हैं, जिनको छः छः हजार रुपया देते हैं ....

एक माननीय सदस्य : एक लाख ६५ हजार....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अपने कटमोशन के बाहर बहस कर चुके हैं, आपने हैदराबाद के निजाम पर बहस कर ली है। अब आप टोंक में पहुच गये हैं, अब आप जयपुर की बाई पर आ जायेंगे। मुझे एतराज नहीं है, वैसे आप जनरल डिस्कशन कर चुके हैं। आपका कटमोशन है that relates to electricity, to the rulers of Jodhpur, Bikaner...... और कुछ नहीं है....

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं साहब, यह पैसा देने के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : बिजली और पानी के बारे में है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी आप हैदराबाद के निजाम पर बहस कर रहे थे....

श्री मुरलीधर व्यास : वह इसलिए कह दिया ....

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : अमेरिका की पार्लियामेंट का रेफ़रेन्स दिया था ।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जल्दी अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

श्री गोरधनसिंह केन (बयाना सु०) : कोरम नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : १ लाख २६ हजार देते हैं, उसमें टोंक का राज परिवार आता है । फिर ६ बेगम को अलग से कैसे देते हैं, उनको छः छः हजार अलग से देते हैं । इस प्रकार से दूसरे ....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जबाब दूंगा नहीं । इससे ताल्लुक नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार से जब पर्स देते हैं तो अगर परिवार में ६, १० आदमी हैं, उन पर अलग अलग पैसा रख दिया जायगा तो आखिर जो आपका मक्सद है पैसे देने में वह भी बुद्धिसंगत हो तो ऐसी स्थिति में यह लोग जो बिल्कुल लावारिस थे उनको हम कुछ सहायता देते हैं तो भी वह बुद्धिसंगत मालूम पड़ती है लेकिन जिनको सब कुछ मिलते हुए भी आप दें तो यह चीज़ ठीक

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं है। दूसरे आप भिक्षा के लिए भी देते हैं, उदयपुर महाराजा को भीख के नाम पर २ लाख रुपया सालाना दिया जाता था। अबकी से कुछ कम किया, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन यह दो लाख रुपये की भीख न जाने आप किस बुद्धिसंगत तर्क से उनको देते हैं....

श्री अध्यक्ष : वह तो खत्म हो गया, फिर भी बोल रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं उसी पर कह रहा हूं। गत समय भी आपने साधुसमाज का सम्मेलन किया....

श्री अध्यक्ष : इस कटौती के प्रस्ताव से क्या संबंध है ? कटौती प्रस्ताव का मतलब निश्चित चीज़ पर, निश्चित तरीके से बोलना है ।

श्री मुरलीधर व्यास : वह खर्च के बारे में बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह आप नहीं बोल सकते ।

श्री मुरलीधर व्यास: एक ओर तो केन्द्रीय सरकार भिक्षा निरोधक कानून बना रही है और दूसरी ओर आप महाराजाओं को भिक्षा देने के लिए देते हैं। उस पैसे को भी आप ले लेते हो। उदयपुर के राणा को ५०,००० दे दिया तो यह रुपया यहां से निकाल कर उन्हीं को देते हैं।

(घंटी)

तो यहां से आप और तरीके से निकाल कर उनको देते हैं और वह भीख लेते हैं उसी में से आपको मिलती है। किसी को भी जाये उसी में से मिलती है। जनता का पैसा आप लेते हैं तो यह भी जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस प्रकार का पैसा है इस सारे पैसे को समाप्त करके साधारण जनता के लिए उस पैसे से बिजली और पानी की सुविधा करें तो ज्यादा उचित रहेगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय बीकानेर की उस बस्ती के लिए ध्यान देंगे।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है उसके सिलसिले में मैं यह तो नहीं कहूँगा कि बीकानेर, जोधपुर और जयपुर महाराजाओं को पानी मिलता है वह बन्द कर दिया जाये लेकिन यह मैं जरूर चाहता हूं कि सन् १६५८ और ५६ में जितना पैसा हमने बिजली और पानी मुफ्त देने के सिल-सिले में खर्च किया है वह इस साल करीब करीब दुगुना खर्च करना चाहते हैं। अगर यह गलत है तो सरकार को इसके विषय में ध्यान देना चाहिए। मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि १६५८–५६ में बीकानेर, जोधपुर और जयपुर के महाराजा पर १,८६,७८० रु० खर्च किया है जब कि १६५६–६० में ३,५४,००० रुपया रखा है और इस साल भी इस मद के लिए ३,४४,००० रुपया बजट में रखा है और इसी तरीके से हम देखते हैं कि १६५८–५६ में कितना वास्तविक खर्चा हुआ है उसके मुकाबिले में इस आगे आने वाले साल में १,६७,२२० रुपया अधिक खर्च करते हैं। १६५८–५६ में रुपया ज्यादा खर्च हुआ है। ६० परसेंट हम इस मद के लिए ज्यादा खर्च

Page No.42

(श्री चन्दनमल वैद)

करना चाहते हैं, मैं सोचता हूं कि दूसरी कोई भी मद नहीं होगी जिसमें १६५८–५६ से इकोनोमिक डेवलपमेंट या सोशियल सर्विस में ६० परसेंट की बढ़ीतरी करके खर्च किया गया हो। मैं इन महाराजाओं के लिए जरूर पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ है और अगर यह गलत हुआ है तो इसको सुधारने का प्रयत्न करें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था।

डॉ॰ **चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव तो नरेशों के संबंधियों और सेवकों को मिलने वाले भत्ते के संबंध में है। इस संबंध में सदन में पहले भी कुछ कहा जा चुका है और जो कुछ कहा जा चुका है उसका मैं बहुत कुछ समर्थन करती हूं। यह बात ठीक है कि राज्य के एकीकरण के समय जबकि सारी रियासतें एक हुई तो हमने उनसे कुछ वायदे किये थे और उन वायदों को पूरा करना चाहिए। उसमें किसी तरह की कमी करने के विषय में मैं कुछ सुझाव नहीं देना चाहती हूँ लेकिन इस मद में जो १५,२०,-००० रुपये स्वीकृत हैं उसको देखें तो १,०१,६७५ रुपये हैं नरेशों के भत्ते के लिए हैं १६६०–६१ में। सबसे बड़ी मद है उदयपुर नरेश के दान के लिए और वह ५२,२०० रुपये। क्योंकि उस समय के राजा दान-धर्म प्रवृत्ति वाले थे और यह एकीकरण के समय शर्त मानी होगी लेकिन अब वही परम्परा बराबर चलती रहे तो यह सोचने की बात हो सकती है कि कोई भी राजा या नरेश जो उस रूप में अब नहीं रहे उनको इस प्रकार से अब भी दिया जाये तो यह सोचने की बात है। उसमें जो संबंधियों को राशि स्वीकृत की गई है वह करीब करीब वार्षिक भत्ते के रूप में है और वह अधिकतर राजाओं के संबंधियों और जिसमें अधिकतर राणा, महाराणा, कुछ बेगमें और कुछ इस तरह के हैं तो इनकी स्थिति आज जिस तरह की है उनको सहायता देना सरकार का कर्त्तव्य है और वह देनी चाहिये। क्योंकि इनकी स्थिति आजकल विस्थापितों की सी हो गई है जब कि पाकिस्तान से आने वाले लोग जो कि विभाजन के परिणाम स्वरूप आये जिस तरह की उदारता की नीति उनके साथ बरती थी यदि हम राजपरिवार के इन आश्रितों के साथ भी वही नीति बरतते हैं और उनको किसी तरह की सहायता देते हैं तो वह उचित है। जो भी सहायता दी गई है उसका मैं विरोध नहीं करना चाहती हूं लेकिन कुछ बातें तो वास्तव में समझ में नहीं आती हैं। जैसे अभी एक माननीय सदस्य टौंक की बात कह रहे थे कि केवल टौंक के राजपरिवार का खर्च १,३५,०५७ रुपया है। आखिर क्या वह इतनी बड़ी रियासत थी? क्या वहां की जनता को और सब तरह के फायदे हैं? तो राजघराने के लोगों पर इतनी बड़ी राशि का खर्च करना कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। हमने समझौते में कोई बात स्वीकार की हो और वहां तक करते हैं तो ठीक है लेकिन कहां तक उन शर्तों का पालन करना है और कब तक यह खर्चे चलते जायेंगे, इन नरेशों के ऊपर यह सोचने की बात है।

इसके बाद दूसरा कटौती का प्रस्ताव है जिसके विषय में यहां काफी कहा जा चुका है वह जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के जिले में बिजली और पानी के खर्चे के बारे में है।

(डॉ० चन्द्रकला)

जब नगरपालिका विधेयक पर यहां विचार हो रहा था तो उस समय भी यह बात यहां पर रखी गई थी कि राजाओं और उनके संबंधियों को मुफ्त में बिजली और पानी दिया जायेगा और सभी ने उसको स्वीकार किया। इसलिए उसका यहां विरोध करने का सवाल नहीं उठता। लेकिन समझ में नहीं आता कि इनका खर्चा इतना ज्यादा कैसे है? यह ३,४४,००० रुपया है। बीकानेर का १ लाख जोधपुर का १ लाख और जयपुर का १,४४,-००० रुपया है। तो यह बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है हमारे सामने कि आखिर कितनी बिजली खर्च होती होगी और कितना पानी खर्च होता होगा। कोई पॉवर के रूप में उपयोग करना है तो ठीक है लेकिन पानी का इतना बड़ा खर्चा हो जाये तो यह समझ में नहीं आता....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : सिंचाई में होता है, रामनिवास गार्डन में होता है।

डॉ० चन्द्रकला : ठीक है, पर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? जितना खर्चा पूरे जयपुर शहर का नहीं होता उतना जयपुर नरेश का है। तो यह देखने की बात है तो यह खर्च कब तक होता रहेगा? बीकानेर की बस्तियों में पीने के पानी की स्थिति अभी माननीय सदस्य ने बताई, पर उससे कम जयपुर शहर की बस्तियों की हालत नहीं है। जयपुर में ऐसी ऐसी बस्तियां हैं जहां हजारों की आबादी है वहां पीने के पानी का एक भी नल नहीं है। सदन में भी ऐसी बातें कही जा चुकी हैं। तो एक ओर तो जयपुर शहर में पीने के पानी की सुविधा नहीं और उसके लिए नगरपालिका केवल यह कहती है कि हमारे आर्थिक साधन नहीं हैं और केवल अर्थाभाव के कारण यदि पीने का पानी एक क्षेत्र में नहीं दे सकते हैं और दूसरी ओर जयपुर नरेश के बिजली और पानी पर इतना बड़ा खर्च उठाने के लिए सरकार तैयार होती है तो राजकोष के धन का, जो इस तरह का खर्चा होता है, तो यह समझ में आने वाली बात नहीं है। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगी कि अब तो जयपुर नरेश भी एक नागरिक जैसे हैं, उनके स्वयं के भी साधन कम नहीं हैं वह जहां और भी खर्च करते हैं वह बिजली और पानी के लिए भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है पानी और बिजली उनको वायदे के मुताबिक मुफ्त देनी चाहिये लेकिन उसकी कुछ सीमा तो होनी चाहिए। यह खर्चा यदि जनता के लिए करें तो जयपुर नरेश के प्रति भी जनता की अच्छी सहानुभूति होगी इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि पहले के खर्चे से यह रकम इस बार बजट में ज्यादा क्यों कर दी गई यह समझ में नहीं आता है, तो यह सोचने की बात है। हम लोग आशा यह करते हैं कि इस नाम की रकम कम होते होते एक समय ऐसा आयेगा जब कि यह रकम हमारे बजट में से निकल जायेगी लेकिन अब देखते हैं कि यह बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए यह सोचने की बात है। इसके साथ ही साथ एक ओर नरेशों पर इतनी बड़ी राशि का इन्तजाम करते हैं वहां गरीबों के लिए भी बिजली और पानी को उपलब्ध करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) :

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २७ में मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि भूतपूर्व नरेशों के आश्रितों के भत्ते के नियमों में आवश्यक सुधार किया जाय। मैं अपने इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा नरेशों को दिये जाने वाले व्यय व भत्ते के औचित्य-अनौचित्य पर कोई अपने विचार प्रकट नहीं कर रहा हूं, उनके सम्बन्धियों और आश्रितों को जो धन-राशि दी जाती है, वह भी क्यों दी जाती है, इस पर भी मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, पर मैं एक सिद्धान्त की दृष्टि से, व्यवहारिकता की दृष्टि से उचित समझता हूं कि जिस प्रकार से यह धन-राशि उनको भत्ते के रूप में दी जाती है, उनके नियमों में कुछ आवश्यक परिवर्तन किया जाय और वह इस तरह कि जिन लोगों को यह धन-राशि दी जाती है, उनको हम यह देखें कि यदि वे बौद्धिक योग्यता, शारीरिक क्षमता आदि दृष्टियों से किसी उपयोगी काम के उपयुक्त हैं तो उनसे वह काम लिया जाय, यह जो भत्ता उन्हें दिया जाता है, उसके एवज में उनसे काम लिया जाय। मेरा मतलब यह है कि यह धन यदि उन महिलाओं को दिया जाता है, बूढ़े और ऐसे लोगों को दिया जाता है, जो किसी उपयोगी काम में नहीं आ सकते, तो उनकी बात छोड़ दी जाय। बाकी जो लोग अच्छे हट्टे-कट्टे हैं, युवक हैं, ऐसे जो आश्रित व्यक्ति हैं, उन्हें मुफ्त में नहीं दिया जाय। बदले में उनसे काम लिया जाय। मैं यह कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। आज की सरकार को हम जनतन्त्र की सरकार, समाजवादी सरकार, कल्याणकारी सरकार मानते हैं, पर मैं उस युग की बात करता हूं जब हमारे यहां निरंकुश नरेश थे, जब हमारे यहां सामन्ती शासन था उस वक्त, मुझे खास तौर से भरतपुर का ध्यान है कि राजा महाराजाओं के आश्रितों, रिश्तेदारों के लिये, जो उस समय के राजाओं के दीवान होते थे, श्री टोटनहम, श्री के. पी. एस. मैनन, दीवान थे उन्होंने कानून बनाया था कि महाराजा के सम्बन्धी, रिश्तेदार, खान-पीने, पाने वाले जो आश्रित यहां हैं, उनको जो रकम दी जाती है, उसके बदले में उनसे काम लिया जाय। उनके जो भाई बहनोई, या निकट सम्बन्धी थे उनसे भी एवज में काम लिया जाता था। यह नियम था कि या तो उसके बदले में जो सर्विस, सेवा उन्हें दी जाय वह करें नहीं तो जो उनको खान-पान भत्ता दिया जाता था, वह बन्द कर दिया जाय। सौंपे गये काम को न करने की सूरत में, वह भत्ता बन्द कर दिया जाता था। उस समय में यह कानून था। आज, मैं समझ नहीं पाता कि राजा-महाराजा जब कि सार्वभौम सत्ता उन्हीं में निहित थी, उन्होंने इस प्रकार के नियम बनाये थे, तो आज की सरकार, जो अपने आपको जनता की सरकार कहती है, ऐसे नियम क्यों नहीं बनाये ?

दूसरी दृष्टि से भी मैं इसे परमावश्यक समझता हूं। जब तक जागीरदारों की जागीरदारियां खत्म नहीं हुई थीं, इस तरह के और लोग थे जिन्हें बिना मेहनत के पैसा मिलता था, तो कोई शिक्षित, समझदार जागीरदार मुझसे मिले थे और कहा कि हम निश्चित रूप से यह आवश्यक समझते हैं कि हमारी जागीरदारी समाप्त की जाय, इसके रहते हुए हमारी संतति ठीक राह पर नहीं चल सकती, इससे शराबखोरी और दूसरी कई बुराईयां उनमें पैदा हुई हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुफ्त का पैसा हमारे घरों में आ जाता है।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

तो वे इस बात का स्वागत करते थे कि जो बिना किसी आयास के, अनायास ही रकम मिल जाती है, वह चीज खत्म की जाय। तो उन लोगों को जागीरदारी समाप्त होने पर कुछ उपयोगी कामों में लगा दिया गया।

आज हम बजट में देखते हैं, राजा महाराजाओं के बहनोइयों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को दो–दो, चार–चार हज़ार रूपया दिया जाता है, वे फौज में, पुलिस में, रेवेन्यू महकमों में और दूसरे और कितने ही महकमें हैं उनमें जिन जगहों पर दूसरे लोगों को लगाना पड़ता है और हज़ार–हज़ार, पांच–पांच सौ रुपया देना पड़ता है, वहां काम पर इन्हें लगाया जा सकता है। उन लोगों को अलग देते हैं, और इन नरेशों के आश्रितों, रिश्तेदारों को अलग देते हैं, इनको मुफ्त में दिया जाता है, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि भरतपुर राज्य में जिस प्रकार का नियम था, कानून था, दूसरी भूतपूर्व रियासतों में ऐसा कानून था कि नहीं यह राज्य सरकार देख सकती है, पर भरतपुर में तो यह निश्चित बात है, कि इस प्रकार का कानून था, कि इन आश्रितों को भत्ता देते थे, तो इसके बदले में उनसे काम लेते थे और वह काम जनता का काम होता था, जिन जगहों पर रेगुलर सर्विस के लोगों को लगाना पड़ता है, उन जगहों पर ये लोग काम करते थे। तो यह उचित होगा, कि उन लोगों से बदले में काम लिया जाय। जो निराश्रित बुढ़ियाएं हैं, उनको आप दीजिये, पर जो लोग काम करने लायक हैं, शारीरिक दृष्टि से ठीक हैं, पढ़े–लिखे हैं, उनको जो भी भत्ता देते हैं, उसके बदले में उनसे काम नहीं लेते तो यह जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है। इधर तो यह धन का दुरुपयोग है, उधर उन लोगों की आदतों में, चरित्र में गिरावट आती है। उस खाली समय में, उनको कोई मेहनत, उपयोगी काम नहीं करना पड़ता। वे समझते हैं कि बिना काम किये ही महीने का महीने हमें भत्ता मिल ही जायगा, तो इस तरह "Empty mind is a devil's work-shop." उनका दिमाग डेविल्स वर्कशॉप बन रहा है, इसका उन पर बुरा असर पड़ता है। तो उनके हित में उन लोगों के, सुधार की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि हम इन लोगों से उपयोगी काम लें और इसके बदले में जो भत्ता उन्हें दिया जाता है, वह दिया जाय। हमारे बजट में एक बहुत बड़ी रकम ऐसे लोगों को मुफ्त में दी जाती है, इसकी हमारे कोष पर दोहरी मार पड़ती है, इधर तो जनता के कोष में से पैसा निकाल कर इनकी व्यवस्था के लिये बिना किसी उपयोग के दिया जाता है, और दूसरी ओर जिस काम को ये लोग कर सकते हैं, उस काम के लिये दूसरे लोगों को रखना पड़ता है, और इस कार्य के लिये उन कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है।

इसलिये जनता के पैसे का सदुपयोग करने के लिये यह परमावश्यक है कि जिन लोगों को भत्ता देते हैं, उन लोगों की बुद्धि और शरीर की दृष्टि से उपयोगी कार्य उनसे लिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं और आशा करता हूं कि इसको स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (रावराजा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

श्री सरदारसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : (रावराजा श्री सरदारसिंह को संबोधित करते हुए) केवल दो मिनट दिये जाते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २७ पर अधिकांश माननीय सदस्यों के दो बातों पर कट मोशन्स हैं। एक तो यह कि नरेशों को बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिये और दूसरा उनको पानी नहीं मिलना चाहिये और उनके परिवार वालों को गुजारे के लिये कैश में रुपया नहीं मिलना चाहिये। एक छोटी सी बात पर इतना बवन्डर फैलाया जा रहा है। लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि बिजली नहीं मिलनी चाहिये, पानी नहीं मिलना चाहिये उस पर तो आपकी दृष्टि है लेकिन राजा महाराजाओं ने जो त्याग किया है उसके फलस्वरूप उनको जो सुविधा दी गई है उसको आप छीनना चाहते हैं। आज आप देखेंगे कि भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहां ब्लडलेस रिवोल्युशन हुआ है। आपका इस तरफ ध्यान नहीं जाता है और आपका ध्यान उनके बिजली और पानी की तरफ जाता है। यह आज राजस्थान के बनने का गौरव राजा और महाराजाओं को है कि जिन्होंने त्याग करके राजस्थान बनाया है जिनकी बदौलत आप यहां पर बैठे हुए हैं। बिजली के लिये और पानी के लिये....

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : Are we here for them...

रावराजा श्री सरदारसिंह : सीलिंग भी हो गया है कि इतनी बिजली और इतना पानी उनको दिया जावेगा। उसी के अनुसार अब उनको पानी और बिजली दी जावेगी।

दूसरा आपने यह कहा कि उनके परिवार के लोगों को नकद रुपया नहीं दिया जाना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि कहीं कहीं तो नगदी रुपया दिया जाता था और कहीं कहीं पर उनके परिवार वालों को जागीर दी गई थी। जिनके पास जागीर थी उनको तो आपने मुआवजे के रूप में रुपया दे दिया और अब आप यह कहते हैं कि जिनको नकदी के रूप में मिलता था उनको नहीं मिलेगा, यह उचित नहीं है। फर्क नकदी और जागीर में कुछ नहीं पड़ता। जागीरें थीं उनको तो मुआवजा मिल जावेगा और जिनको नकदी मिलता था उनको नकदी के रूप में दिया जावे। मैं यही कहता हूं कि आपको इतनी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये। अगर आप में त्याग की ही भावना है तो आप भी त्याग कीजिये और सभी सदस्य सदन के यह कहें कि हम अपने २५०) रु० माहवार जो मिलते हैं उनको छोड़ते हैं और टी. ए. और. डी. ए. को भी जनता की सेवा करने के लिये छोड़ते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आपको ऐसी छोटी छोटी बातों को छोड़ देना चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर जो कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं बिजली और पानी नरेशों को बन्द करने के लिये, मैं यह कहूंगा कि इन छोटी छोटी बातों के लिये इस प्रकार के प्रश्न यहां उठाना शोभा

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

नहीं देता और इसमें थोड़ी सी हमारे दिल को ठेस लगती है और पब्लिक को भी इससे क्लेश होता है ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : जनता तो इससे खुश होती है । अब त्याग क्यों नहीं करते ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप यह कहते हैं कि त्याग अब क्यों नहीं करते । वह त्याग उस समय होगा जिस समय त्याग की आवश्यकता होगी । राजा और उनके डिपेन्डेन्ट्स जो हैं और जिनको भत्ता मिलने के लिये आप लोग छोटी २ बातों के लिये इतना कहते हैं, मगर वह समय भगवान करे बादलों में ही रहे और यहां पर न आवे तो अच्छा है, अन्यथा आपको मालूम हो जाएगा कि त्याग क्या है । राजाओं ने जो त्याग किया हैं, उन्हीं राजाओं के खून से गर्वित होकर राजस्थान की भूमि आज पवित्र हुई है ।....

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : एक भी राजा ने खून नहीं बहाया है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : और उन्हीं राजाओं के नाम से आज यह राजस्थान बना है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : यह गलत है । राजस्थान राजपूतों के नाम से है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं यह कहूंगा कि राजाओं ने जो खून बहाया है उसके लिये उनकी पीढ़ियाँ पर पीढ़ियां खत्म हो गईं । सात–सात पीढ़ियां इसके लिये खत्म हो गईं और वह समय फिर आवेगा जिस समय आप लोग यह देखेंगे और आपको अपने पर उस समय पछताना होगा कि हमने क्या किया है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर यह प्रश्न राजाओं के पास आए तो वे खुशी के साथ छोटी–मोटी चीजों को तोड़ कर फैंक सकते हैं और दूसरों को फिर मार्ग बता दें । मेरा तो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा राजस्व मंत्री से यही निवेदन है और मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस प्रकार की छोटी २ चीजों में इस सदन में ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये और न वे सदन में आनी चाहिये । इस सदन में जो सदन राजा महाराजाओं के खून से....

श्री मोतीलाल : Mr. Speaker, I put serious objection to this.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इस तरह की बातें यहां पर नहीं आनी चाहिये और अगर इसका प्रश्न रहेगा तो और चीजों का प्रश्न भी होगा, तो शायद उसका नतीजा भोगना पड़ेगा ।

(श्री मोतीलाल के बोलने के लिये होने पर ।)

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मोतीलाल: मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है । राजस्व मंत्री जवाब देंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कुछ कह दूं।

श्री मोतीलाल : केवल दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : अच्छा केवल दो मिनट।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष हमने जो प्रिवीपर्स के बारे में, नरेशों को बिजली और पानी के बारे में रुपये रखे हैं, मैं, सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, उनका समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में लाखों आदमी ऐसे हैं जिनको पानी पीने के लिये नहीं मिलता है और उधर राजा और नरेश हैं जिनको पानी का टैक्स माफ किया जाता है। इसलिये उनको यह माफ नहीं होना चाहिये और यह पैसा उनकी प्रीवीपर्स से लिया जाना चायिये। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको जो इस प्रकार का प्रिविलेज है उसको कट किया जावे।

इसके साथ साथ दूसरी बात मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां मिनिस्टरों के बंगलों से पुलिस गार्ड को विथड्रॉ कर लिया गया है लेकिन अभी तक राजा-महाराजाओं के यहां पर इस प्रकार की गार्ड है जिसका खर्चा एक लाख या १॥ लाख के करीब पड़ता है उसको भी हटाना ...

श्री अध्यक्ष : आपका इस सम्बन्ध में कोई कट मोशन नहीं है। आप कट मोशन लाकर बोलते। अगर आप इस पर बोलने को इतने उत्सुक थे तो आपको कट मोशन लाना चाहिये था।

श्री मोतीलाल : अब जो जोबनेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस तरह की बातें सदन में नहीं आनी चाहिये और यह सदन राजा-महाराजाओं के खून से बना हुआ है। इसके लिये हम यह कह सकते हैं कि यह राजा महाराजा के खून से नहीं बल्कि गरीब जनता का खून चूस कर बनाया गया है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! भाषा जो आप यूज़ कर रहे हैं वह ठीक नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, कट मोशन्स दो-तीन मुद्दों को लेकर यहां पर रखे गये। इसमें बहुत कन्ट्रोवर्सी होने आवश्यकता नहीं है। अगर माननीय सदस्यों को यह जानकारी होती कि उनको यह बिजली पानी फ्री देने का कन्सेशन किस बेसिस पर है तो यह बात पैदा नहीं होती। अगर यह बात उनको मालूम होती तो इतनी कन्ट्रोवर्सी होने की जरूरत नहीं थी। जैसा की उनियारे से आने वाले और जोबनेर से आनेवाले माननीय सदस्यों ने कहा है कि राजाओं का त्याग है, इसमें कोई शक नहीं और राजस्थान को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और इसके लिये हमारे प्रधान मन्त्री और बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है और सराहना की है, इसके लिये मुझे बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है और जिस पर यह कन्सेशन दिया जा रहा है उसकी जानकारी हो तो कोई माननीय सदस्य इस बात के लिये नहीं चाहेगा कि जो कोवेनेन्ट का एग्रीमेंट राजस्थान सरकार ने किया, चाहे वह उनकी प्राइवेट प्रोपर्टी से लिहाज से या और किसी के लिये किया उसको हमें ओनर करना चाहिये और उसको ओनर करना

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। हम राजा-महाराजाओं को इसके लिये बाइन्ड नहीं कर सकते कि उन एग्रीमेंटों को तोड़ते रहें। हमको देखना है कि जिस वक्त इन्टीग्रेशन हुआ और एग्रीमेंट हुआ जितने भी कन्सेशन्स उनको दिये गये हैं उनको हमें बगैर किसी कन्ट्रोवर्सी के, ग्रेस के साथ बदस्तूर कायम रखना है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भरतपुर की बात बताई और कहा कि उनके रिश्तेदारों से काम लिया जाता था। मैं समझता हूं कि उनसे कोई काम नहीं लिया जाता था। मैं भी जानता हूं कि खानपान अलाउन्स के रूल्स थे, मगर उनके साथ उनके भाई, बहिन, मां आदि होते थे जिनको अलाउन्स दिये जाते थे। मगर वे कोई काम नहीं करते थे। उनको अलाउंस दिये जाते थे। आजकल जिस प्रकार का बिजली और पानी का प्रश्न है, सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ५८–५६ में इतना खर्चा होगा और ६०–६१ में भी इतने ही रुपयों की मांग है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि अब तो इसके लिये सीलिंग है कि इससे ज्यादा बिजली पानी खर्च नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो उनको अपने प्राइवेट प्रिवीपर्स से, ज्यादा खर्च को, चुकाना होगा। इन तीन नरेशों की प्राइवेट प्रोपर्टी....

श्री चन्दनमल वैद : आपने रिवाइज्ड एस्टीमेंट में भी उतना ही मांगा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सीलिंग मुकर्रर किया हुआ है, उसके माफिक ही मांगा है। अगर वे इससे ज्यादा खर्च करेंगे तो वे अपने प्रिवीपर्स से देंगे और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि वह ८ परसेंट है यह हमने डिसिज़न ले रखा है।

१ म० प०

गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने राजाओं के साथ प्राइवेट पोपर्टी का एग्रीमेन्ट किया था और उसके अनुसार यह शर्त थी कि उनको फ्री वाटर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जावेगी स्टेट की ओर से। इसके लिए हमने सीलिंग मुकर्रर कर दिया है कि इससे एक्सीड नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : क्या सीमा निर्धारित की ? पर्सेन्टेज है क्या कोई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : "It was decided in 1956 that the free supply of electricity and water to H. H. the Maharaja of Jaipur should be limited to 8% of his Privy Purse from 1.4.46. In case of Bikaner and Jodhpur it was fixed at 10% of the Privy Purse for first three years and thereafter at 8% of the Privy Purse."

यह उनके लिए सीलिंग की है और सीलिंग के लिहाज से अमाउन्ट दिया गया है। मैं आपको यह ५८-५६ का बता रहा हूँ। जो बिल आये वे एडजस्ट हो गये और वही बताया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि तीन लाख की जो सीलिंग है उससे ज्यादा आवेगा तो हम देंगे, लेकिन इससे नीचे आवेगा तो हम देंगे, ऊपर आने की हालत में राजाओं को स्वयम् को अपने प्रीविपर्स में से देना होगा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसके अलावा राजाओं के रिश्तेदार हैं, जनानी ड्योढ़ी वाले हैं, उनके ऊपर कहा। उसके लिए अर्ज करना चाहता हूं कि रूलर्स के साथ एग्रीमेन्ट्स हुए हैं और उसके लिए गवर्नमेंट आँफ इन्डिया ने प्रिन्सिपल्स लेड डाउन कर दिये थे कि रूलर्स को कितना अलाउन्स दिया जावेगा उनकी फेमिली के लिए। राजाओं के जो डिपेन्डेन्ट्स हैं, जैसे उनकी फेमिली में ब्रदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, और डिपेन्डेन्ट्स हैं उनको मेन्टीनेन्स अलाउन्स के नाम से वे अपनी रियासत के समय से दिया करते थे। जब इन्टीग्रेशन हुआ तो गवर्नमेन्ट आँफ इन्डिया के सामने यह सवाल आया कि इनकी लाएबिलीटी के बारे में किस प्रकार से होगा। इसके गवर्नमेन्ट आँफ इन्डिया ने प्रिन्सिपल्स लेड डाउन किये और राजस्थान सरकार पर इसकी लाएबिलीटी रखी है। मिसाल के तौर पर, राजमाता या दादी हैं, जिनको उस वक्त स्टेट में अलाउन्स मिलता था वह बदस्तूर मिलता रहेगा। जो उनकी अनमेरीड डॉटर्स हैं, बहिनें हैं, उनको अलाउन्स उनकी शादी होने तक मिलता रहेगा। इसी तरह से जो रूलर्स के माइनर भाई हैं तो उनके मेजर होने तक, २५ साल के जब तक न हो जावें तब तक उनको अलाउन्स मिलता रहेगा उसके बाद उनका अलाउन्स बन्द हो जावेगा। इसके अलावा जो रूलर्स को अलाउन्स मिलता था, उनकी लाइफ तक मिलेगा, उनकी लाइफ के बाद खत्म हो जावेगा। जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या, जो इस समय नहीं हैं, ने जयपुर की जनानी ड्योढ़ी के लिए कहा था कि इसको रेगुलेट करना चाहिये। जयपुर की जनानी ड्योढ़ी के लिए वास्तव में कहा जाता है लालजी वगैरह का वह तो स्पेशल लायेबिलीटी गवर्नमेंट आँफ इन्डिया ने राजस्थान गवर्नमेंट पर रखी है और प्राइवेट प्रोपर्टी सेटलमेंट में यह बात रखी गई है कि जनानी ड्योढ़ी के डिपेन्डेन्ट्स रहेंगे, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, उनको अलाउन्स उनकी जिन्दगी तक देना होगा। यह जिम्मेदारी राजस्थान गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट आँफ इंडिया द्वारा रखी गई है प्राइवेट प्रोपर्टी सेटलमेंट में। इसकी रद्दोबदली नहीं हो सकती, न ही यह हमारे हाथ में है। यह अलाउन्स, जैसा कि अर्ज किया कि गवनमेंट आँफ इंडिया ने जिस २ तरह से डाला कॉवेनेन्ट की शर्तों के अनुसार डाला है। युनिलेटरल चीज़ नहीं कर सकते हैं कि चूंकि एक जगह पीने का पानी नहीं मिलता इसलिए उनको पानी नहीं देना चाहिये। मैं कहूंगा कि अपने लिए यह दलील देना ठीक नहीं है। यह वाजिब भी नहीं है। मैं उस कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, जिस कन्ट्रोवर्सी में जोबनेर से आये माननीय सदस्य पड़े थे....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह तो उनके सवाल का जबाब था।

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा सवाल था उदयपुर हिज़ हाईनेस को दो लाख चेरिटी पर्पज़ के लिए देने का। इसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि प्राइवेट प्रोपर्टी सेटलमेंट में पांच लाख रुपया उदयपुर हिज़ हाइनेस को चेरिटीज़ पर्पज़ के लिए खर्च करने के लिए दिया गया था, यह कवेनेन्ट में शर्त थी। गवर्नमेंट आँफ इन्डिया ने यह शर्त की थी....

श्री अध्यक्ष : लेट हिज़ हाइनेस के

(श्री अध्यक्ष)

लिए पांच लाख रुपया....

श्री दामोदरलाल व्यास : लेट हिज़ हाइनेस के लिए था, उनकी डेथ हो गई। बाद में प्रेज़ेन्ट हिज़ हाईनेस ने रिप्रेज़ेन्ट किया कि उनके चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन्स इतनी हैं कि उनके लिए उनको एक दम बन्द कर देना मुश्किल है। तो राजस्थान सरकार ने पांच साल तक देना तय किया, जिसकी अवधि जुलाई ६० में खत्म हो जावेगी, उसके बाद देने का सवाल नहीं है। तो इसका ओरिजन इस तरह से हुआ; जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि भरतपुर स्टेट के समय में ऐसा नहीं था। लेकिन मैं उनको बताऊं कि कवेनेन्ट में शर्त थी, प्राइवेट प्रोपर्टी एग्रीमेन्ट में शर्त थी। उसको ओनर करना चाहिये और ओनर न करने के लिए सलाह देना उचित नहीं होगा। इसलिए माननीय सदस्यों से जिनके कट मोशन्स पेश हुए वे मेरे जवाब से सन्तुष्ट होंगे, मैं उनको निवेदन करूंगा कि उनको वापिस ले लें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भरतपुर के लिए मुझे निश्चित मालूम है कि जब महाराजा का प्रिवी पर्स का निश्चय किया था तो उस समय भाई वगैरह का सब के लिए निश्चित कर दिया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यह बता दीजिये कि यह कहां लिखा है कि उनकी मां को अलाउन्स दिया जावेगा, उनकी बीबी को अलाउन्स दिया जावेगा तो उनको यह काम करना पड़ेगा। खान–पान का अलाउन्स है। इसका मतलब ही स्पष्ट है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भाइयों से काम लिया जाता था, सर्विस में थे।

एक माननीय सदस्य : नौकरी की तनख्वाह मिलती थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक्स्ट्रा मिलती थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मुझे मालूम है। मैं जानकारी रखता हूं, ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : I beg leave of the House to withdraw my cut-motions.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : I withdraw my cut motions.

श्री चन्दनमल वैद : माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया मुझे उससे पूरा सन्तोष हो गया है इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री चन्दनमल वैद ने प्रस्तुत

(श्री अध्यक्ष)

किया हैं उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वैद : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मंत्री महोदय ने भी उस पर प्रकाश नहीं डाला, इसलिए मैं वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २७ मुख्य शीर्षक ५४-ख-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१, के समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,२०,०००) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

१.६. म. प.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९ —जन—स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१, के समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को २,६९, ३९ ०००) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री लक्ष्मण हीरात ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :]

श्री लक्ष्मण हीरात

(१) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९–जन–स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (उदयपुर डिविजन में तहसील हैड क्वार्टरों पर जन–स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने पर विचार हेतु)

श्री मूलचन्द डागा :

(3) That the Demand No. 17 Major head 39- Public health be reduced by Re. 1/- (To discuss that the strength of staff in Public Health Establishment does not commensurate with the benefit provided to the Public thereby).

(23) That the Demand No. 17, Major head 39-Public health be reduced by Re. 1/-(To open family planning centre in labour Colony in Pali Tehsil).

(२४) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९–जन–स्वाध्य में १) रु० की कटौती की जाय (पाली तहसील में मेटरनिटी सेन्टर खुलवाने के लिए विचार करने हेतु)

(२५) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९–जन–स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (पाली तहसील के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)

(३२) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९–जन–स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (जन–स्वास्थ्य सम्बन्धी साहित्य के प्रचार की कमी पर विचार करने हेतु)

(३३) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९–जन–स्वास्थ्य में १)रु०की कटौती की जाय (जन–स्वास्थ्य प्रतियोगिताओं के आयोजन की कमी पर बहस करने हेतु)

श्री भैरवलाल 'काला बादल' :

(५) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (जन स्वास्थ्य के प्रसार की कमियों के कारण जनता में असन्तोष पर विचार करने हेतु)

श्री पी. के. चौधरी :

(7) That the Demand No. XVII, Major head 39-Public health be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to estallish a maternity Centre in the Government Hospital at Phulera).

(8) That the Demand No. XVII, Major head 39- Public Health be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to implement the Water Supply Scheme at Kishangarh-Renwal and to bear its maintenance cost for first two years as agreed upon).

(13) That the Demand No. 17, Major head 39-Public health be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to solve the drinking water problem in the rural areas of Rajasthan).

रावराजा श्री सरदारसिंह :

(१०) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६–जन–स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (उनियारा क्षेत्र में जन–स्वास्थ्य केन्द्र के अभाव पर विचार करने हेतु)

श्री मोतीलाल :

(११) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (फेमिली प्लानिंग पर बहस करने हेतु)

(१२) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६–जन–स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (गांवों में स्वच्छ जल व्यवस्था पर बहस करने हेतु)

श्री अनूपसिंह :

That the Demand No. 17, Major head 39-Public health be reduced by Rs. 100/-(To discuss the inefficiency of the Public Health Establishment).

(27) That the Demand No. 17, Major head 39-Public health be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to supply drinking water in scarcity areas of Barmer District).

श्री मुरलीधर व्यास :

(१५) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६–जनपुस्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय [राज्य में मिडवाइफ व नर्सों (Midwives and Nurses) के ट्रेनिंग की समुचित व्यवस्था के बारे में विचार करने हेतु]

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :

(१८) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६–जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले के कस्बों व गांवों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था न किये जाने पर बहस हेतु)

श्री चन्दनमल वैद :

(19)That the Demand No XVII,Major head 39-Public health be reduced by Re 1/-(To discuss the failure of the Government in carrying out family planning programmes).

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

(२०) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६–जन–स्वास्थ्य में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्राम जल प्रदाय योजना की असफलता पर विचार करने हेतु)

(३८) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६–जन–स्वास्थ्य में १००) रु० की कटौती जाय (राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम में सरकार की असफलता पर विचार करने हेतु)

श्री रामचन्द्र :

(२१) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६–जन–स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले के अर्बन क्षेत्रों में जन–स्वास्थ्य के प्रबन्ध के अभाव पर बहस करने हेतु)

(३४) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६–जन–स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले में जन–स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव पर बहस करने हेतु)

श्री लक्ष्मीचन्द :

(२६) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक

(श्री लक्ष्मीचन्द)

३६-जन-स्वास्थ्य में १)रु० की कटौती की जाय (सेनीटरी इन्सपेक्टर, भीनमाल सब-डिविजन में, एक ही होने पर विचार करने हेतु)

मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६-जन-स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (जिला जालोर की सांचोर तहसील में पीने का मीठा पानी नहीं मिलने के कारण मनुष्यों के स्वास्थ्य पर विचार करने हेतु)

श्री लादूराम सुलाणिया :

मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६-जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील दूदू में हैल्थ सेन्टर खोलने पर विचार करने हेतु)

श्री भीमसेन :

(४२) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६-जन-स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (कस्बा लूणकरणसर व गांव रूणियांवास सेरेरां, जिला बीकानेर के लिए जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण पर बहस करने हेतु)

(४३) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६- जन१स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम जल प्रदाय योजनाओं के लिये अधिक धनराशि का प्रावधान करने पर बहस हेतु]

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १७ पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष, जब से हमारा देश आजाद हुआ उसके साथ साथ जब हमारे राज्य को आजादी मिली तब से हम जन-स्वास्थ्य के बजट को देखते हैं तो इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है; यह तो बड़ी खुशी की बात है। इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इसके लिए सरकार को धन्यवाद जरूर देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, मैं जल्दी जल्दी और थोड़े समय में सदन का ध्यान उदयपुर डिविजन की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरा जैसा कि कटौती का प्रस्ताव है "उदयपुर डिविजन में तहसील हैडक्वार्टरों पर जन-स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने पर विचार हेतु"। माननीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि हर तहसील में जन-स्वास्थ्य केन्द्र हों। जैसा कि हमारे कोटड़ा में एक अस्पताल है। वहां की जन-संख्या करीब ५० हजार के है और वह आदिवासी इलाका है। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मेरे कटौती के प्रस्ताव में कहा गया इस इलाके में सबसे बड़ी बीमारी नाहरू होती है। और यह बीमारी करीब करीब सभी जिलों में है और कुछ तहसीलों में तो विशेष-कर है। जिस बीमारी के बारे में मैं गत वर्ष भी निवेदन कर चुका हूं इस बीमारी का अभी तक कोई खास इलाज नहीं ढूंढ पाये है, इस ओर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये। आदिवासी इलाके में एक परिवार में यदि एक आदमी इस बीमारी में पीड़ित रहता है तो मान लीजिये सारा परिवार पीड़ित है; ऐसा महसूस होता है, इस ओर हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

दूसरा हमारे यहां मलेरिया भी बहुत होता है। मलेरिया की बीमारी से आदिवासी अधिकतर बीमार रहते हैं। इसलिए रोजमर्रा का जो उनका धंधा होता है खेती का, वे उसको पूरी तरह से नहीं कर पाते। इस वजह

(श्री लक्ष्मण हीरात)

से उनको जो १२ महीने का खाने के लिये कमाना होता है वह कमा नहीं पाते। इस ओर भी हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

इसके अलावा एक बात और है कि वहां डॉक्टरों की बहुत कमी है, इससे भी जनता आसानी से जाकर इलाज नहीं करा पाती। ऋषभदेव में एक बच्चा पानी में डूबने से मर गया। उसकी लाश की बिना डॉक्टर के चीर फाड़ नहीं हो सकी। इसी प्रकार के किस्से सारे डिविजन में कई होते हैं। डॉक्टर लोग नहीं मिलते इसलिए चीर-फाड़ नहीं होती। इसलिए जल्दी से जल्दी नहीं देख पाते। डॉक्टरों की कमी है, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूँ और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस इलाके की ओर ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने इस बार जन-स्वास्थ्य के लिये १,६१,५७ हजार रुपये खर्च करने के लिये मांगा है। हम इस राशि को देख कर अन्दाज़ लगा सकते हैं कि राजस्थान के जन-स्वास्थ्य के लिये कितनी बड़ी धन-राशि खर्च की जाती है। मैंने इन आंकड़ों को फिर जोड़ा और मुझे मालूम हुआ कि १,६७,५७ हजार रुपये में से १ करोड़ और कुछ रुपया एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्च होता है। यह तो १ करोड़ और ६७ लाख और ५७ हज़ार की राशि है, उसमें से १ करोड़ रुपया जब केवल एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च करते हैं तो बाकी दवाइयों आदि के लिये क्या रह जाता है? इसमें कुछ दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। आपने केवल पचास लाख रुपया पंचायतों को पानी के लिये दिया। इतनी धनराशि खर्च करने के बाद १६७ लाख रुपया डेढ़ करोड़ जनता पर खर्च करते हैं। इतना खर्च करने के बावजूद भी राजस्थान का जनस्वास्थ्य कैसा है, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं यह मान कर चलता हूँ कि इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी राजस्थान की जनता का जन-स्वास्थ्य किसी हालत में अच्छा नहीं हुआ इसलिये मैं हैल्थ सर्वे और डेवेलपमेंट कमिटी की जो रिपोर्ट है उसमें हैल्थ को क्या इम्पोर्टेन्स दी है, वह मैं एक सेन्टेन्स में बताना चाहता हूं।

"A nation's health is perhaps the most potential single factor in determining the character and extent of its development and progress, and any expenditure of money and effort on improving the nation's health is a gilt edged investment yielding immediate and steady returns in increased productive capacity."

अगर आप एक करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं और उसके बाद समझते

(श्री मूलचन्द डागा)

है कि डेढ़ करोड़ जनता का स्वास्थ्य सुधार लिया तो यह बिल्कुल गलत है। आप सोचते होंगे कि इतना रुपया खर्च करने के बाद बहुत सारे लोग लाल हो गये या बहुतों का रंग सेव की तरह हो गया, तो यह आपका भ्रम है। आप देखेंगे कि बीमारों की संख्या बढ़ी है, गंदगी के ज्यादा ढेर लगे हैं, शहरों में ज्यादा गन्दगी बढ़ी है, हलवाइयों और होटलों में ज्यादा गन्दगी बढ़ी है। आप स्वास्थ्य की दृष्टि से सोचें कि यहां की जनता की हेबिट्स में कितना सुधार हुआ है? आप किन्हीं पब्लिक लेट्रिन्स में जाइये, आपको मंत्र-महा मन्त्र लिखे हुए मिलेंगे, युरीनल्स में जाइये बहुत गन्दी मिलेंगी। लाखों रुपया आप जन-स्वास्थ्य के लिये खर्च कर रहे हैं लेकिन आखिर जाकर हालत यह है। आज तपेदिक के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप ज्यादा होस्पिटल्स चलाने की सोच रहे हैं। लेकिन हैल्थ डिपार्टमेंट को जो प्रिवेन्टिव मेज़र्स लेने चाहिये वे लेते हैं या नहीं, यह देखना चाहिये। हमारे स्वास्थ्य विभाग का इस ओर ध्यान नहीं इसलिये अर्ज करूंगा कि जितना एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है उतना इसके साहित्य-प्रचार पर खर्च नहीं हो पाता। आप इस सम्बन्ध में लिटरेचर दें, सुन्दर और सजग भाषा में दें, हिन्दी भाषा में पंचायतों को साहित्य दें ताकि उस साहित्य को पढ़ कर लोगों को ज्ञान हो। पानी छान कर पीने से या बिना छाने पीने से कोई ज्यादा असर नहीं होता लेकिन जहां तक जन-स्वास्थ्य की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने का सवाल है सुन्दर आर्टिकल्स लिखे जाने चाहिये, प्रतियोगितायें होनी चाहिये। हमारे जन-स्वास्थ्य के बारे में इन बातों की बहुत कमी है, यह होना आवश्यक है। अगर प्रचार होता है तो उससे जनता पर काफी असर पड़ सकता है। स्कूलों में कम्पीटीशन होना चाहिये। इसके सिवाय मैंने एक बात बताई प्रतियोगिताएं होनी चाहिये। मिस मैसोर, मिस इण्डिया प्रतियोगिताएं होती हैं। मैं चाहता हूं ऐसी प्रतियोगिताएं करनी चाहिये कि कौन खूबसूरत आदमी है, कौन सबसे अधिक स्वस्थ है, कौन पहलवान है। आप राजस्थान में इस तरह की प्रतियोगिताएं रखें ताकि इस तरह के संगठन सामने आवें और उनको प्रोत्साहन मिले कि कौन अच्छा खिलाड़ी है, कौन अच्छा पहलवान है, कौन अच्छा तैराक है, कौन अधिक तन्दरुस्त रहता है, किसकी पंचायत अच्छी है जो इस बारे में काफी काम करती है। इससे फिज़िकल एज्युकेशन को बढ़ावा मिलेगा। आप भी इसको बढ़ावें। इस बारे में हैल्थ सर्वे ने भी लिखा है। मैं उसकी दो-चार लाइनें आपको सुनाता हूं: "We recommend that in cities and in important towns local authority should direct more attention than has so far been given to the organisation of suitable forms of recreation for the non-student population. Playgrounds, parks, wrestling arenas and swimming pools should be provided."

पाली में पानी बहुत है। आप वहां स्विमिंग पूल चला सकते हैं, अखाड़े खोल सकते हैं, बगीचे, गार्डन्स लगा सकते हैं जहां जाकर लोग अपने स्वास्थ्य को सुधार सकें। आप इसका बहुत प्रचार करिये। सीधी साफ भाषा में लोगों तक यह साहित्य पहुँचाइये। फिर उसने आगे लिखा है: "All existing volu-

(श्री मूलचन्द डागा)

ntary organisations promoting mature sports should be encouraged and whenever possible given grants-in-aid. While local authority should be the instrument of carrying out this scheme of physical education for the community, the Government should help them financially and with technical advice. The provincial organisation which we have recommended will be responsible for giving such advice and for recommending the distribution of grants-in-aid for the development of physical education schemes." यह सब करने के बाद आप स्वास्थ्य के मामले में आगे बढ़ सकते हैं।

फिर आप फेमिली प्लानिंग की बात करते हैं। मैं जानता हूं इसकी माननीय मन्त्री महोदय ने शुरुआत कर दी है। और भी कई मेम्बर्स अनुकरण करेंगे। पर इसके साथ यह भी जरूरी है कि हर एक आदमी में आप विश्वास पैदा करें, आप उन तक साहित्य पहुँचाइये। सारी स्कीम और उसके फायदे रखिये उनके सामने। "If we believe that limitation of family is advisable, we should first ask ourselves the question whether it is possible that this can be secured through self-control. Our answer must be, we fear, not to any material extent."

आपने इम्मोरल ट्राफिक एक्ट पास कर दिया। पर इसकी जगह कौन से जरिये ऑल्टर्नेट के दिये। While a limited number of individuals may be under-sexed or may by nature be so constituted that they can sublimate most of their sexual urge into intellectual, artistic or other creative channels, the majority of mankind, although able to convert part of their sexual impulse into activities useful to the community, may still have to find satisfaction in the sexual act itself.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह पढ़ रहा हूँ कि अगर आप जैसे जवानों के दिमागों को इन्जेंटिक कामों की तरफ लगा दें तो आपकी शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो जावेगा और आप अधिक काम कर सकेंगे। ऐसे साधन उपलब्ध करने चाहिये कि जिनसे गरीब मज़दूर लोग जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं उनके दिमाग चारों तरफ से सिमट कर एक तरफ मज़दूरी करने की ही तरफ झुक जाते हैं। वे अपनी परेशानी मिटाने के लिये यही धन्धा करते हैं। तो जिनके दिमाग में और बातें हैं, उनको सुविधाएं देनी चाहिये। उनको इन चीजों के कम्पीटीशन में लगाना चाहिये। जगह जगह आप विकास-मण्डल बनाइये।

श्री अध्यक्ष : आप समय की सीमा को ध्यान में रखकर बोलिये।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां। मेरे सात कट मोशन्स हैं।

श्री अध्यक्ष : उनके अनुपात से आपको समय नहीं मिलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने बताया पाली में तीन हजार लेबरर्स हैं, पांच-सात कॉलोनीज़ हैं उनकी। आप अपना फेमिली प्लानिंग सेन्टर वहां बनाइये। वहां दो-चार कमरे खाली भी हैं। साधन देना चाहते हैं तो लोगों को नज़दीक में दीजिये ताकि उसका पूरा फायदा वे उठा सकें और आपका उद्देश्य भी पूरा हो, बजाय इसके कि आप मील, दो मील दूर खोलें। इससे उतना लाभ नहीं उठा पावेंगे ये लोग।

मेरा एक कट मोशन पानी के लिये भी है। आपने पचास लाख रुपया रखा है। तो क्या आप पंचायतों में वितरण करना चाहते हैं? वितरण करेंगे तो उनको एक को ३५०), ३७५) के लगभग मिलेगा। आप इससे क्या फेमिली प्लानिंग करेंगे? इतनी सी रकम में पंचायत क्या करेंगी? मेरा सुझाव है, आप तहसील में एक-दो जगह रखिये। रकम का बंटवारा करने से ठीक उपयोग नहीं होगा क्योंकि रकम कम है। कोई भी इतनी सी रकम से पूरा काम नहीं कर सकेगा और सारी रकम यों ही चली जावेगी। तो यह बंटवारा मेरे खयाल से ठीक नहीं।

दूसरी बात पानी की व्यवस्था के बारे में बताई। इसमें जहां कुंए खारे हैं, पीने का पानी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है पर जहां नहरें आ गई हैं आप नहरों के पास के उन गांवों में भी पानी दीजिये, जैसे हेमावास है, सरदारसमन्द है, जवाई बांध है। जब इन नहरों से जोधपुर शहर को और और शहरों को पानी आप दे सकते हैं तो गांव वालों को भी जो पास में या बीच में पड़ते हैं उनको भी सुविधा देनी चाहिये। छोटा सा एक नाला नहर का वहां से भी आप ले जा सकते हैं। तो यह पीने का अच्छा पानी उनको तो दिया जा सकता है जो दिया जावे।

छोटे छोटे तालाब और इन नहरों से आप आसानी से बहुत से गांवों को पानी दे सकते हैं। पाली में ऐसे बहुत से गांव हैं और बहुत सी नहरें और तालाब हैं, वहां आप आसानी से उन्हें पानी दे सकते हैं, और उनके पीने के पानी की जरूरत आसानी से पूरी कर सकते हैं। तो मैंने ये चार, पांच कट मोशन्स पेश किये हैं, आशा है आप इन पर ध्यान देंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, इस मांग पर एक कटौती का मेरा भी प्रस्ताव है जिसे मैं पेश करता हूं। मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६- जन स्वास्थ्य में १)रु० की कटौती की जाय (जन साधारण में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचार के अभाव पर वाद-विवाद करने हेतु)। जन स्वास्थ्य और चिकित्सा दोनों का सम्बन्ध एक दूसरे से है और इसलिये हमारे यहां इसकी व्यवस्था भी एक ही मन्त्री के द्वारा होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मन्त्री महोदय का स्वास्थ्य खराब हो तो चिकित्सा करवानी है।

डॉ० बहादुरसिंह : हम स्वस्थ रहने के साधनों का पूरी तरह उपयोग नहीं करते और इसका एक मात्र कारण हमारी सरकार

(डॉ० बहादुरसिंह)

की उपेक्षावृत्ति है। वह अधिक से अधिक अस्पताल और औषधालय तो खोलना चाहती है पर बीमारी के प्रिवेन्टिव मेज़र्स हैं उन पर विचार करना नहीं चाहती । आपने कदम भी उठाया, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्लान फ्रेम देखने से मुझे मालूम हुआ कि आप योगाश्रम प्रारम्भ करना चाहते हैं, इसके लिये तीसरी योजना में और वह भी प्राकृतिक चिकित्सालयों में !

आखिर में स्वास्थ्य किन कारणों से खराब होता है उन पर हमें विचार करना है। दूसरी बात यह भी देखनी चाहिये कि किन तौर तरीकों से हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य खराब होता है । यहां मैं किसी चिकित्सा विज्ञान की आलोचना नहीं करता लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी पद्धति है और जो स्वास्थ्य संबंधी नीति है उसमें कहीं खराबी है और सबसे बड़ी खराबी हमारे चिकित्सा विज्ञान में है और वह विज्ञान हमारा एलोपैथी का है। हमारा जो मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट है वह हमने डॉक्टरों के हाथ में दे रखा है जहां कि एलोपैथी के कॉलेज के अन्दर सबसे पहले मेडीसिन है और स्वास्थ्य बाद में आता है और दूसरी ओर आयुर्वेद के अन्दर उसके कॉलेज में जायेंगे तो सबसे पहले स्वास्थ्य देखेंगे और उसके बाद में चिकित्सा होगी । तो इस प्रकार से जहां मूलभूत में ही कमी है उसी प्रकार से हमारे शासन में भी कमी है। हम मैडिकल के अन्दर ऐड ज्यादा देते हैं और स्वास्थ्य के अन्दर कम। उसका कारण यह है कि हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे यहां अधिक से अधिक डॉक्टर बढ़ें। मैं स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि अगर आप अपने विद्यार्थियों को एक चीज़ बता दें कि आपकी दिनचर्या किस प्रकार की हो तो निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि हमारे बजट के ऊपर कम वजन पड़ेगा। यह विज्ञान एलोपैथी के अन्दर नहीं है और वह आयुर्वेद के अन्दर भरा पड़ा है। उस विज्ञान से हम जन-स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल अछूते रहते हैं। आप किसी भी स्थान पर जाइये, सारे राजस्थान का खर्चा उठा कर देख लीजिए, कहीं भी इस प्रकार का प्रचार नहीं होगा कि किस प्रकार से नागरिकों को अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। न इसका कभी ख्याल रखा जायेगा कि जो ऋतुएं आती हैं उनके अन्दर किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज ऐलोपैथी विज्ञान का अच्छे से अच्छा ग्रेजुएट भी तो कॉलेज का होगा वह नहीं जान पायेगा कि किस प्रकार से मुझे अपना जीवन व्यतीत करना होगा । हमारे कई माननीय मंत्री महोदय ऐसे होंगे जिनका हार्ट पल्पीटेशन बढ़ गया होगा और कई बीमारियां हो जाती होंगी, उसका कारण ही यह है कि आप लोग यह नहीं जान पाते हैं कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए । मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में जो व्यवस्था है उसकी आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन यह बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हैल्थ डिपार्टमेंट है उसकी क्या सुन्दर स्थिति है ! हमने रामनिवास बाग बनाया। इतना बड़ा बाग है, वहां आप लोगों को स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन देना चाहते हैं। पर आप बाग के अन्दर जाइये वहां दहीबड़े की चाट मिलती है, तो आप कैसे अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां स्वास्थ्य-लाभ हो सकेगा....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा): यह तो उनके मन चाहने की बात है, उससे तो उल्टे अच्छा होता है।

डॉ० बहादुरसिंह : एक व्यक्ति अगर गन्दा रहना चाहता है तो वह खुदकुशी के बराबर है। अगर कोई बीमार है या किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है तो वह समाज के अन्दर रहने के काबिल नहीं है। अगर कोई सदस्य यहां किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है तो उसको अधिकार नहीं है कि वह हाउस में बैठ सके क्योंकि उसे संक्रामक रोग है। इसी प्रकार से रामनिवास बाग में चाट की दूकानें खोली हुई हैं और इसी तरह की गन्दगी फैलाने वाली चीजें करें तो मेरी निश्चित मान्यता है कि वहां हमारे नागरिक कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकते। वहां सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहां खुली हवा मिले लेकिन वहां खुली हवा का काम नहीं। हमारे यहां एक ऋषि वाक्य है' ब्रह्मचर्य ही जीवन है' आप किसी भी स्कूल में चले जाइये कहीं भी आपको यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। स्कूलों में नहीं बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य है क्या ? हमारे साहित्य के अन्दर इस बात की कमी है, हमारे प्रचार में कमी है कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो थर्ड फाइव ईयर प्लान है उसमें आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो करें लेकिन कुछ आवश्यक कानून जैसे ऋतुचर्या और दिनचर्या के जो स्वास्थ्य के अंग हैं और जो कि हमारे ऋषियों ने बताये हैं उनको आपके स्वास्थ्य विभाग को लेना पड़ेगा और आपका जो हैल्थ डाइरेक्टोरेट है उसके अन्दर भी आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेगे और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर आपका हैल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य के बारे में प्रचार करने लगे तो आपको इतना अधिक खर्चा नहीं करना पड़े। अगर आप जन-स्वास्थ्य के अन्दर ४ रुपये भी खर्च करते हैं तो इससे आपको लाखों रुपयों का फायदा होगा। लेकिन इसका तरीका यह नहीं है जैसा कि आज-कल देखते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपका मलेरिया का काम है, उसके अन्दर आपका बहुत सुन्दर तरीका है; पर दूसरी तरफ आपका वही घिसापिटा तरीका है और उसमें आप परिवर्तन करिये। अगर आपको स्वास्थ्य लाभ करना है तो आप प्राकृतिक चिकित्सा की पुरानी पद्धति पर जाइये। अगर कोई व्यक्ति अपना स्वास्थ्य का लाभ करना चाहता है तो उसको निश्चित तौर पर जो प्राकृतिक चिकित्सा के बताये हुए सिद्धान्त हैं उनको अपनाना पड़ेगा। तो मेरी निश्चित मान्यता है कि वह व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं होगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा।

अब प्रचार के बारे में थोड़ा सा कहूं कि अपने यहां जैसे पीने के पानी के तरीके हैं नल पर आप जाइये जहां नल होगा वहां उसके आसपास कहीं गड्ढा होगा और उसके ऊपर इतनी गन्दगी होगी कि जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नल चाहे आपके घर में लगा हो, हां यह हो सकता है कि नल किसी बड़ी कोठी में लगा हो तो वहां पानी की सुविधा अच्छी होगी। लेकिन आप जयपुर में देखिये और जयपुर में क्यों धौलपुर में देखिये और वहां के किसी भी मुहल्ले में जाइये तो जहां पब्लिक टेप हैं वहां उसके पास गन्दा पानी जरूर भरा हुआ होगा। जो भी व्यक्ति वहां पर पानी भरने के लिए आयेगा तो नंगे पैर आयेगा और इतनी बड़ी गन्दगी में से निकलेगा और वहां पर घड़ा रखेगा।

(डॉ० बहादुरसिंह)

हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक नल हैं वहां जो पानी भरने का तरीका है वह बिल्कुल अस्वास्थ्य-प्रद है। इस पर सोचने की जरूरत है। हम तो सिर्फ उधर जाते हैं कि अधिक से अधिक इस बात की कोशिश हो कि वाटर वर्क्स के ऊपर अधिक से अधिक कितना खर्च हो। नल थोड़ा सा ऊंचा रखें ताकि घड़ा ठीक तरह से रखा जाये, वह तो सुन्दर तरीका रहा लेकिन उसके लिए हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। मैं मंत्री महोदय को परामर्श तो नहीं दूंगा लेकिन यह जरूर निवेदन करूंगा कि वह साथ ही एक आयुर्वेद विशेषज्ञ को रखें और इसका प्रचार करायें कि लोगों को अपनी जीवनचर्या किस प्रकार व्यतीत करनी चाहिये।

१.३५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

अगर हम इस चीज़ का प्रचार करें कि लोगों को अपनी दिनचर्या किस प्रकार से व्यतीत करनी चाहिए तो हम यह निश्चित रूप से मानते हैं हमारे देश का और राज्य का लाभ कर सकेंगे। आपकी नीति को चाहे एलोपैथी से मोह हो ऐसा करने से आपका मोह भी उससे छूटेगा और जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं उनसे सम्पर्क भी बढ़ेगा और आपने व्यायामशालाओं के लिए जरूर कुछ किया है उसके लिए मेरा निवेदन है कि जैसे स्पोर्ट्स क्लब हैं या एसोसियेशन हैं या दूसरी इसी प्रकार की संस्थायें हैं उनमें आप इसका प्रयोग करिये और स्वास्थ्य को उनसे सम्पर्क रख कर अधिक से अधिक व्यायामशाला खोलने की योजना बनानी चाहिए और वहां व्यायाम को एक आवश्यक अंग रखें। इस तरह से मैं समझता हूं कि लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा और राजस्थान के नागरिक अधिक स्वस्थ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए, जो मैंने शब्द कहे हैं उन पर आप पूरी तरह से विचार करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा, सु): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्वास्थ्य के बारे में एक कटौती का प्रस्ताव है। मैं समझता हूँ कि जब से राजस्थान बना है तब से राजस्थान सरकार ने झालावाड़ कस्बे में मच्छर उत्पादन की नर्सरी कायम कर दी है। झालावाड़ कस्बे में, राजस्थान भर के दूसरों कस्बों में नहीं, मच्छरों के उत्पादन के लिए नर्सरी कस्बा घोषित कर दिया है। मैं समझता हूं कि जब से राजस्थान बना है तब से अब तक वहां पर नगरपालिका को यह हिदायत है कि यहां झालावाड़ कस्बे में मच्छर न मारे जायं क्योंकि राजस्थान सरकार देखना चाहती है कि मच्छर अधिक से अधिक कितने दिनों तक जिन्दा रहता है और इनका शरीर बढ़ते बढ़ते कितना लम्बा चौड़ा हो जाता है। इसलिए झालावाड़ में मच्छर नहीं मारे जायं। नगरपालिका के चेयरमैन से कहते हैं कि गन्दी नालियों को साफ करवा दो तो वे कहते हैं कि मच्छर गन्दी नालियों से खुराक लेते हैं इसलिए मच्छर मर जायेंगे अगर गन्दी नालियों को साफ़ करवा देंगे तो। डॉक्टरों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि नगरपालिका का जिम्मा है जनता के स्वास्थ्य का काम करने का, हम क्या करें तो, माननीय उपाध्यक्ष महो-

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

दय, इस प्रकार से जन स्वास्थ्य भालावाड़ में चल रहा है।

दूसरी तरफ गांवों के जन स्वास्थ्य के बारे में यह विचारधारा है कि कुछ दिनों के पहले जब कि सफाखानों के अन्दर बीमारी का इलाज कराने जाते थे तो टी. बी. के टिकट उन पर लगाये जाते थे। गांव के लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि टी. बी. के टिकट का पैसा किस लिए लिया जाता है। वे यह समझते हैं राजस्थान सरकार गांवों में टी. बी. भेज रहे हैं, इसलिए टी. बी. का पैसा लेती है। टी. बी. का इलाज कराने के लिए पैसा काम में लाया जायगा यह किसी ने समझाया नहीं, घर घर में टी. बी. आ रही है और काफी टी. बी. का प्रचार गांवों में बढ़ गया है और लोग टी. बी. के मरीज हो गये। अगर यह प्रचार करते कि टी. बी. के टिकट इसलिए बेचे जाते हैं कि उससे जो पैसा आयेगा उससे टी.बी. का सफाखाना बनेगा और उसमें इलाज होगा। यह प्रचार नहीं किया गया। इसके कारण से गांवों के लोग भयभीत हो गये हैं, गांवों में टी. बी. बढ़ गई है। जन स्वास्थ्य के लिए प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है जो कि सरकार की ओर से नहीं हो रहा है।

दूसरी तरफ, गांवों में हमारे यहां भालाबाड़ जिले में नेहरू, जिसे हमारी देहातीभाषा में बाला भी कहते हैं उसकी गांव गांव में इतनी बीमारी फैल गई है कि बेचारे गांव के लोग ८-८ महीने तक खाटों पर पड़े रहते हैं। एक एक व्यक्ति के १८-२० नेहरू निकलते हैं। वे बेचारे घर के कामकाज से परेशान रहते हैं और उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसी सूरत में नेहरू के इलाज का प्रबन्ध व्यवस्थित रूप से करना चाहिए।

दूसरी तरफ हमारे गांवों में अभी मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि निरोगी रहना बड़ा सुख है। यह मानी हुई बात है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। गांवों के लोगों के पास दोनों ही साधन उपलब्ध नहीं हैं। न तो निरोगी हैं और न घर में माया है, जो डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करवा सकें। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, सरकार को ध्यान देना होगा गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए। गांवों के जिन कुओं में अशुद्ध पानी है, जिनमें कीटाणु पैदा होकर गांव के लोगों का स्वास्थ्य खराब करते जा रहे हैं उनमें दवा वगैरह डालने का कोई प्रबन्ध नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि जिन दवाओं के द्वारा गांव के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है ऐसी दवाओं का प्रबन्ध गांवों के प्रारम्भिक स्कूलों में हो जाय। लाल दवा गांवों के स्कूलों में दे दी जाय ताकि एक पखवाड़ा मनाया जाय और स्कूलों के विद्यार्थी गांव गांव में जाकर कुओं में लाल दवा डालें जिससे कम से कम स्वास्थ्य को लाभ हो सके।

शहरों में कई जगह बाहर बच्चों के खेलने के लिए बगीचे बनाये जाते हैं लेकिन गांवों के बच्चों के लिए कम से कम पंचायत हैडक्वार्टर पर खेलकूद के लिए कोई सामग्री जुटा दी जाय।

इधर चेचक के टीके उस समय लगाये जाते हैं जब कि चेचक शुरू हो जाती है। यह

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

दवा ऐसी है कि एक हफ्ते पहले काम में ले ली जाय तो ठीक, मगर वह दवा कई दिनों तक पड़ी रहती है और जब चेचक शुरू हो जाती है तब जाकर हम दौड़ते हैं।

अभी एक हैल्थ सेन्टर की खानपुर में मन्जूरी हो गई मगर अभी तक हैल्थ सेन्टर ठीक तरह से काम नहीं कर सका। न तो वहां पर डॉक्टर भेजा गया और न इमारत ही पूरी हुई और न दूसरे साधन बल्कि इतना जरूर हुआ कि वहां पर हैल्थ सेन्टर की मन्जूरी हुई तो उसी वक्त एक जीप कार की मन्जूरी हो गई। जीप कार आई नहीं, उसके पहले ड्राइवर रख लिया गया। वह ड्राइवर दो साल से बैठा बैठा तनख्वाह पा रहा है, न जीप का पता, न किसी चीज़ का। हम पूछते हैं कि ड्राइवर दो साल से तनख्वाह पा रहा है तो जीप कहां ? मैंने अभी यह पूछा कि ड्राइवर कहां है हैल्थ सेन्टर में नहीं है ? क्या पता किस डॉक्टर के घर में काम कर रहा है ? यह कहा गया कि वह कहीं झालावाड़ के सफाखाने में वार्ड के अन्दर जो रेडियो बजता है तो रेडियो बजाने के लिए वहां रखा गया है। वह हैल्थ सेन्टर से तनख्वाह पाये और झालावाड़ में रेडियो बजाता रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है।

एक आपको और बताऊं कि मैं कुछ दिनों से कोटा में रहता हूं तो कोटा की नगरपालिका की यह हालत है स्वास्थ्य के बारे में कि रामपुरे का गन्दा नाला फतेह गली की तरफ़ जाता है जिस मोहल्ले में सारी की सारी हरिजनों की बस्ती है। उस गली में रहते हैं ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग। रामपुरा दरवाजे पर सुबह ८ बजे सारे गन्दे नाले को रोक कर सारे पानी को खरन्जे के ऊपर से निकाला जाता है और खरन्जे पर चार, चार अंगुल नाले का कूड़ा-करकट जम जाता है। म्युनिसिपैलिटी वालों से कहते हैं कि इसको रोकिये तो वे कहते हैं कि उधर की तरफ भले आदमी तो रहते नहीं हैं, मजदूर रहते हैं। कोई पर्वाह की बात नहीं क्योंकि इनके कीमती बूट खराब हो जायेंगे, वे तो मोटे मोटे देशी जूते पहनते हैं इसलिए छिड़काव कर देते हैं। सारे खरन्जे पर छिड़काव हो जाता है जिससे स्वास्थ्य खराब होता है ? मगर सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है।

दूसरी बात यह है कि रामपुरे दरवाजे के पास में एक नल है वहां पर सारे हलवाई बर्त्तन मांजते हैं जिससे कि वहां पर सारा कूड़ा-करकट जमा हो जाता है और कई दिनों तक वह गन्दगी जमी रहती है। पानी की व्यवस्था भी इस तरह की है।

इधर जब हैजा और आंखों का रोग गांवों में फैलता है तो गांवों के लोगों को जिन्दगी भर के लिए अन्धा बना देता है। आंखों के लिए गांव-गांव में घूम-घूमकर इलाज करने के लिए डॉक्टरों को भेजा जाय ताकि बेचारे सीधे-सादे लोगों को इस बारे में दवा सुलभ हो सके। इस तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरा यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मुझे आशा है कि इसका शीघ्र पालन होगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटमोशन्स हैं । एक तो ७ नम्बर का, एक ८ नम्बर का और एक १३ नम्बर का । मैं सबसे पहले मेरा जो १३ नम्बर का कटमोशन है उसके ऊपर बोलना चाहूंगा । वह इस प्रकार है : "To discuss the failure of the Government to solve the drinking water problem in rural areas of Rajasthan."

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो ड्रिन्किंग वाटर की प्रोब्लम है मेरे खयाल से हिन्दुस्तान के और किसी भी प्रान्त में यह प्रोब्लम इतनी एक्यूट नहीं है जितनी कि राजस्थान में है । राजस्थान के २६ जिलों में से लगभग १७ जिलों को एरिड या सेमी एरिड माना गया है और इन १७ जिलों में लगभग १७,००० गांव आते हैं। ३१,००० में से १७,००० गांव आते हैं और एक करोड़ से ज्यादा पोपुलेशन है, यानि टोटल पोपुलेशन है उसमें से टू-थर्ड ड्रिन्किंग वाटर ट्रबल से अफेक्टेड है । आज तक गवर्नमेंट ने इस दिशा में जो भी कुछ कदम उठाये हैं, मैं समझता हूं, वे इन्सिगनिफिकेन्ट रहे हैं, इस प्रोब्लम को देखते हुए । मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की लेकिन इस प्रोब्लम के मेग्निट्यूड को देखते हुए गवर्नमेंट द्वारा जो कोशिश हुई है वह काफी कम है क्योंकि उसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें मैं समझता हूं कि बाकी विकास की सब प्रोब्लम को छोड़ कर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए । जैसे कि बीकानेर या सेन्ट्रल जोधपुर में लूणकरणसर आदि ऐसे एरिया हैं जहां पानी ब्रेकिस, सेलाइन ज्यादा है और समर में केटल कन्जम्प्शन, गाय भैंसों के कन्ज़म्प्शन के उपयुक्त नहीं रहता है, जब तक वह डाल्यूट नहीं किया जाता है दूसरा पानी मिला कर । ऐसा बहुत सा एरिया है उस इलाके में जहां ट्रेन से वाटर ट्रान्सपोर्ट किया जाता है । मैं समझता हूं कि ट्रेन से वाटर ट्रान्सपोर्ट करके किसी जगह की वाटर प्रोब्लम सोल्व नहीं कर सकते और न उस इलाके में लोग बस सकते हैं, न आबाद उस इलाके को बना सकते हैं । जल जो है । इसका संस्कृत में 'जीवन' भी दूसरा नाम है। पानी का दूसरा नाम जीवन है । It is called the life itself. यानि जो बॉडी है । ह्युमन बोडी है, या एनीमल बोडी है । उसका ६० पर्सेन्ट से भी ज्यादा वाटर है। और बाकी सोलिड सब्सटेन्स है । यह चीज़ बताती है कि पानी एक इन्सान की जिन्दगी के लिए कितना जरूरी है । इसलिए पानी को संस्कृत में जीवन कहा जाता है, विदाउट वाटर, जैसे हवा के बगैर, without air man cannot live; in the same way, without water human beings cannot live. इस सबम्धन्ध में कुछ कोशिश जल बोर्ड ने की थी । जल बोर्ड के जरिये कोशिश की गई थी लेकिन जल बोर्ड द्वारा जो कुछ मेनेजमेंट हुआ, बड़ी इल रेपुटेशन जल बोर्ड को मिली है, स्केन्डल्स हैं । उसका जो अनफिनिश्ड वर्क है उसको कम्प्लीट करने के लिए एक कमेटी बिठाई थी, हरिश्चन्द्र कमेटी। उसने एस्टीमेंट बताया, जल बोर्ड द्वारा जो काम पूरा नहीं हुआ, जो पैसा इधर-उधर कर दिया, उसको छोड़ कर जो भी काम किया है जो अनफिनिश्ड रह गया है । उसको कम्प्लीट करने के लिए ५० लाख ६० लाख रुपया चाहिए । जो आधा किया हुआ काम छोड़ दिया है उसको कम्प्लीट करने के लिए ५० लाख रुपये की जरूरत है । आज, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री पी० के० चौधरी)

हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है, बीकानेर, जोधपुर डिविजन जिसमें आते हैं, उसमें वाटर लेवल की डेप्थ है वह २५ फीट से ४०० फीट तक जाती है। अब दूसरी जगह पर लोग प्राइवेट कुंए बनाते हैं, यह नहीं है कि वहां कुंए बनाना नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन उस एरिया में जहां ४०० फीट डेप्थ पानी हैं। वहां पानी ब्रेकिस रहेगा, स्वीट रहेगा, यानि खारा पानी होगा या मीठा पानी होगा, यह लोगों को मालूम नहीं होता है इसलिए प्राइवेट इन्डीविजुअल आगे नहीं आते हैं कुंए बनाने के लिए क्योंकि ४०० फीट, ४०० फीट का कुंआ खोदना है। उसमें ट्रेमन्डस कॉस्ट पड़ती है; ३० हजार, ४० हजार रुपया खर्च हो सकता है। इतना इन्वेस्टमेंट कुंए के ऊपर प्राइवेट आदमी तब कर सकता है जब सर्टेन्टी हो, श्योरिटी हो कि कुंआ खोदने से मीठा पानी मिल सकता है। इसके लिए सुझाव यह है कि कम से कम गवर्नमेंट, प्राइवेट इन्डीविजुअल की सुविधा के लिए यह नहीं है कि प्राइवेट लोग कुंआ न खोदते हों, गांव के लोग चंदा करके भी कुआ खोदने को तैयार हो जायेंगे अगर उनको यह डेफिनिट मालूम हो जाय कि फलां जगह मीठा पानी मिल सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट को ट्राइल बोर्ड्स जगह जगह पर करने चाहिए क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में जो राजस्थान के अन्दर वाटर पोटेन्शियलिटी है बताना चाहता हूँ। राजपूताना डेज़र्ट पर नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स का जो सिम्पोज़ियम हुआ था उसमें एक पेपर पढ़ा गया था। वह पेपर सब्मिट किया गया था सेन्ट्रल इर्रीगेशन मिनिस्ट्री की तरफ़ से। उसमें राजस्थान की वाटर पोटेन्शियलिटी दी गई है। वह वाटर पोटेन्शियलिटी मैं आपके सामने बताता हूं। उसमें राजस्थान की टोटल वाटर पोटेन्शियलिटी बताई गई है ६.६६ मिलियन एकड़ फीट। इतनी राजस्थान में वाटर पोटेन्शियलिटी है, अब ८.६६ मिलियन एकड़ फीट अवेलेबल सर्फेस वाटर है, जो ज़मीन के ऊपर है। वह ७.६७ मिलियन एकड़ फीट हैं। अवेलेबल ग्राउन्ड वाटर पोटेन्शियलिटी अब कुल मिला कर total Comes to about १६.६६ मिलियन एकड फीट यानि १६.६६ मिलियन एकड फीट वाटर पोटेन्शियलिटी है। अब जो प्रेजेन्ट युटिलाइज़ेशन है सर्फेस वाटर के लिए २.५४ मिलियन एकड फीट वाटर युटिलाइज़ करते हैं, अन्डर ग्राउन्ड वाटर जो है, वह १.७६ मिलियन एकड फीट हैं। इसका मतलब यह होता है कि सर्फेस वाटर पोटेन्शियलिटी ३.४६ मिलियन एकड फीट, अन्डर ग्राउन्ड वाटर पोटेन्शियलिटी ४.२ मिलियन एकड फीट अनयुटिलाइज्ड है, जिसको टेप कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि लगभग ४.३ मिलियन एकड फीट और ७.८६ मिलियन एकड़ फीट टेप कर सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट डिटर्मिन हो जाय। मैं मानता हूं कि जहां तक लोगों के लिए पानी का सवाल है इसको गवर्नमेंट को at any cost it must be solved first और इसके लिए जो आपने कमेटी अपॉइन्ट की थी, हरिश्चन्द्र मेहता कमेटी, जिसमें इस सदन के एक-दो माननीय सदस्य मेम्बर थे, उन्होने सिफारिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जो सिफ़ारिश है और उन्होने जो फाइनेन्शियल एस्टीमेंट दिया है, उसफाइनेन्शियल एस्टीमेट से भी आप इसे पूरा नहीं कर पायेंगे, आपको उसके लिए ज्यादा फाइनेन्शियल इन्वेस्टमेंट

(श्री पी० के० चौधरी)

करना पड़ेगा और ट्राइल बोर्ड्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। जहां पर स्वीट वाटर नहीं मिल सकता वहां पाइप्ड वाटर सप्लाई को फर्स्ट प्रिफरेन्स देना चाहिए। जिस लोकेलिटी में मीठा पानी मिल सके, जैसे चन्दन में ट्यूब वैल बनाया उसमें मीठा पानी मिला है। एक माननीय सदस्य ने सवाल भी पूछा था कि चन्दन ट्यूब वैल से जैसलमेर को मीठा पानी देने के लिए क्या कार्यवाही की ? उसके जवाब में मिनिस्टर ने कहा कि ट्यूब बेल से पानी नहीं जाता है। इस सवाल को बहुत लाइटली लिया। सवाल यह नहीं था, सवाल यह था, जिसको लाइट वे से, हल्के तरीके से जवाब देकर टाल दिया था क्योंकि यह पूछ लिया था कि ट्यूब वैल से जैसलमेर के लिए पानी ले सकते हैं। पानी ट्यूब वैल से नहीं लाया जा सकता हैं, यनि कन्वे किया जाता है, पानी केरी किया जाता है पाइप से। मैं चाहता हूं कि जहां मीठा पानी है उसमें यह सवाल नहीं है कि मीठा पानी १०० मील दूर नहीं ले जा सकते। पाइप लगा कर २०० मील दूर, ३०० मील दूर पानी ले जाना चाहिए, जहां तक ड्रिंकिंग वाटर का सवाल है। एक तरीका रखा है कि स्टेशन वैगन, रेल्वे वैगन से पानी सप्लाई करते हैं, यह इन्सफिशियेन्ट है। उस एरिया के लिए पाइप लाइन डाल कर, जहां डीप ट्यूब वैल सिंक नहीं कर सकते तो कम से कम पाइप लगा कर पानी लाना चाहिए। पाइप लगा कर लोग दूर दूर तक पानी ले जाते हैं, जैसा कि पेलेस्टाइन में है, वहां बिल्कुल वाटर नहीं था, ड्रिंकिंग वाटर छोड़ कर इर्रिगेशन के लिए भी वाटर पाइप से ले जाते हैं। जब इर्रिगेशन के लिए पाइप से पानी लिया जा सकता हैं तो मैं समझता हूं कि स्वीट पानी ले जाने वाली बात मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूं कि जो एरिया १५० मील, २०० मील दूर है वहां आसानी से ड्रिंकिंग वाटर की प्रोब्लम सोल्व कर सकते हैं। मेरे कट मोशन का मतलब यह है कि मैं गवर्नमेंट को इम्फेसिस करना चाहता हूं कि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाइ करने की उन एरिया में कोशिश करे, जैसे सेन्ट्रल जोधपुर का एरिया है it should be given first prioriy. अवेलेबल वाटर सप्लाई, डीप ट्यूब वैल से नहीं मिलती है, वहां पाइप लाइन डाल कर २००–३०० मील दूर स्वीट वाटर ले जाना है। It is not an impossibility, उसको फर्स्ट प्रिफरेन्स देना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, you have taken 10 minutes for one cut-motion.

श्री पी० के० चौधरी : Others, I shall finish in one minute each, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Will it be possible ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir.

दूसरी बात यह है कि जो वेस्टर्न एरिया है राजस्थान का वहां देखा गया है कि वहां एनुअल इवोपरेशन, एनुअल कन्डेन्सेशन है वह रेनी वाटर से ज्यादा है. Annual evaporation of the water is faster than addition of water by rain.

२ म० प०

यह उस एरिया का डिमिनिशिंग ट्रैन्ड चल रहा है कि जितना पानी वर्षा से गिरता

(श्री पी० के० चौधरी)

है उतना ही पानी उस एरिया का सेलाइन बन जाता है। तो यह एक सीरियस प्रोब्लम है, इसको यदि गवर्नमेंट ने चैक नहीं किया तो सारा एरिया एक दिन डेज़र्ट में परिवर्तित हो सकता है। इसके लिये हमको रिसर्च करना चाहिये। नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स ने भी राजस्थान गवर्नमेंट से रिसर्च के लिये कहा है। There must be a research to find what is the cause of salanity of water there.

जो सेलाइन वाटर है उसका कारण क्या है ? इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की है कि क्यों सेलाइन वाटर है? इसको रोकने का कोई तरीका है तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिये कि इसको किसी तरह रोक सकते हैं कि नहीं। इस चीज की जांच करनी चाहिये।

तो मेरा निवेदन है कि वेस्टर्न राजस्थान एरिया है उसमें इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है उसको रोकना चाहिये। इसका क्या लोंग रेंज, क्या इफेक्ट हो सकता है, इसकी जांच करनी चाहिये। मेरा इतना ही निवेदन है कि गवर्नमेंट इस ओर कुछ करे। It is much more important than your community Development projects and those projects which you are opening in those areas.

मैं तो कहूंगा कि वहां कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट मत खोलिये, वहां रुपया रखते हैं वह ड्रिंकिंग वाटर के प्रबन्ध के लिये दें। इससे लोग ज्यादा खुश होंगे, आपको ज्यादा आशीर्वाद देंगे, सारा कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का पैसा वाटर सप्लाई में लगा दीजिये।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव सीरियल नं० ७ पर है : cutmotion no. 7, maternity centre in the Government hospital at Phulera.

मैं मानता हूं, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फुलेरा का गवर्नमेंट अस्पताल है उसमें मेटर्निटी सेंटर खोल देंगे, नहीं तो एक वार्ड कम से कम मैं समझता हूं He is nodding his head and he will consider it.

श्री उपाध्यक्ष : Might be. You may hope so.

श्री पी०के० चौधरी : मेरा तीसरा, सीरियल नं० ८ का कट मोशन है, "Water supply at Renwal." रेनवाल भी अन्फोर्च्युनेटली मेरी कान्स्टीट्युएन्सी में है....

श्री उपाध्यक्ष : It is fortunate that it is in your constituency.

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कुंए वहां के लोगों ने दिये, जमीन लोगों ने दी, उसकी कॉस्ट का वन-थर्ड वहां के लोगों ने देकर तैयार किया है। पौने दो लाख गवर्नमेंट का खर्च हुआ है। जब लोगों ने प्राइवेट व्यक्ति ने ३० हजार रुपया दिया था तो गवर्नमेंट ने अन्डरटेकिंग दिया था कि इसका दो साल तक गवर्नमेंट मेन्टेनेन्स करेगी। Government will bear the cost,

(श्री पी० के० चौधरी)

all the maintenance for the first two years. सारी स्कीम तैयार हो गई। पानी टैंक में भर लिया है पर सप्लाई शुरू नहीं हो रही है। सप्लाई इसलिये नहीं हो रही है कि गवर्नमेंट और पंचायत के बीच में झगड़ा चल रहा है कि....

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : There is no quorum at all, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Is it your contribution ?

श्री पी० के० चौधरी : गवर्नमेंट कहती है कि तुम चलाओ और पंचायत कहती है कि दो साल तक चलाने का गवर्नमेंट ने अन्डरटेकिंग लिया है तो दो साल तक गवर्नमेंट चलाये। गवर्नमेंट का एग्रीमेंट था कि फर्स्ट टू इयर्स तक वाटर सप्लाई को गवर्नमेंट मेन्टेन करेगी। इसी बिना पर रेडीमेड कुंए दिये, जमीन दी वहां के लोगों ने। यह सब देखते हुए फर्स्ट टू इयर्स तक का खर्चा गवर्नमेंट को मेन्टेन करना चाहिये।

यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् :)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा भी इस मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६–जन–स्वास्थ्य पर एक कटौती प्रस्ताव है "उनियारा क्षेत्र में जन स्वास्थ्य केन्द्र के अभाव पर विचार करने हेतु।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर एक आदमी, हर एक नागरिक स्वस्थ रहना चाहता है जब तक कि उसे सुविधा मिले। पीने का पानी, इलाज और साफ सुथरी हवा, रास्ते, मकान हर एक आदमी चाहता है। पर मैं पहले जल के वास्ते निवेदन करूंगा कि सरकार ने एक जल बोर्ड स्थापित किया था। अब वह जल बोर्ड न मालूम किन कारणों से बन्द हुआ, असफल हुआ या सफल हुआ, सरकार ने इस बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है पर जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है, इस डिस्ट्रिक्ट में जल बोर्ड के डेवलपमेंट में आया करता था। मैंने कई दफा निवेदन किया है कि पहले ऐसे इलाकों का सर्वे कराया जाय कि कहां कहां पर दस–दस, बारह-बारह मील दूर से पानी लाना पड़ता है और कहां ज्यादा पानी है।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : कट मोशन आपका इस बारे में नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आपका कट मोशन उनियारा क्षेत्र में जन स्वास्थ्य केन्द्र के अभाव पर है। जल बोर्ड के मसले में चले जायेंगे तो और कई बातें पैदा हो जायेंगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यही कहूंगा कि खास करके पहाड़ी इलाके में जल का इन्तजाम होना चाहिये।

स्वास्थ्य के बारे में मैं पहले भी निवेदन कर चुका था कि इलाज की वहां बड़ी अव्यव-

Page No.70

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

रथा है। दो हजार की जहां आबादी है वहां कोई आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं है और जहां चार-चार हजार की आबादी है उन कस्बों में कोई एलोपेथिक डिस्पेन्सरी नहीं है। वहां इतनी बुरी हालत है कि यदि कोई बीमार हो जाता है तो बीस-बीस कोस उन बीमारों को उस बीमारी की हालत में इलाज के लिये जाना पड़ता है। यहां से चिट्ठी भी चली गई थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ले लेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : ले लेंगे या विचार किया जायेगा ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : विचार करेंगे, दोनों इस गवर्नमेंट के लिये बराबर है। ऐसी चिट्ठी आ गई, पर हमारे मिनिस्टर साहब का तृतीय आश्रम समाप्त हुआ, चतुर्थ आश्रम में आ जायेंगे, ६३ वर्ष में हो जायेंगे, पर अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया।

(हंसी)

उनियारा डिस्पेन्सरी में पहले मिड्वाइफरी भी थी, वहां वेक्सीनेटर भी था, सामान भी लास्ट सप्लाई का बहुत है पर आज यह हालत हो गई है कि वहां मरम्मत तक नहीं हुई है। सड़ांध की यहां तक हालत है कि कोई स्वीपर तक वहां पर नहीं है जब कि पोस्ट मौजूद है, आप तलाश करवा लीजिये।

अब यह तो वहां जन-स्वास्थ्य की हालत है। मिड्वाइफरी के लिये टौंक भागना पड़ता है, सैकड़ों औरतों की जानें जाती हैं, आप अपने मेडिकल ऑफिसर से पूछिये कि क्या हाल वहां पर है ?

तो मैं यह निवेदन करूं कि जिन कस्बों में जितनी आबादी है उस लिहाज़ से कोई न कोई जन-स्वास्थ्य के लिये क्राइटेरिया मुकर्रर कर दीजिये कि जहां १,५०० की आबादी होगी वहां आयुर्वेदिक औषधालय खोलेंगे और कम से कम २०-२० हज़ार पर एलोपेथिक डिस्पेन्सरी खोलेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये कि जन-स्वास्थ्य के लिये विरोधी दल से आने वाले सदस्य की कॉन्स्टीट्युएन्सी में है, इस बात को ध्यान में नहीं लाना चाहिये। सरकार को इस बात को ध्यान में नहीं लाना चाहिये कि यह कॉन्स्टीट्युएन्सी हमारी है और यह विरोधियों की है। इसलिये मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि आप इसके लिये सर्वे करा कर देखें की कौन कौन से गांव ऐसे हैं जहां पर आयुर्वेदिक औषधालय की अत्यन्त आवश्यकता है और कहां कहां पर मिड्वाइफरी हो ? उनियारा में ठिकाने के समय ६ बैड थे। आज वहां की हालत क्या है आप देख सकते हैं। एक बैड नहीं है। अलीगढ़ है वहां पर ४ बैड हैं। देवली को आपने 'सी' क्लास बना दिया है वहां पर १२ बैड हैं। वहां की जनता क्या कहती है ? जनता कहती है कि हमको राजस्थान में जाने से बड़ी असुविधा हो गई....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहते हैं, जनता को छोड़िये ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यही कहता हूँ कि आप इसकी तरफ ध्यान दें।

Page No.71

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : He wants a midwife at Uniara.

श्री उपाध्यक्ष : He wants a wife, Midwife ?

श्री चन्दनमल वैद : A mid-wife at Uniara.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक तो फेमिली प्लानिंग पर है और दूसरा गांवों में पानी-व्यवस्था के लिये है। माननीय उपाध्यक्ष, मैंने सबसे पहले प्रथम कटौती के प्रस्ताव के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह प्रस्ताव रखा है। हमने कल्याणकारी राज्य बनाने का निश्चय किया है और कल्याणकारी राज्य वही है जिस राज्य में जनता सुखी हो, हर दृष्टिकोण से जनता सुखी हो। खाने के दृष्टिकोण से, रहने के दृष्टिकोण से, कपड़े पहिनने और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुखी हो और इसलिये यह मान लिया गया है कि हिन्दुस्तान में जनसंख्या की बढ़ौती हो रही है उसमें अगर किसी भी दृष्टिकोण से कमी नहीं हुई और रुकावट नहीं होगी तो हम कितने प्लान्स क्यों न बनाये जावें प्रथम पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना या कोई भी वन्डरफुल प्लान क्यों न हो, कभी भी हम उसमें सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम जनसंख्या को कन्ट्रोल करने में सफल न होंगे। जन्म के साथ साथ स्वास्थ्य है। उसकी तरफ भी ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं रखेंगे तो कमजोर बच्चे पैदा होंगे और कल्याणकारी राज्य में हमको जो मेहनत करनी होगी वह नहीं कर पाएंगे। इसलिये यह भी हिसाब ठीक नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने फेमिली प्लानिंग कर लिया है।

श्री मोतीलाल : माननीय सदस्य श्रीमाधोपुर से आने वालों ने फेमिली प्लानिंग कर लिया है,उसके लिये may be any plan, second or third plan.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : Since you have been declared unfit.

श्री मोतीलाल : Sir, I have a son...

श्री उपाध्यक्ष : You need not worry about the remarks.

श्री मोतीलाल : इसके साथ साथ मेरा ख्याल है और मैं समझता हूँ कि इसका सम्बन्ध शादी कमती उम्र और ज्यादा उम्र में होती है उससे भी है। इसीलिये सरकार ने शारदा एक्ट पास किया था जिससे लोग जल्दी उम्र में शादी न करें और किस तरह के लोगों के बच्चे पैदा हों। अब रहा यह कि उनके कैसे और कितने बच्चे हो जावें ? मगर हम देखते हैं कि इस एक्ट के पास होने के बाद भी इस एक्ट को सम्पूर्ण रूप से काम में नहीं लिया जा रहा है। यह एक कानून है जिसकी हम उपेक्षा करते हैं और माननीय उपाध्यक्ष, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की शादियें होती हैं जिनमें बड़े से बड़े अधिकारी भी उपस्थित होते हैं जो शारदा एक्ट के विपरीत होती हैं। कई कारण ऐसे होते हैं जिनके

(श्री मोतीलाल)

कारण कोई रुकावटें नहीं होतीं। इसी कारण से हमारे कानून का पालन नहीं होता और तीन या चार साल से लेकर ८ साल और १० साल तक के लड़के-लड़कियों की शादी हो जाती है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की मान्यता है कि इससे बच्चे ज्यादा होंगे और उसके साथ साथ यह भी है कि उन बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर होगा। मगर इस प्रकार का कानून पास करने के बाद में भी हम इसको इम्प्लीमेन्टेशन करने में कमजोर दिल रहे हैं। आम तौर से हम अगर सब पर इस कानून को लागू नहीं कर सकते तो राज्य के सरकारी नौकरों और अधिकारियों पर तो लागू करें। जो आदमी नौकरी चाहते हैं अगर वह व्यक्ति शारदा एक्ट तोड़ता है तो उसको सजा दी जाय, बस इतना ही आप लगा दें। जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने एक्ट लागू किया है कि जो कोई दो शादियें करेगा उसको नौकरी में नहीं लिया जावेगा। आप यहां पर इतना ही लगा दें कि शारदा एक्ट को तोड़ने वाला राज्य का कोई कर्मचारी कर्जा लेकर किसी की शादी करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। गवर्नमेंट का लोन, गवर्नमेंट का रुपया, अगर इस पर कन्ट्रोल हो जावेगा तो बहुत फायदा होगा और हमारे फेमिली प्लानिंग का एक हिस्सा ठीक हो जावेगा।

दूसरा हिस्सा है मैडिकल का। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का इस संबन्ध में प्रचार बहुत कम है। आपने सेन्टर इसके लिये खोले हैं वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी कि लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता है। आप लोगों को जानकारी ब्लॉक्स के मार्फत, लिट्रेचर के मार्फत, डिस्कशन के मार्फत, कैम्प, रेलीज़ के मार्फत दे सकते हैं कि वास्तव में देश में हर नागरिक को सुखी बनाना है तो पब्लिक को चाहिये कि जो जन-संख्या बढ़ रही है उसको कम करे और इसका यही एक तरीका है। इसलिये मेरा यह निवेदन था कि इस संबन्ध में हम अंदाज कर सकें कि इतना खर्चा करते हैं। हालांकि पब्लिक हैल्थ से इसका कोई संबन्ध नहीं है, इसका संबन्ध मेडिकल से है। इसके अलावा यह पब्लिकेशन स्कूल के जरिये, पटवारियों के मार्फत और दूसरे लोगों के जरिये नहीं करेंगे तो सारा फेमिली प्लानिंग का मामला फेल हो जावेगा। मैं यह कहूंगा कि जिस प्रकार मृत्यु भोज जो पहले होते थे वे एक दम रुक गये, कानून के आते ही ६० या ७० प्रतिशत तो रुक गये, इसी तरह से मैं चाहूंगा कि फेमिली प्लानिंग में कानून लगाया जावे और कन्ट्रोल करने की व्यवस्था की जावे और यह बताया जावे कि जनसंख्या किस तरह की हो और हैल्दी हो इसके संबन्ध में बिल होना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इसके लिये सोच रही है और सरकार ने कोई प्लान भी बनाया है मगर मेरा यह निवेदन है कि सेन्टर खोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक सरकार इसके लिये स्ट्रेट फॉर्वर्ड कदम नहीं उठावेगी तब तक कोई फर्क नहीं होगा। उन अनपढ़ आदमियों के लिये जिनके सामने कोई ज्ञान नहीं है, शिक्षा या सामाजिक ज्ञान नहीं है उनके सामने यह स्पष्ट रूप से रखें कि हमारा अगला कदम यह है और गवर्नमेंट ने यह किया है और इसके बाद हमारा यह प्लान है।

इसके बाद दूसरा कटौती का प्रस्ताव पानी के बारे में है। इसकी ओर मैं आपका ध्यान

(श्री मोतीलाल)

इतना ही आकर्षित करूंगा कि राजस्थान में एक करोड़, ३५ लाख जनता रहती है। पिछले ५ वर्षों में हमने देखा है कि गांवों में १ करोड़, ३० लाख लोग रहते हैं और उनके लिये हमने १ करोड़ रुपया खर्च किया जब कि शहर में रहने वाले लोगों के लिये ५ करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, अब जब हम नरेशों के प्रिवी पर्स के बारे में बात कर रहे थे कि उनको पानी मिलना चाहिये और शहरों में लोगों को टूंटी मिलनी चाहिये और फ्री मिलनी चाहिये। मैं तो यहां तक भी कहने के लिए तैयार हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से कि गांवों में लोग पीने के लिए पानी मांगते हैं, आप उनके लिए व्यवस्था कीजिये, पानी कुए से लोग ले जाने के लिए तैयार हैं, वे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनके लिए आज कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आपको एक तरफ ऐसे भी गाव मिलेंगे जहां कि पीने के पानी से पशु और मनुष्य दोनों ही मर जाते हैं। उसके बारे में आज तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है, टैस्ट के लिए कोई प्लान नहीं है कि टैस्ट के बाद यह व्यवस्था कर दी जावेगी। कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां पर पीने के पानी की वजह से तीन साल से अधिक लोग जी नहीं सकते। मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में ऐसे गांव हैं कि वहां का तीन साल तक पानी पीने के बाद आगे जाकर पेरेलेसिस हो जाता है। बरसात में उस पानी से रोग पदा होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस इलाके से आये हैं उसमें भी वह रोग है, उसका नाम है गिनी वॉर्म। कहीं पर उसको बाला कहते हैं और कहीं पर उसको नेहरू कहते हैं। जब सबसे पहले प्रथम चुनाव हुआ था और हमारी सरकार बनी थी तब भी मैं इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव लाया था और सरकार ने इसके लिए तीन लाख रुपया रखा था जिससे गिनी वॉर्म की रिसर्च की जा सके। लेकिन आज सात साल के बाद भी हम उसी स्थिति में हैं और सरकार यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि गिनी वॉर्म के लिए यह मेडीसिन है। इसके लेने से रोग नहीं होगा

(घंटी)

और रोग होगा तो ठीक हो जावेगा। टी. बी, लैप्रोसी की दवाई निकल गयी है, हार्ट भी आज इस स्थिति में हैं हमारे एक्सपर्ट बदल सकते हैं लेकिन डूंगरपुर, नागोर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चुरू आदि जगहों में लोग तालाब से पानी पीते हैं जिससे कि नेहरू नाम की बीमारी होती है और आपको इसके सम्बन्ध में ऐसे ऐसे इन्स्टान्सेज़ भी मिलेंगे कि जिनसे आजीवन लोगों की हालत खराब हो जाती है और वे कमा नहीं पाते। कम से कम वे बरसात के समय तो खेती नहीं कर सकते। इससे दो हानियां होती हैं। एक तो स्वास्थ्य खराब होता है और दूसरा हमारे देश का प्रोडक्शन कम होता है। किसानों को और मज़दूरों को खास कर नेहरू रोग होता है क्योंकि वे उन इलाकों में तालाबों से

(घंटी)

पानी पीते हैं। पीने के पानी से नेहरू होता है जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और वे उपज भी पैदा नहीं कर सकते। इससे हमारे

(श्री मोतीलाल)

देश का प्रोडक्शन गिरता है। उनकी इच्छा होते हुए भी वे खेती नहीं कर सकते। इस कटौती प्रस्ताव द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से पीने के पानी की व्यवस्था करें। गवर्नमेंट इस डिपार्टमेन्ट से दुनिया से लाया हुआ फ्री मिल्क सप्लाई करती है, मोहल्ले २ में बांटती है। गांव के लोग तो दूध नहीं मांगते किन्तु पीने के लिए पानी मांगते हैं जिससे वे अपने को जिन्दा रख सकें, रोग से बच सकें और देश की रक्षा कर सकें। इस कटौती प्रस्ताव द्वारा मैं यह मांग करूंगा कि सरकार पीने के पानी की व्यवस्था करे। नेहरू रोग होता है उसके लिए जितने रुपये की व्यवस्था करना चाहे करा ले, रेड क्रॉस को जरूरत हो, बोर्ड को जरूरत हो, दे। गांव वाले ब्लड बैंक के लिए ब्लड देने के लिए रेड क्रॉस को तैयार हैं लेकिन आप उनके लिए पहले पीने के पानी की व्यवस्था कर दें। जीवन के निर्वाह के लिए यदि कोई मुख्य चीज़ है तो वह पानी ही है। दो, चार अस्पतालों की कमी हो तो कोई पर्वाह नहीं किन्तु लोगों के लिए सरकार पीने के पानी की सबसे पहले व्यवस्था करे।

श्री हरिप्रसाद (बल्लभनगर-सु) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

(श्री हरिप्रसाद यादव की ओर संकेत करके - बैठिये)

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष, पहले भी सदन में मैं अर्ज कर चुका हूं और हो सकता है कि एक ही एक बात को अर्ज करता रहूं तो किसी हद तक उसमें एम्फेसिस मालूम होगा और माननीय मंत्री महोदय यह समझेंगे कि यह उचित चीज है और इसको जरूर कर दिया जाना चाहिये। हो सकता है कि आपको इससे बोरिंग फील हो। मैं तो यह समझता हूं कि जब तक दोहरा नहीं दूं, जितनी बार अर्ज कर दूं उतना ही कम होगा। उद्देश्य तो आपने बहुत बड़े २ रखे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम चाहते हैं कि तीन मील के एरिया के बाद पीने के पानी के सम्बन्ध में किसी आदमी को आगे न जाना पड़े। तीन मील में हर एक को पीने का पानी मुहैया हो जावेगा। इसके लिए रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड बनाया और उसके तहत में कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेन्स रहे। हम गांवों में पीने की पानी की समस्या को हल करके रहेंगे, ऐसा कई बार कहा गया और इसके लिए कई बार माननीय सदस्यों से खतोखितावत, कोरेस्पोन्डेन्स भी हुई। कहा गया कि सुझाव भेजिये, मिटिंग्ज़ अटेन्ड कीजिये और अपने मेमोरेन्डम भेजिये। उपाध्यक्ष महोदय, उन मिटिंग्ज़ को अटेन्ड करने से, मेमोरेन्डम भेजने से, मेरे खयाल से हमारे सामने जो यह समस्या इतना भंयकर रूप लिये खड़ी है उसके सामने हमारे जो एफर्ट्स हैं वे नगण्य हैं। आज से दो वर्ष पहले अगस्त ५७ में अपने एरिया का मैंने सर्वे करके एक मेमोरेन्डम भेजा और जो कोई कन्सर्न्ड थे और अपने आपको पीने के पानी की समस्या के हल के लिए जिम्मेदार समझते थे उनके पास भेजा। न तो उसका आज तक कोई जवाब आया है और मैंने जो कुछ अपना वक्त खराब किया सर्वे करने में और अपने एरिया का इसलिए दौरा करने में, प्लान दिया और मेमोरेन्डम

(श्री अनूपसिंह)

दिया उसका कोई आज तक जवाब नहीं मिला। खैर, मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर काम का भार है, लेकिन दो चार लाइन लिखने का समय भी नहीं था ? आप यह लिख कर भी भेज सकते थे कि तुम्हारा मेमोरेन्डम आ गया । मैं इस बात को यहीं पर छोड़ देता हूँ।

पहला कटौती प्रस्ताव है हमारे डिपार्टमेंट में जो स्लेकनेस है, उस पर ध्यान जरूर दिलाना चाहूँगा । स्लेकनेस इस बात की है कि किसी प्लान को फ़िज़ीबल समय पर पंचायत प्रधान या जिला परिषद् का प्रमुख या बी. डी. ओ. भेज देते हैं तो आपका फर्ज हो जाता है कि उसका एक्सपर्ट से सर्वे करायें । जो प्लान दिया उसका टेक्निकल सर्वे कराने के लिए व्यवस्था करनी चाहिये कि कितना खर्चा होगा, किस तरह से इसको एग्ज़ीक्यूट किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है । हो सकता है कि हर एक जिले से प्लान आते हों वे ठीक न हों, उनका तखमीना करना, टेक्निकली साउन्ड है या नहीं, यह मालूम करना, यह किस हद तक होता है और नहीं होता है, आदि । लेकिन उसी रुटिन वे में होता है जिस तरह से अपनी कार्यवाही हुआ करती है और आज-कल तो कागज़ी घोड़े इतने दौड़ते हैं कि हम फलांनी जगह आ रहे हैं, इतने एस्टीमेट्स से खर्च करो । ये कागज़ी घोड़े दौड़ते हैं लेकिन इसका असर क्या हुआ यह देखने को नहीं मिलता । हो सकता है कि पांच दस करोड़ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खर्च करना चाहते हैं लेकिन खाका अब तक यह नहीं खींचा गया है कि किस एरिया में कितना कितना अलॉटमेन्ट किया जावेगा । होता यह है कि जो डिपार्टमेन्ट की डिटेल्स जानने के लिए जिम्मेदार है, प्लान एग्ज़ीक्यूट करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, मसीनरी स्प्रिट ऑफ़ प्लान जिसको कह सकते हैं, इसके लिए बहुत समय लिया जाता है। आप उसके लिये कदम उठाते हैं । एक आदमी पीनेके पानी के लिए जितना तरसा बैठा रहता है उसके सामने आपका यह कदम का अन्दाज नहीं होता कि हमारे इसके लिए कितने एफर्ट्स हैं, फलां जिले में इतनी स्केयर्सिटी है और उसको जोश के साथ हल किया या नहीं, यह देखने को नहीं मिलता ।

मेरे माननीय सदस्य हैं वे कहते हैं कि आप बातें तो बहुत करते हैं, कोई कॉन्क्रीट सुझाव तो दीजिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझावों के साथ अपनी बातें रखना चाहता हूं । सजेशन्स तो मैंने भी मेमोरेन्डम में पेश कर दिये थे फिर उनको दोहरा देता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एरिया एक ऐसा एरिया है वह एरिया एक नदी के आसपास बहुत दूर तक चलता है उसे लूणी नदी कहते हैं । उसके किनारे किनारे काफ़ी गांव बसे हैं । वहां पर पानी निकालने की इतनी पोसीबिलीटीज़ हैं कि आज से दस वर्ष पहले मैं नहीं कह सकता राजाओं के जमाने में सर्वे भले ही हुआ हो किन्तु उसके बाद किसी प्रकार का जोग्राफिकल सर्वे नहीं कराया गया और किसी प्रकार का प्लान नहीं रखा गया कि वहां कितना पानी है और कहां कहां निकल सकता है । आज से कई वर्ष पहले मि० कॉल करके एक एक्सपर्ट आये थे जिन्होंने अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की सहायता से समदड़ी ग्राम में अपना हैड क्वार्टर लगाया और इस तरह से उन्होंने समदड़ी ग्राम के पास लूनी नदी के किनारे कुंआ खुदवाया । वह अच्छी

(श्री अ

तरह से सक्सेसफुल हुआ। उसके नीचे गवर्नमेन्ट ने बहुत बड़ा फार्म बनाया वह फार्म आखिर फेल हुआ क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा था। वहां के गेहूं आज तो तोले के भाव से बिकने को दिखाई नहीं देते हैं। खैर, इन बातों को जाने दीजिये। मैं आपको पीने के पानी के लिये अर्ज कर रहा था। कॉमर्शियल पेज़ की बातें नहीं करता। आज वहां के लोग पानी के लिये तरस रहे हैं लेकिन उनको पीने के लिये पानी नहीं मिलता। मैं समझता हूं हर व्यक्ति इसको महत्व देगा कि चाहे अनाज पैदा करने के लिये भले ही पानी न मिले किन्तु पीने के लिये तो पानी मुहैया करना सरकार का फ़र्ज हो जाता है।

तिलवाड़ा में बहुत बड़ा मेला भरता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तीसरा कटौती का प्रस्ताव और है; आपने इसी में ६ मिनट ले लिये हैं।

श्री अनूपसिंह : मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, तिलवाड़ा में एक बहुत बड़ा पशु-मेला भरता है और उसके पास भी वही नदी है। उसके आसपास पानी की बहुत संभावना है। लेकिन आज तक एक भी बोर होल नहीं किया गया आप कह सकते हैं कि आपके पास इतनी मशीनें नहीं, इतने फंड्स नहीं और यह भी कह सकते हैं जो मशीनें हैं वे राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के पास है। आप मुझे बतलाइये क्या वह एरिया ऐसा नहीं है जो आपसे प्रायोरिटी ले सके? क्या वहां की जनता की पानी की प्यास को बुझाने के लिये आपका यह कर्तव्य नहीं हो जाता है कि उस तरफ आप ज्यादा ध्यान दें। लेकिन आपन इस बारे में ध्यान देना नहीं चाहते। आप कोशिश भी करना नहीं चाहते। कोशिश करके भी आप यदि फेल हो जाते तो हम सोचते कि हमें तो भगवान् के भरोसे रहना चाहिये। आपके विभाग ने कभी उधर ध्यान नहीं दिया। कुछ बोर होल निकाल सकते थे चाहे उसमें आपका लाख, दो लाख रुपया खर्च हो जाता, उस पर भी हमें किसी प्रकार का रंज नहीं होता। उस मेले के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, ढाई लाख आदमी इकट्ठे होते हैं और ढाई-तीन लाख के करीब मवेशी इकट्ठा होते हैं। वे वहां पानी के लिये नदी के अन्दर जाते हैं और पांच-पांच, सात सात हाथ खोद कर पीने के काम में पानी को लेते हैं इस तरह से ढाई लाख आदमियों को दिन १५ तक अच्छी तरह से पानी मिल जाता है और हरए के लिये अलग अलग कुआ होता है। लेकिन सरकार को वहां से इतनी आमदनी होती है फिर भी सरकार की तरफ़ से कोई मुकम्मिल चीज़ नहीं है जिससे मवेशियों को और आदमियों को पानी पीने के लिये मिल सके। अगर वहां किसी तरह से पानी उपलब्ध हो जाय तो वहां इतना बड़ा एरिया है कि कितनी ही इन्डस्ट्रीज़ लग सकती हैं। कवास नाम का स्टेशन है जहां से फर्टिलाइज़र फेक्टरी को सिन्दरी के लिये फर्टिलाइज़र जाता है। यदि वहां पानी निकल सकता है तो फर्टिलाइज़र फेक्टरी वहां खुल सकती है वहां बोन क्रशिंग इन्डस्ट्री खुल सकती है। लेकिन पानी के अभाव से कुछ नहीं हो सकता। आसपास का एरिया भी पीने के पानी के लिये तरसता है आप कह सकते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं, आप फण्डस उपलब्ध कर सकते हैं, इकॉनोमिक कट करके कर सकते हैं, लोगों पर

(श्री अनूपसिंह)

टैक्सेज़ लगा सकते हैं । इसके अलावा जहां फालतू खर्च हो रहा है उसको रोक सकते हैं । लेकिन मैं चाहे कितना ही कह दूँ लेकिन उसका असर कुछ होता दिखता नहीं ।

इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज कर दूँ, पचपदरा वाटर पाइप स्कीम है वह चालू है, उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । पाइप वाटर स्कीम, मैं समझता हूं, थोड़े अर्से में पूरी हो जायगी । लेकिन पचपदरा के ऊपर जो उत्तरी एरिया है कल्याणपुरा, मांडली, पाटोदी वह भी बिना पानी के पड़ा हुआ है । कम से कम आप टांके के लिये तो लोगों को सबसिडी दें । पर्टिक्युलर डिज़ाइन प्रेसक्राइब कर दें, आपके पटवारीज़ को, ग्राम सेवकों को यह हिदायत दे दें कि वे जाकर देखें कि अमुक स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक बना है या नहीं । आपके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो तो आप सबसिडी दे सकते हैं । टांके की तकाबी दीजिये ताकि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक टांके बना सकें । इन्डिवीजुअल्स अपने हिसाब से तो बनाते हैं किन्तु आपकी तरफ से कोई बनाया नहीं गया जो परमानेन्ट चीज़ हो । यह सारा का सारा एरिया है जो पानी के बिना तरस रहा है, जहां कुंए तक नहीं, तालाब तक नहीं । पाइप की स्कीम चालू होती है तिलवाड़ा से पानी निकल सकता है । इस जगह और इससे इन्टररिलेटेड जगहों पर भी पानी पहुंच सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में अपना कटमोशन रखते हुए मैं उम्मीद करूंगा और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम एक बार इस एरिया को आकर तो देखें आपको हालत मालूम हो जायगी ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : आप उद्घाटन के लिये बुला सकते हैं ।

श्री अनूपसिंह : आप कोई स्कीम बना कर तो पूरा करें तब बुलावें ।

वहां तो धूप का उद्घाटन हो रहा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है । वहां केवल भाषण देने से काम चलने वाला नहीं । आपके तो प्रोग्राम्स इस तरह के होते हैं कि पार्टी के चक्कर में, खाने-पीने के चक्कर में, भाषण और उद्घाटन के चक्कर में आपको फ़ुर्सत तो मिलती नहीं । मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना निवेदन करूंगा कि आपने इस एरिया को नहीं देखा है इसलिये आप अन्दाज नहीं लगा सकते और हम जब अन्दाज लगाते हैं तो आप उसका मज़ाक उड़ा नहीं सकते । आप उसको देख कर वेरीफ़ाई करेंगे अगर वैसा नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करूं आयन्दा कभी चर्चा नहीं करूंगा । इस तरह से ये दोनों कटौती प्रस्ताव रखते हुए यह आशा करूंगा कि इस साल कम से कम आप उस इलाके का दौरा तो करते आइये । आप इस साल नहीं चार, पांच दस वर्ष भी इस कार्य के लिये ले लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं । अगर आप कोई ठोस कदम उठायें तो उस एरिया के लोगों को कुछ आशा बंध सकती है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है खास कर राज्य में मिडवाइफ और नर्सेज़ की जो कमी है उस ओर ध्यान खींचने के लिये रखा है और इसका समुचित प्रबन्ध सारे राजस्थान में हो, इस ओर ध्यान खींचना चाहता हूं ।

मैं समझता हूं कि राज्य की योजना में हमने जन-स्वास्थ्य को बहुत बड़ा महत्व दिया

Page No.78

(श्री मुरलीधर व्यास)

है। शिक्षा और जन-स्वास्थ्य को लेकर हमने बहुत कुछ प्रचार भी किया है। शिक्षा का जहां तक सवाल है मैं मानता हूं कि स्कूलों को खोलने में हमने जरूर उन्नति की है पर स्वास्थ्य के बारे में हमने कोई ऐसा सक्रिय कदम नहीं उठाया जिससे जनता को इस प्राथमिक आवश्यकता के बारे में कोई राहत मिली हो। आपने भी अस्पताल और डिस्पेन्सरीज़ और दूसरी चीज़ें काफी खोली हैं पर इनसे वह मतलब हल नहीं हुआ। जन-स्वास्थ्य का मतलब है जनता तक स्वास्थ्य से सम्बन्धित चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकता जो जनता मांगती है उसकी पूर्ति करने में हमने अधिक कदम नहीं उठाये जैसे शिक्षा के बारे में हमने थोड़े उठाये हैं।

आज किसी गांव में चले जाइये किसी महिला की दिक्कतों के बारे में आपका कोई प्रबन्ध नहीं नजर आवेगा। आपके पास तीन-चार सौ अस्पताल और डिस्पेन्सरीज़ हैं, बैड्स की संख्या भी बढ़ाई है, पर ये सुविधाएं अलग हैं हालांकि ये भी पूरी नहीं हैं। मैं पूछता हूं इनमें नर्सेज और मिडवाइफ्स कितनी हैं जो कि गांवों की महिलाओं की चिकित्सा में प्रमुख भाग अदा कर सकती हैं? आपके आंकड़ों से मालूम होता है उनकी संख्या सात सौ आठ सौ है। ये ५७ के आंकड़े हैं, अब कुछ बढ़ गई होगी। हमारे गांवों की संख्या ३१ हज़ार आप मानते हैं। छोटे छोटे गांवों को हम छोड़ दें तो भी साढ़े तीन हजार ग्राम पंचायतें हमारी हैं। इस हिसाब से आपके पास नर्सेज़ और मिडवाइफ्स की संख्या १,५०० होती है दोनों मिला कर। इन पंचायतों की संख्या को देखते हुए आप एक एक मिडवाइफ एक एक पंचायत को भी नहीं दे सकते। जहां आपके अस्पताल हैं वहां पर भी आज कमी है इनकी। महिलाओं की चिकित्सा की दृष्टि से गांव में एक लेडी डॉक्टर की बात करना तो अतिशयोक्ति होगी पर एक एक गांव में पंचायत में एक कम से कम शिक्षित दाई आप किस तरह पहुंचा सकते हैं ताकि उनको आधुनिक सुविधा मिल सके, यह सवाल है जिसे आपको तुरन्त हल करना है और इसलिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

आपने इनको शिक्षा देने के ६ सेन्टर खोले हैं। इनमें भी स्थान आपने ३० का रखा और डबल शिफ्ट करें तो ६० होगी साल भर में, तो अन्दाज लगाइये आप किस तरह इतनी बड़ी मांग की पूर्ति कर सकेंगे? आप यह पता लगावें कि आखिर इसकी पूर्ति के लिये क्या किया जावे? मैंने बीकानेर के सेन्टर को देखा। आखिर उसमें संख्या क्यों नहीं बढ़ती? कहा गया कि नर्सेज़ ट्रेनिंग के लिये आती नहीं। क्यों नहीं आतीं क्या वजह है? आप उनको सहूलियत दें, सुविधा दें। क्वालिफिकेशन के बारे में कहा कि मैट्रिक्युलेट नहीं मिलती। ६ महीने का उनका कोर्स होता है मिडल पास भी भर्ती की हैं पर वे भी नहीं आतीं। कानून आपने मैट्रिक्युलेट का रखा पर परिस्थितियों से विवश होकर आपने मिडल वाली को भी रखना शुरू किया। यह भी मालूम पड़ा है कि राजस्थान से उस इलाके की कोई ट्रेनिंग के लिये नहीं आती, जो भी आई हैं उनमें ६६ परसेन्ट केरल से आई हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो मैंने यह सोचा कि आखिर बात क्या है ? यहां से क्यों नहीं आतीं ? ऐसी क्या दिक्कत है ? पता लगा कि एक तो समुचित प्रबन्ध आपका नहीं है ट्रेनिंग का, दूसरी, योग्यता ज्यादा रखी है, तीसरा कारण सुविधाएं आपने कम दी हैं। तो इनको बढ़ाना चाहिये और ठीक करना चाहिये। आप समझें कि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। गांव गांव में पहुंचाना है हर ब्लॉक और पंचायत में पहुंचाना है। हर लेबर सेन्टर में भेजना है, मेटर्निटी होम में भेजना है। कम से कम आप एक एक शिक्षित दाई तो इन सब जगहों पर भेजें ही। जामसर में लेबर सेन्टर है। वहां एक भी दाई नहीं। मज़दूर औरतों को बड़ी दिक्कत होती है। वे अपना दुख-दर्द उनके सामने ज्यादा साफ़ तौर से रख सकती हैं। राजस्थान में औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। पांचवीं, छठी और सातवीं तक भी पढ़ी लिखी मिल जायें तो मैं समझता हूं कि इस आधार पर आप अपनी योजना बनावें। सुविधाएं उनको हर तरह की ज्यादा दीजिये क्योंकि यह बहुत आवश्यक अंग है। महिलाएं डॉक्टरों के सामने नहीं बोल सकतीं। अगर उनको नर्स मिल जाती है तो दिल की बीमारी खोल कर रख सकती हैं। तो इतना भी अगर आप कर देते हैं तो महिला जाति का बड़ा हित हो सकता है। उनकी सहानुभूति आपको मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इसको आप सारे राजस्थान की परिस्थिति और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए करेंगे।

बीकानेर में आपने सेन्टर खोल रक्खा है ट्रेनिंग का। हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, पर अच्छी बाकायदा ट्रेनिंग की तौर से समुचित व्यवस्था नहीं है। उनके रहने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो सब तरह से इसका विकास होना चाहिये। उनको सुविधाएं भी ज्यादा देनी चाहिये, क्वालिफ़िकेशन कम भी मिले तो लेना चाहिये। इन्हीं दृष्टियों से मैंने ये कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १७-जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव निम्न प्रकार है :

"भरतपुर जिले के कस्बों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था न किये जानेके बाबत।"

उपाध्यक्ष महोदय, साधारण मान्यता ऐसी है कि इस राजस्थान राज्य का पश्चिमी भाग ऐसा है कि जहां पानी की अत्यधिक कमी है और उसके मुकाबले में पूर्वी भाग में जिसमें अलवर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर हैं वहां पानी की बहुतायत है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि भरतपुर का ज़िला या भरतपुर का पूरा राज्य जो कि बिल्कुल यू० पी० और जमुनाजी से लगा हुआ है उसके उपरान्त भी वहां पीने के पानी की अत्यधिक कमी है। कारण यह है कि न मालूम किन प्राकृतिक कारणों से वह इलाका सारा का सारा खारी है। आज हम जोधपुर, बीकानेर, लूणकरणसर, जो कि बहुत ही खारी इलाके हैं, वहां की बात करें

Page No.80

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

तो ठीक है, लेकिन वैसा ही इलाका भरतपुर का भी खारी है। भरतपुर जो कि बहुत पुराने वर्षों से राजधानी रहा है वह सारे का सारा खारी पानी का क्षेत्र है। भरतपुर जिले की ४ तहसीलें हैं वह सारी खारी पानी की हैं और उसका कारण यह है कि वहां किसी समय में नमक बनता रहा है। वह सारी जमीन ही नमकीन है। वहां जब से नमक बनना बन्द हुआ तब से तो खारीपन और भी बढ़ता हुआ जा रहा है। वैसे मैं नमक के उत्पादन के बारे में तो जब उद्योग के ऊपर वादविवाद का दिन आयेगा तब बताऊंगा लेकिन इस समय तो मैं यह बता रहा हूं कि सारा इलाका खारी है। पुराने समय में जो पीने के पानी की व्यवस्था का प्रबंध किया गया था वह ऐसा था कि वहां हर गांव के पास....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कोरम नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हर गांव के पास तालाब, खाइयां या पानी के गड्ढे रखे जाते थे और उनमें बरसात के दिनों में पानी भर जाया करता था ....

(गण-पूरक घंटी)

यहां तक कि भरतपुर शहर जो कि वहां की राजधानी रहा है....

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, जब कोरम नहीं हो और इस सम्बन्ध में सदन को सूचना दी जाये कि कोरम नहीं है और उसके बाद में जो भी भाषण हो और रेकॉर्ड किया जाये वह भाषण प्रोसीडिंग्स में रहना चाहिए या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या पोज़ीशन बताई आपने ?

श्री भैरोंसिंह : सदन में कोरम नहीं हो और सदन को सूचना मिल जाये और पॉइन्ट कर दिया जाये कि हाउस में कोरम नहीं है, उसके बाद में भी भाषण होता रहे और वह भाषण उस समय तक रहे जब कि कोरम नहीं है तो वह भाषण प्रोसीडिंग्स में लिए जाने के लायक रिलेवेन्ट है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था यह है कि जब तक कि आसन कोरम के सम्बन्ध में निर्णय न ले लें तब तक भाषण आरम्भ रहेगा और वह रेकॉर्ड पर रहेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि वहां पीने के पानी के लिए पुराने जमाने में जो व्यवस्था रही वह यह थी कि शहर के या कस्बे के चारों तरफ खाई बनाते रहे थे और तालाब या कुण्ड बनाते रहे थे और इसी प्रकार से जो तालाब, खाई होती थी उनके ऊपर कुंए बनाये जाते थे और उन कुंओं में केवल पीने का पानी मिलता था। मीठा पानी पीने का वहां मिलता है और बाकी जगह जो कुंए होते हैं वह इतने खारी, खारी तो नहीं कहना चाहिए बल्कि इतने कडुए होते हैं कि अगर आंखों में उसे लगाया जाये तो आंखों में मिर्ची जैसी जलन पैदा हो जाती है, पीने के योग्य तो वह माना ही नहीं जा सकता। आज अवस्था यह हुई है कि समय के साथ साथ जो पुरानी व्यवस्था थी वह बदलती जा

Page No.81

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

रही है । एक तो यह कि ज्यादा पानी रहने से वहां की आबहवा मलेरियल ज्यादा हो गई है । वहां हमेशा पानी रहने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है । दूसरा यह है कि पानी पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है जितना पहले हुआ करता था । किसी किसी साल तो बाढ़ आ जाती है तो पानी के साधन भरपूर हो जाते हैं लेकिन पिछले एक–दो साल जैसे पिछली साल पानी की कमी रही और वहां तालाब सूख गए और कुंए सूख गए और पीने का पानी कस्बों में तो क्या गांवों में भी नहीं मिलता था । भरतपुर के समीप कुम्हेर और डीग के कस्बे हैं । वहां की हालत ऐसी रही है कि कुम्हेर के अन्दर मई और जून के महीने में रात को दो–तीन बजे से पानी भरना शुरु करते थे और सुबह तक कुंओं में कीचड़ आना शुरु हो जाती थी । इसके लिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां हम यह सोचते हैं कि सिंचाई के साधन हम अपने राजस्थान के अन्दर बड़े से बड़े उपलब्ध करने का प्रयत्न करते हैं और भी दूसरे जन–हित के कार्य करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार का ध्यान कभी भरतपुर जिले के उन साधनों पर नहीं जाता है । वहां सींचने का ही नहीं बल्कि पीने के पानी की भी कमी है, यह आश्चर्य की चीज़ है । हां, यह बात बीकानेर और जोधपुर आदि के लिए कही जाये तो भी माना जा सकता है । लेकिन मैं तथ्य बता रहा हूं कि भरतपुर के अन्दर भी यही हालत है । भरतपुर राजधानी होते हुए भी, वहां पर वाटर वर्क्स की स्कीम की व्यवस्था रहते हुए भी आज पूरे सात साल हो गए पर वह किसी कारण से पूरी नहीं हो पा रही है । उसके बाद में भी कितने ही दूसरे नगरों में पानी की व्यवस्था पूरी हो गई है लेकिन भरतपुर की योजना पूरी नहीं हो पाई है । हर समय उसके लिए आश्वासन दिये जाते हैं और वायदे किये जाते हैं पर उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है । यह मैं डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स की बात कह रहा हूं लेकिन आज दूसरे कस्बे भी हैं, तहसील हैडक्वार्टर्स जैसे डीग है, वह बड़ा कस्बा है । लेकिन वहां भी पानी का अभाव रहता है और वह इसलिए कि वह सिर्फ मेह के ऊपर ही निर्भर रहते हैं । मेह काफी हो जाता है तो वहां तालाब भर जाते हैं और कुंओं में पानी आ जाता है । अगर बारिश नहीं होती तो वहां बहुत दिक्कत हो जाती है । इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार जिस प्रकार सिंचाई के साधनों का प्रबन्ध करती है उसी तरह से वहां किसी न किसी प्रकार से नहर लाकर और जहां नहर नहीं आती हो वहां ट्यूब वैल्स की व्यवस्था करें । भरतपुर के जो दो–तीन उप–जिले हैं बयाना, डीग वगैरह वहां पर ट्यूब वैल को लगाकर देखें । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था कि खारी पानी के होने की वजह से कुंए बनाने से लोग डरते हैं और इसलिए नहीं खुदाते कि वह देखते हैं कि हमने कुंआ खुदवाया और पैसा लगवाया और कहीं खारी पानी निकल आया तो सब बेकार जायेगा इसलिए सरकार प्रयोग के तौर पर कुंए वहां खोदे, जहां पानी मीठा हो वहां गांव वाले अपने हिस्से का भी पैसा देंगे । तो गांव वाले ट्यूब वैल के लिए पैसा दें और सरकार भी पैसा लगाये । डीग जैसे कस्बे में, जहां कि दस पन्द्रह हजार की आबादी है । दूसरे और भी जहां ऐसे छोटे कस्बे हैं और जिनकी इतनी

Page No.82

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ही आबादी है वहां ट्यूब वैल खोदे जायें ताकि पानी की ठीक तरह से व्यवस्था हो सके। वहां पर अगर पानी की व्यवस्था हो सकती है तभी सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर सकेगी। तो इसी दृष्टि से मैं यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और मुझे राज्य सरकार और सम्बन्धित मन्त्री महोदय से पूर्ण आशा है कि वह वहां के लोगों को जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने की पूरी पूरी चेष्टा करेंगे।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव फेमिली प्लानिंग के सिलसिले में है। परिवार नियोजन के सिलसिले में मेरा यह कहना है कि सरकार इसके अन्दर नाकामयाब रही है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि सरकार इसको एक गम्भीर प्रश्न नहीं समझती है इसीलिए इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि खुद सरकारी आंकड़ों से यह साबित होता है कि सरकार इसको गम्भीर प्रश्न नहीं मानती। अब क्योंकि यों ही भारत सरकार कह रही है और इसके लिए सदन में भी एक बार प्रस्ताव पेश हो चुका था इसलिए कुछ रुपया हमने भी इस काम के लिए रख देना चाहा और इस तरह से उसको मान लिया है क्योंकि पिछले साल हमने बजट में इसके लिए ३ लाख, ७४ हजार रुपया रखा था और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स जो कि इस साल पेश हुए हैं उनके अनुसार २ लाख, ५० हजार, ६०० रुपये से ज्यादा खर्च नहीं हो सकेगा। तो पहले इसके लिए ३ लाख, ७४ हजार रुपया सैंक्शन किया और अब हमारी सरकार क्योंकि इसको महत्वपूर्ण ज्यादा समझ रही है इसलिए वह २,५०,६०० रुपया ही खर्च कर सकेगी और अगली साल जो रुपया मांगा जा रहा है वह २ लाख, ८० हजार, ७०० रुपया है।

३ म. प.

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार इस काम को महत्वपूर्ण नहीं समझती है, गम्भीर नहीं समझती है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण और गम्भीर है। उसके लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् ३१ में भारतवर्ष की, हिन्दुस्तान की आबादी ११ पर्सेन्ट बढ़ी। सन् ४१ में आबादी १३.५ पर्सेन्ट बढ़ी है और सन् ५१ में जो मर्दुमशुमारी, जो सेन्सस हुई है उसके अनुसार यह मालूम हुआ है कि १४.०१ पर्सेन्ट आबादी बढ़ी है और सन् ६१ में जो सेन्सस होने वाली है उसके अनुसार एक्सपर्ट्स लोग मानते हैं कि हमारी आबादी १५ पर्सेन्ट और बढ़ जायगी और हिन्दुस्तान की आबादी ४० करोड़ के ऊपर चली जायगी। कुछ सेन्सस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि १६८१ में हिन्दुस्तान की आबादी जो है वह ५२ करोड़ के आसपास पहुँच जायगी। तो यह फीगर्स हैं जो हमें सामने रखने चाहिए कि किस तरह से जो हमारी आबादी है वह ज्योमेट्रीकल प्रोग्रेशन के अनुसार बढ़ रही है कि पहले ११ पर्सेन्ट, फिर १४ पर्सेन्ट, फिर १५ पर्सेन्ट और फिर १६ पर्सेन्ट और १८ पर्सेन्ट इस तरह से ज्योमेट्रीकल प्रोग्रेशन से बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ फूड प्रोडक्शन के फीगर्स देखते हैं तो मालूम होगा कि हमारे यहां अन्न का उत्पादन जो है वह किस प्रकार से बढ़ा है। हम फीगर्स देखते हैं तो सन् ५०

(श्री चन्दनमल वैद)

में हमारे यहां अन्न का उत्पादन होता था वह ५८ मिलियन टन्स था और उसमें हम ढाई मिलियन टन अनाज बाहर से मंगाते थे और आज सन् ५८ में यानी ८ साल बाद अन्न का उत्पादन हमारा ६८ मिलियन टन हो गया यानी १० साल में हमने इतनी प्रगति की है कि हमारा अन्न का उत्पादन १० मिलियन टन ज्यादा हो गया है यानी करीब २७ करोड़ मन अनाज हम ज्यादा पैदा करने लगे हैं ।

(श्री मोतीलाल, सभापति, पदासीन)

इतना अनाज हमने १० साल में ज्यादा पैदा किया । इन दस सालों से हमारी सिंचाई योजनाओं की वजह से समझिये या अच्छे बीज की वजह से, किसी तरीके से समझिये हम इस लायक हुए कि सन् ५८ में २७ करोड़ मन अनाज हमने सन् ५० से ज्यादा पैदा किया है । उसके बाद भी क्या हालत है ? चूंकि आबादी ज्यादा बढ़ रही है इसलिए उसके बाद भी वही हालत रही है । ५८ में करीब ३.१ मिलियन टन हमें अनाज बाहर से मंगाना पड़ा । जब सन् ५० में ५२ मिलियन टन अनाज पैदा करते थे उस वक्त ढाई मिलियन टन अनाज हम बाहर से मंगाते थे और अब १० मिलियन टन ज्यादा पैदा करने लगे हैं उसके बावजूद भी हमको बाहर से ३.१ मिलियन टन अनाज मंगाना पड़ता है और उसके लिए १५० करोड़ रुपया विदेशों को देना पड़ा । तो हम देखते हैं कि अनाज का उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है कि हम बढ़ती हुई आबादी को अनाज नहीं दे पा रहे हैं और अनाज की दिक्कत आ रही है और उसको बाहर से मंगाना पड़ रहा है ।

दूसरी तरफ आप एम्प्लॉयमेंट के फीगर्स देखें तो सेकिन्ड फाइव ईअर प्लान शुरू हुआ था तो उस वक्त ५० लाख बेकार थे और सेकन्ड फाइव ईअर प्लान में हमने ८० लाख नये काम करें, यानि ८० लाख आदमियों को रोजगार दिया । उसके बावजूद भी जब कि थर्ड फाइव ईअर प्लान शुरू होगा....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह फीगर्स कहां से बतला रहे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह फीगर्स बड़े रिलायेबल हैं ।

श्री भैरोंसिंह : ८० लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, यह फीगर्स कहां से लाये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह प्लानिंग कमीशन के फीगर्स हैं कि ८० लाख नये लोगों को रोज़गार दिया । उसके बावजूद भी जब थर्ड फाइव ईअर प्लान शुरू होगा तो अन्दाज है कि ७० लाख लोग बेकार हैं । ५० लाख बेकारी आदमियों से हमने शुरू किया और ८० लाख आदमियों को काम दिया फिर भी हमारे पास ७० लाख आदमी बेकार रह जायेंगे । आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इतने अन्न का उत्पादन कर रहे हैं फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है । इसलिए इसकी गम्भीरता को समझें । यदि हमने इस तेजी से बढ़ती हुई आबादी को रोका नहीं तो

(श्री चन्दनमल वैद)

जितनी तेजी से हम प्रगति कर रहे हैं लेकिन आबादी भी उतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम ५० मील की रफ्तार से भाग रहे हैं फिर भी हमको ऐसा मालूम हो रहा है कि हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हम दूसरी चीजों में ५० मील की रफ्तार से दौड़ रहे हैं फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि वहीं खड़े हैं। दूसरे देखनेवालों को यह मालूम पड़ता है कि हमारे यहां प्रगति कुछ नहीं हुई है, क्योंकि आबादी जो है वह ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए और गम्भीरता से सोचना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूं कि हमें इस बारे में काफी प्रचार करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। हमको जगह जगह पंचायत समितियों की, ज़िला परिषदों की सेमीनार, मीटिंग करनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए और इस बात के लिए उन लोगों को तैयार करना चाहिए। एक बात मैं सुनता हूं कि यह कहा जाता है कि देहात की जनता फेमिली प्लानिंग के लिए तैयार नहीं है। वे इस बात को बुरी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि अभी इस बारे में काम करने वाले हैं अभी डब्लू. एच. ओ. वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन की तरफ से इस बारे में फीगर्स इकट्ठे किये गये थे दिल्ली और मैसूर रियासतों के। वहां उन लोगों ने यह कहा, यह फैक्ट्स उन्होंने डोर डोर जाकर एकत्रित किये हैं तो उन्होंने बतलाया है कि ७५ पर्सेंट ऑफ मेरिड विलेजर्स हैं यानि ७५ प्रतिशत जो देहाती मेरिड हैं वे इस बात को पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ इफेक्टिव उपाय बताये जायं जिससे आबादी जो बढ़ रही है वह रुके। हमारे घरों में इतने बच्चे नहीं चाहिए, वे बच्चे आ रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाय? उसका अच्छी तरह से प्रचार किया जाय। देहाती भाई सचमुच फेमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। उनको उपाय बता सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं तो अच्छा काम हो। केवल कहो कि फेमिली प्लानिंग करो, आबादी मत बढ़ाओ, काम नहीं चलता है। अगर वे गलत समझ रहे हों और गलत धारणा में बैठे हुए हों तो उनको कारगर उपाय बताने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा, उनको मेडिसिन्स मुहैया करनी पड़ेगी सस्ती दरों से, सस्ती कीमतों पर। अगर हम यह नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से फेमिली प्लानिंग जिस तरह से आज तक फेल हुआ है आगे भी फेल होगा। अगर फेमिली प्लानिंग फेल हुआ तो हमारी सारी प्रगति असफल हो जायेगी। उसके लिए लोक सभा में श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर जो, कि भारत सरकार की हैल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं, ने कुछ उपाय सुझाये थे। उन्होंने कहा कि फेमिली प्लानिंग के लिए जरूरी है कि मेरेजेज़ पर टैक्स लगाये जायं, बर्थ्स पर टैक्स लगाये जायं, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। मेरेजेज़ और बर्थ्स पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जो लोग फेमिली प्लानिंग के रूप में सहयोग दे रहे हैं जैसे कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य हैं, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, जो कि फेमिली प्लानिंग के रूप में सरकार को सहयोग दे रहे हैं उनको इनाम देना चाहिए, बधाई देनी चाहिये।

(हंसी)

और जो लोग जिनमें कुछ माननीय सदस्य

(श्री चन्दनमल वैद)

भी हैं, डब्ल प्रोडक्शन करके फेमिली प्लानिंग को बिगाड़ रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर जुर्माना करना चाहिए, सजा भी देनी चाहिये। मेरी राय से ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सदन में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो डब्ल प्रोडक्शन कर रहा हो।

श्री चन्दनमल वैद : सभी को मालूम है कि ऐसे कई सदस्य हैं जो कि डब्ल प्रोडक्शन कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह एक प्रकार का चार्ज है कि डब्ल प्रोडक्शन का जहां जहां सवाल है वहां पर जुर्माना हो। यह एक इन्सल्ट है। माननीय सदस्य को चाहिए कि वे स्पष्ट करें कि ऐसा डब्ल प्रोडक्शन किन्हों ने किया है जिन पर जुर्माना करने की आवश्यकता है ?

श्री चन्दनमल वैद : माननीय चेअरमैन महोदय, कम से कम श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य के लिए मैंने इनाम देने की सिफारिश की है। वे क्यों नाराज़ होते हैं ? इनाम लेकर चुपचाप चले जायं।

(हंसी)

मैं अर्ज कर रहा था कि हमें आज न केवल मामूली प्रचार बल्कि एक कॉन्स्टेन्ट प्रचार करना चाहिए। उसके लिए उपाय स्पष्ट करने चाहिए और साथ ही साथ जो इस काम में सक्सेसफुल हों उनको इनाम देना चाहिए और जो इस काम में ज़्यादा बढ़ रहे हैं बच्चे पैदा करने में उन्हें दण्ड देना चाहिए। इस तरह की स्कीम बनाकर फेमिली प्लानिंग को ठीक तरह से सक्सेसफुल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मानता हूं कि सारी प्रगति जो कर रहे हैं वह स्टेण्ड स्टिल हो जायेगी और आबादी इतनी बढ़ जायगी कि लोग बेकार रह जायेंगे। माननीय चेअरमैन महोदय, इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव ग्राम जल-प्रदाय योजना की असफलता पर विचार करने हेतु है। राजस्थान में पानी की जो समस्या है उसको हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किये हैं। सबसे पहले सरकार ने राजस्थान ग्राम जल बोर्ड नाम की संस्था का निर्माण किया है। उसमें कुछ बाहर के उद्योगपतियों ने, जो कि राजस्थान के ही हैं, सहयोग दिया। सहयोग देने में भी राजस्थान सरकार का उसमें अधिकांश धन लगा। सरकार का धन लगने के बाद यह बोर्ड बना, बोर्ड ने कुछ काम किया और उसके बाद सरकार के समक्ष सदस्यों ने आरोप लगाया। आरोप लगने के बाद सरकार को महसूस हुआ कि बोर्ड के अन्दर पैसे का घोटाला हुआ है, गबन हुआ है और सदन के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार के चार्जेज़ लगाये गये थे कि ८० हजार का बोर्ड के अन्दर घोटाला हुआ था। सरकार ने पहले इस बात को ओपनली स्वीकार नहीं किया किन्तु यह मान कर कि काम में गड़बड़ी है, इस बोर्ड को बन्द कर दिया। बोर्ड को

Page No.86

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बन्द करके सरकार ने स्वयं ग्रामों में पीने के पानी की योजना चालू कर रखी है । लेकिन जो बोर्ड द्वारा काम हो चुका है उसके लिए इस सदन में मांग की गई है कि बोर्ड के अकाउन्ट्स की जांच की जाय । इसके उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने कहा कि जांच कर ली है, ठीक है । हमने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट जो इस राजस्थान ग्राम जल बोर्ड की है वह सदन के सामने रखी जाय लेकिन सरकार ने कहा कि इसमें कलेक्टर सर्टिफाई करता है । किसी काम को प्रमाणित नहीं माना जाता है जब तक कि कलेक्टर सर्टिफाई नहीं कर देता है कि यह काम पूरा हो गया है । अब कलेक्टर के सर्टिफाई करने के बाद योजना पूरी मानी जाती है । सभापति महोदय, आज ही मेरे पास एक लिफाफा आया है, झुंझुनू के किसी सज्जन ने एक लिफाफा भेजा है । इसको मैंने खोला तो देखा कि कलेक्टर के द्वारा सर्टिफाई किये हुए कुछ सर्टिफिकेट्स हैं । अगर आप चाहेंगे तो इन्हें मैं सदन की मेज पर रख दूंगा। इनकी माननीय मंत्री-जी जांच कर सकते हैं । इन पर कलेक्टर आर. ए. अरोड़ा की मोहर है । ये १०,१५ सर्टिफिकेट्स मेरे पास आये हैं । इनमें लिखा हुआ है कि इस कुंए पर हजार रुपये दिये गये, अकाउन्ट चैक कर दिया गया है और उस पर उनके दस्तखत हैं । इन सर्टिफिकेट्स पर दस्तखत हैं कि वे अकाउन्ट्स चैक हो गये हैं, ऑडिट हो गया है । लेकिन ऑडिटिंग किस तरह हुआ है ? ऑडिट जो हुआ है, वह गलत हुआ है या ठीक हुआ है ? अगर ठीक हुआ है, तो सर्टिफिकेशन क्यों रूड़ते फिरते हैं ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच करायें । जल बोर्ड के अन्दर गबन के बारे में सदस्यों ने शिकायतें की हैं ? उनके बारे में अगर मंत्री महोदय को विश्वास है कि जल बोर्ड में किसी प्रकार का गबन नहीं हुआ है तो जल बोर्ड के जितने काम हैं उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको सदन के सामने रखें, जिस पर माननीय सदस्य विचार कर सकें और विचार व्यक्त कर सकें । जब तक यह नहीं होता है और इस प्रकार सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि जल बोर्ड में निश्चित रूप से गड़बड़ी थी और ऐसा तब तक माना जायगा जब सरकार ऑडिट रिपोर्ट जो केवल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स के द्वारा मिलेगी क्योंकि सरकार की जो छोटी मशीनरी है, लोकल ऑडिट फन्ड, उसके द्वारा नहीं करवाया है उसका ऑडिट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा किया गया है, उसकी प्रति सदन के सामने रखी जाय तो हम मान सकते हैं, हमें विचार करने का सदन में अवसर मिल सकता है कि गड़बड़ी हुई है या नहीं ? नहीं तो माना जायगा कि जो काम हुआ है, उसमें गड़बड़ी हुई है ।

अब सभापति महोदय, आगे की योजना को देखें तो सरकार ने योजना का विकेन्द्रीकरण किया है । बजट को देखने से पता लगता है कि सरकार ने इस निमित्त जो राशि है वह पंचायत समितियों को दे दी है । पंचायत समिति अब कुंए वगैरह का काम करेगी । लेकिन जिस हिसाब से बजट बढ़ता है उस हिसाब से इस योजना में रुपया बढ़ा है या नहीं, यह देखने की बात है । माननीय सदस्यों ने आलोचना की है कि गांवों में पानी की कमी है । ज्यादातर गांव इस प्रकार के हैं जहां कुंए नहीं हैं, जहां लोग खेती करते हैं वहां मीठे पानी के कुंए नहीं हैं । इसलिए एक बीमारी, जिसके लिए कहते हैं नेहरू,

(श्री जगदीसप्रसाद माथुर)

यह रोग हो जाता है। क्योंकि जहां लोग खेती का काम करते हैं वहां उनके खेतों के आस-पास कुंए नहीं होते हैं, जहां सिंचाई होती है, वहां कुंए मिल जाते है लेकिन अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां किसानों के खेत हैं वहां मीठे पानी के कुंए नहीं हैं, कुंए गांव में मिलते हैं। इसलिए लोग खेत के आसपास तलैया या जोहड़ का पानी पीते हैं। जहां १०,१५ खेत पास पास हैं वहां लोग कुंए खोदने को तैयार होते हैं और पंचायत समिति और सरकारी एजेन्सी है वह गांवों के अन्दर कुंए खोदने के लिए तैयार होती है। जहां इस प्रकार के खेत हैं, जहां सिंचाई का काम किया जाता है, वहां कुंओं के लिए रुपया दिया जाता है कि पीने के पानी की कमी होती है उस कमी को दूर करने के लिए सरकार के पास प्रावधान नहीं है। न हमारी पंचायत समितियां रुपया देती हैं, न जिलाधीश रुपया देता है, कहीं से भी रुपया नहीं मिलता है। जो रुपया कुंआ खोदने के लिए दिया जाता है या व्यक्तिगत कोई कुंआ खोदता है तो सिंचाई के लिए खोदा जाता है। लेकिन जो पीने के पानी की समस्या होती है उसके लिए आपके पास प्रावधान नहीं है, उसके लिए पंचायत समिति भी रुपया नहीं देती है। इसके लिए जो प्रावधान रखा है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १६५६-६० में कुंओं के लिए सरकार ने जो रुपया रखा था वह ५० लाख रुपया रखा था। अब जो रुपया रखा गया है १६६०-६१ में और जो पंचायत समितियों को दिया गया है वह भी ५० लाख रुपया दिया गया है। तो क्या इतनी ही आवश्यकता थी? आज जब हम पंचायत समिति की मीटिंग में देखते हैं कि लोगों की मांगें आती हैं, पीने के पानी के कुंओं की जो संख्या है उसको बढ़ाने की मांग आती है। हमारी सरकार के बजट में, इस हैड में जो रुपया बढ़ा है, इसका अर्थ यह है कि वह एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज़ में बढ़ा है। लेकिन जो कन्स्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए, जो पानी की समस्या को पूरा करना चाहते हैं, वह एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज बढ़ाने से नहीं होगा। इसलिए कुंओं के लिए कितनी धनराशि बढ़ाई है, यह स्पष्ट रूप से सरकार बताये कि कुंओं के लिए कितनी रकम बढ़ाई गई? अगर नहीं बढ़ाई तो क्यों नहीं बढ़ाई? मैं समझता हूं कि यह रकम बढ़ानी चाहिए। यह रकम बढ़ानी चाहिए थी। इसके अन्दर जो पहले धनराशि रखी थी उसकी डेढ़ गुनी पंचायत समितीज़ को देनी चाहिए थी वह सरकार ने नहीं दी इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार को जो काम वास्तव में करना चाहिए वह नहीं किया है और जो नहीं करना चाहिए वह किया है; जैसे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से पानी नहीं मिलेगा लेकिन पीने के पानी की समस्या है, वह कुंओं की संख्या बढ़ाने से हल होगी। इसके लिए जो स्थान बताये गये हैं, वहां कुंओं की संख्या बढ़ाने की योजना सरकार बनायेगी तो पीने के पानी की समस्या हल होगी। इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है।

दूसरा जो मेरा कटौती का प्रस्ताव था वह यह था, राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम में सरकार की असफलता पर विचार करने हेतु। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने सभी म्यूनिसिपैलिटीज़

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

द्वारा एक कानून लागू करवाया है वह है फूड अडल्टरेशन एक्ट । यह केन्द्रीय सरकार का कानून है, राज्य सरकार को यह कानून नहीं बनाना पड़ा है । यह कानून म्यूनिसिपैलिटीज़ द्वारा लागू करवाया गया है । इसको लागू करवाने में कोई दिक्कत नहीं आई । इसके अन्दर हुआ क्या है कि चाहे एक व्यापारी दो पैसे की चूरण, चटनी बेचता है, चाहे एक रुपये की गोली, बिस्कुट बेचता है। उसको आज १२ रुपये सालाना टैक्स देना पड़ेगा, इस प्रबन्ध के लिए कि उसके खाद्य पदार्थों में मिलावट है या नहीं। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यापारी को १२ रुपये टैक्स देना पड़ेगा । जो यह खाद्य पदार्थों के लिए कानून है, उसकी मन्शा क्या थी ? उसकी मन्शा यह थी कि बड़े बड़े व्यापारी जो घी, दूध आदि का व्यापार करते हैं उन पर निश्चित् तौर से यह लागू होगा ; लेकिन वह फूड अडल्टरेशन एक्ट जिस रूप में लागू किया गया है उससे यह छोटे छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगा । हर एक व्यापारी के पास इन्सपेक्टर जाता है और वह इन्सपेक्टर टैक्स लेता है । लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि किसी चीज़ में मिलावट है या नहीं। जब तक यह प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक इससे कोई लाभ हो नहीं सकता । किसी चीज़ में मिलावट है या नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हो, इस प्रकार की बात नहीं है । केवल इन्सपेक्टर जाता है और कहता है कि घी में मिलावट है और उस व्यापारी को गिरफ्तार कर लेता है । अब जो मिलावट पकड़ी जाती है तो वह जयपुर में भेजी जाती है डिवीज़नल सेन्टर्स में भेजी जाती है, जहां लेबोरेटरी हैं, वहां टेस्ट करने के लिए भेज दी जाती हैं । इस प्रकार से क्या आप मिलावट को रोक सकते हैं ? किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ हो, धनिया हो, हल्दी हो, मिर्च हो, किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ को ले लें, सभापति महोदय, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसमें मिलावट न हो यानि मिलावट को रोकने का जो ढंग है, वह तो होता नहीं है लेकिन इस प्रकार की मशीनरी जरूर बना दी है जो लोगों को परेशान जरूर करती है । आप जाकर देखिये, हर अदालत में इस प्रकार के केसेज़ आते हैं जो मिलावट के सम्बन्ध में हैं । सरकार को पूछा जाय कि मिलावट को रोकने के लिए क्या प्रयत्न किया तो मंत्री महोदय आंकड़े गिनायेंगे कि घी के इतने व्यापारियों का चालान किया, दूध के इतने व्यापारियों का चालान किया, इतने मिर्च और धनिये के व्यापारियों का चालान किया । चालान आपने जरूर किये ।

(घंटी)

लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती है । १२ रुपये टैक्स लेकर व्यापारियों को लाइसेन्स बनवाने के लिए मजबूर करेंगे उससे समस्या का हल नहीं होगा । आपको इस प्रकार की मशीनरी सेट-अप करनी होगी, जैसे हर स्थान पर आज व्यापारियों के पास खाद्य पदार्थ आते हैं, गांव वाले घी लेकर आते हैं, वह मिलावट करके ले आये, तो व्यापारी को क्या पता चलता है लेकिन उसी को इन्सपेक्टर गिरफ्तार कर लेता है....

एक माननीय सदस्य : कोरम पूरा नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अब कुसूर किसका, कौन मिलावट करने वाला है लेकिन गिरफ्तार होगा व्यापारी और उससे इस प्रकार की अव्यवस्था फैल जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रान्त में इस प्रकार की मशीनरी को बढ़ायें, जो मशीनरी जिस व्यापारी की किसी चीज़ पर शक हो उसको कम से कम पहले टेस्ट कर ले। जब तक यह व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक मिलावट की जो चीजें हैं उन पर प्रतिबन्ध नहीं लग सकता है। बिना मतलब के राज्य सरकार

(घंटी)

डिपार्टमेंट बनायें और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज़ बढ़ाती रहे लेकिन वास्तव में उससे लाभ नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग–मु) : सभापति महोदय, मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६ पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। मेरे यह कटौती प्रस्ताव रखने का आशय यह है कि जन स्वास्थ्य जैसे एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम के होते हुए भी राजस्थान सरकार ने इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है बल्कि बहुत से भागों में तो इसका बहुत ज्यादा अभाव है।

सभापति महोदय, जन स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध राजस्थान की प्रत्येक जनता के साथ है, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो क्योंकि स्वास्थ्य का सबको ध्यान रखना पड़ता है और राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य को ठीक रखना वैसे राजस्थान सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और बीमारियां ज्यादा फैलीं तो जनता के स्वास्थ्य का स्तर गिरता जायगा और दिन दिन ज़्यादा बीमारियों के आक्रमण में फंसते जायेंगे।

तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य का सम्बन्ध सबसे पहले मनुष्य की आदतों से है। जैसी आदत होती है वैसा ही प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। उसकी आदत अगर अस्वास्थ्यकारी है तो उस पर नाना प्रकार की बीमारियां अपना प्रभाव जमावेंगी....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आदत से आपका क्या मतलब है ?

श्री रामचन्द्र : 'रहन–सहन' के तरीके' से मतलब है, और कोई आदत से मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : 'रहन–सहन के तरीके' से मतलब कपड़े पहिनने से है ?

(हंसी)

श्री रामचन्द्र : नहीं। खान–पान, रहना–बसना जिन्हें डेली हेबिट्स कहते हैं। इसी से बीमारियां पैदा होती हैं और उन बीमारियों से बचने के लिये एक मात्र उपाय यह है कि मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा हो। इसलिये राजस्थान सरकार को इन बीमारियों को रोकने के साथ साथ राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य की ओर भी विशेष ध्यान देना

(श्री रामचन्द्र)

चाहिये। आज राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य के लिये जिस प्रकार का खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में मिलता है वह बहुत मिलावट किया हुआ मिलता है। यदि डाइटिक पोइन्ट ऑफ व्यू से देखा जाय तो राजस्थान की ६६ प्रतिशत जनता भूखी है, केवल १ प्रतिशत जनता को उचित भोजन मिलता है जिससे कि वह स्वस्थ रह सकती है। तो आपको जनता के उचित डाइट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। जो भोजन मिले, बलवर्द्धक और शुद्ध मिलना चाहिये। घी, दूध आज मिलावट के साथ मिलते हैं। यद्यपि सरकार ने इसके लिये इन्सपेक्टर्स मुकर्रर किये हैं पर काम जिस ढंग से और जिस शिथिलता से हो रहा है कोई लाभ उससे नहीं मिलता। खास करके छोटे छोटे कस्बों और गांवों में तो इसकी बिल्कुल कमी है। जहां म्यूनिसिपल एरिया है वहां पर इस प्रकार का न कोई इन्सपेक्टर्स का प्रबन्ध है जो खाद्य पदार्थों की जांच करें और नतीजा यह है कि आज वहां की जनता को पैसे खर्च करने पर भी मिलावट किये हुए खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, शुद्ध खाद्य पदार्थ नहीं मिलते। तो आपको इसका अच्छा उचित प्रबन्ध राजस्थान के कस्बों, शहरों और गांव-गांव में करना चाहिये कि खाद्य पदार्थ जनता को शुद्ध मिलें ताकि जनता अपनी हैल्थ की अच्छी तरह रक्षा कर सके। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने गरीब लोगों के साथ जिनको कि गरीबी की वजह से दूध, घी नहीं मिलता है उनके बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पाउडर्ड मिल्क वितरण करने का प्रबन्ध किया है पर दुःख की बात है कि मनों पाउडर्ड मिल्क आता है वह किसके पेट में जाता है, इसका यदि साक्षात्कार देखना है तो किसी बड़े शहर में जाइये जहां यह पाउडर्ड मिल्क पिलाया जाता है, आपको पता चलेगा कि यह दूध अमीरों के बच्चों को पिलाया जाता है, गरीबों के बच्चों को यह पाउडर्ड मिल्क भी नहीं मिलता।

उदाहरण के तौर पर कहूंगा कि इस प्रकार का पाउडर्ड मिल्क झालावाड़ में पिलाने का प्रबन्ध है। उसका तरीका यह है कि स्कूलों में पाउडर्ड मिल्क तैयार करके पिलाया जाता है। जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनको पिला दिया जाता है पर जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते उनको यह नहीं पिलाया जाता। मैंने वहां निवेदन भी किया कि गरीबों की बस्तियों में बच्चों को दूध पिलाने का प्रबन्ध किया जाय पर वे डॉक्टर लोग किसी तरह गरीबों की बस्तियों में जाकर दुख उठाने को तैयार नहीं।

इसी तरह जोधपुर की मिसाल है। दो मोहल्ले हैं, एक मोहल्ला राज-बाग है और दूसरा मोहल्ला है....

श्री भैरोंसिंह : नाम क्या है दूसरे मोहल्ले का ?

श्री रामचन्द्र : राज बाग में गरीब लोग रहते हैं और दूसरे मोहल्ले में अमीर लोग रहते हैं। इतवार के रोज स्वास्थ्य विभाग के आदमी बच्चों को दूध पिलाने जाते हैं, अमीरों के बच्चों को उनके मोहल्ले में दूध पिलाने जाते हैं। गरीबों के मोहल्ले वालों ने उनसे कहा कि हमारे मोहल्ले में भी बच्चों को दूध पिलाने आइये तो उन्होंने कहा कि

(श्री रामचन्द्र)

तुम्हारे बच्चों को यहां पर भेज दो। दो, तीन फर्लांग की दूरी है और बीच में दो सड़कों के क्रोसिंग आते हैं, ऐसी हालत में कोई मां-बाप अपने बच्चे को वहां भेजने को तैयार नहीं होते। वहां के स्वास्थ्य के डॉक्टर हैं उनको कहा गया पर अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब भी वहां पाउडर्ड मिल्क बजाय गरीबों के बच्चों के अमीरों के बच्चों को पिलाया जाता है।

सभापति महोदय, आज राजस्थान की भयंकर बीमारी जिसको नेहरू कहते हैं उसके बारे में भी सदन के माननीय सदस्यों ने कहा, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की किसान जनता का इस प्रकार की नेहरू की बीमारी विनाश करने वाली है। किसी को नेहरू की बीमारी हो गई तो वह ६ महीनों के लिये काम-काज करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है....

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : 'नेहरू' का मतलब क्या है ?

श्री सभापति : उसका मतलब "गिन्नी वॉर्म" है।

श्री रामचन्द्र : इसके भिन्न भिन्न नाम हैं। हमारे यहां तो नेहरू कहते हैं, आपके यहां और नाम से कहते होंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री रामचन्द्र : तो मैं निवेदन कर रहा था कि नेहरू की बीमारी किसान जनता का नाश करने वाली है। इधर सरकार फूड प्रोडक्शन पर जोर देती है और उधर किसान नेहरू बीमारी से काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो सरकार को चाहिये कि नेहरू नाम की बीमारी है उसको रोकने के लिये समुचित कदम उठाए।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : आपको नेहरू निकला हुआ है क्या ? आपको नेहरू का अनुभव है ?

श्री रामचन्द्र : बिल्कुल अनुभव है, चार बार मुझे नेहरू निकल चुका है और मैं चाहता हूं कि आपको इसका अनुभव नहीं कराये।

(हंसी)

इस विषय में और जानकारी करना हो तो मेरे भाषण के बाद में मुझसे मिल लें, मैं पूरा हाल बता दूंगा। अभी मुझे अपना भाषण समाप्त कर लेने दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात न करें, भाषण जारी रखें।

श्री रामचन्द्र : इसको रोकने के लिये सरकार रिसर्चेज़ कर रही है पर इसमें कितनी सफलता मिली, यह नहीं कहा जा सकता। कहा जाता है कि सीढ़ीदार कुंओं और बावड़ियों की वजह से यह बीमारी फैलती है तो इस प्रकार के कुंओं और बावड़ियों को एक दम से खत्म करने, भंग करने का ऑर्डर सरकार क्यों नहीं निकाल देती ? जो चीज़ राजस्थान की जनता का अहित कर रही है उसको कानून द्वारा बन्द किया जाना चाहिए।

Page No.92

(श्री रामचन्द्र)

इस जन स्वास्थ्य विभाग का एक काम प्रसूति गृहों का प्रबन्ध करने का भी है। मैं झालावाड़ के एक बहुत ही बड़े अभाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झालावाड़ में केवल जनरल हॉस्पिटल है जो ज़िला हैड क्वार्टर पर है। वहां पर वास्त में राज्य की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं है लेकिन दो वार्ड्स किसी दानी ने कृपा करके बना दिये और इस वज़ह से वहां पर मेटर्निटी का अच्छा इन्तज़ाम होने से प्रसूति गृह में अधिक औरतें आने लगी हैं। अब यह हो गया है कि साल में ८०० या ६०० प्रसूतियें वहां आ जाती हैं। आरंभ में वहां पर दो औरतों के लिये गृह बनाया गया था। अब तो एक एक वार्ड में चार चार औरतों को रखा जाता है। मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि झालावाड़ में मेटर्निटी वार्ड और अधिक संख्या में बनाया जाना चाहिये।

अंत में मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इन दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला परिषद और पंचायत समितीज के बनने के बाद वेक्सीनेशन का सारा काम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया गया है। वेक्सीनेशन का काम एक अक्टूबर से लेकर अप्रेल तक यानि ६ महीने तक होता है और काम वहां पर इतना ज्यादा होता है कि जो वेक्सीनेशन का काम किया जाता है वह बहुत कम है क्योंकि वेक्सीनेटर्स की संख्या बहुत कम है। इसलिये बहुत कम काम हो पाता है और बाद में होता है तो ऐसे समय में होता है जब बहुत गर्मी पड़ने लगती है उस वक्त वेक्सीनेशन होता है। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वेक्सीनेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता और इससे जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच पाता। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वेक्सीनेटर्स की संख्या बढ़ाई जावे और इस बात की कोशिश की जावे कि पब्लिक स्मॉल पोक्स से अपने आप की रक्षा कर सके।

अंत में मैं आपका ध्यान प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की ओर दिलाना चाहूंगा। जहां पर ब्लॉक्स खुले है वहां पर ही प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खुले हैं। उनकी स्थिति जहां तक मैं देखता हूँ केवल कागजों में ही है। वास्तव में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर क्या है और पब्लिक को उनसे क्या फायदा पहुँचाया जा सकता है, यह अभी पब्लिक के सामने नहीं आया है। झालावाड़ में ४ विकास खंड हैं और दो छाया खंड हैं। दो ब्लॉक्स को चलते आज ४ वर्ष हो गये। पब्लिक हैल्थ सेन्टर के नाम से बिल्डिंग बन-चुकी है। मगर न तो वहां पर कोई डॉक्टर है न कोई दवाई। अगर किसी तरह से डिपार्टमेंट हो गया तो उससे दूसरा काम लिया जाता है और लोगों को प्राइमरी हैल्थ सेन्टर का कोई नफा नहीं पहुंच रहा है। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान झालावाड़ जिले के अभाव की ओर आकर्षित करता हूँ कि पब्लिक को सुविधा देने और उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये इस तरफ ध्यान दे और प्राइमरी सेन्टर खोलने की कोशिश करे। बस यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मीचन्द (साचोर) : सभापति महोदय, मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६- जन स्वास्थ्य पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक तो कट मोशन है : सेनिटरी इन्सपेक्टर,

(श्री लक्ष्मीचन्द)

भीनमाल सब डिविजन में एक ही है इसलिये उचित सेनिटरी इन्सपेक्टर्स की व्यवस्था करने हेतु।

सभापति महोदय, जहां तक इस सब-डिविज़न का प्रश्न है इसमें करीबन ४५० गांव हैं और उनकी आबादी और स्ट्रेन्थ को देखते हुए एक सेनिटरी इन्सपेक्टर आपको जिस उद्देश्य से सेनिटरी इन्सपेक्टर को रखा जाता है उसकी पूर्ति नहीं होती। वह सब जगह पूरी देख भाल नहीं कर सकता है और जिस पर्पज़ से इस पर पैसा खर्च किया जाता है वह पर्पज़ सर्व नहीं होता। एक साल में वह पूरे गांवों का दौरा भी नहीं कर सकता क्योंकि आप देखेंगे कि एक साल में ३६५ दिन मिलते हैं और उसमें गांवों की संख्या ४५० होती है। तो इसका मतलब यह है कि एक आदमी बराबर हमेशा काम करता रहे तो भी वह काम पूरा नहीं कर सकता है। इसलिये जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे रखा है उसकी पूर्ति नहीं होती इसलिये इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार उनकी संख्या में वृद्धि करे अन्यथा इस सब-डिविज़न में एक सेनिटरी इन्सपेक्टर से कोई फायदा नहीं होने वाला है।

दूसरा मेरा कट मोशन है सांचोर तहसील में पीने का मीठा पानी की कमी। आज जो सरकार जनता के लिये पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकती है, जो सरकार जनता के लिये मीठा पानी उपलब्ध नहीं कर सकती तो उस सरकार से हम क्या उम्मीद रखें और रख सकते हैं, उस सरकार में हम किस प्रकार से विश्वास रख सकते हैं कि वह हमें दूसरी सब प्रकार की सुविधाएं दे सकेगी? मैं यह कहूंगा कि आप दूसरे प्रकार की सुविधा चाहे दूसरों को दें लेकिन ग्रामीण जनता को पानी पीने के लिये तो दें। इनका पानी उपलब्ध करें जो उनके पीने के लिये पर्याप्त हो। आप वहां पर देखेंगे कि शाम पड़ने के बाद में औरतें पानी के लिये बेरियों पर जाती हैं और वहां पर दो दो घन्टे उस बेरी पर बैठी रहती हैं और जब तक पानी उन बेरियों में नहीं सांगलता यानि उस बेरी में पैदा नहीं होता तब तक उनको उसके लिये इन्तज़ार करना पड़ता है। इसके अलावा वहां पर दूसरे कई लोग भी आ जाते हैं और उस कारण से उनको पानी के साथ मिट्टी भी लानी पड़ती है। अगर आज आप उनकी दशा को देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। लेकिन आज उनको देखने के लिये सरकार के पास फ़ुर्सत नहीं है। सरकार ने एक मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई है, उस कमेटी ने हमारे सुझाव मांगे और हमने उस सम्बन्ध में सुझाव दिये। मगर अफसोस इस बात का है कि हमारे सुझावों को दिये हुए आज साल भर हो गया है उन पर कुछ भी नहीं हुआ है। समझ में नहीं आता कि हमसे जो सुझाव मांगे गये थे उनको क्यों ताक में रख दिया गया है? या तो वे दब गये हैं या सरकार उन पर जानबूझ कर ध्यान नहीं देती है। अगर सरकार उन पर ध्यान नहीं दे सकती और पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकती तो फिर सरकार जनता के प्रतिनिधियों से सुझाव लेकर और कमेटी बना कर क्यों रुपया खर्च कर रही है? क्यों सरकार इस प्रकार का प्रचार जनता में करती है कि इस प्रकार से जल की समस्या को हल करने के लिये हमने एक कमेटी बिठाई है और जनता के प्रतिनिधियों के सुझाव आने पर सरकार उनके लिये पानी का प्रबन्ध करेगी? आज

Page No.94

(श्री लक्ष्मीचन्द)

सरकार लोगों को पीने के लिये मीठा पानी नहीं दे सकती, पानी और हवा दोनों मनुष्य के लिये बहुत ही आवश्यक हैं। बिना पानी के मनुष्य ज्यादा समय तक जिन्दा नहीं रह सकता, उसका आप इन्तजाम नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि हडोची में कुछ पैसा लोगों ने कन्ट्रीब्यूट किया और वह काफी समय से जमा करा दिया गया मगर फिर भी कभी अन्डर ग्राउन्ड वाटर वर्कस वाले कहते हैं कि उनको समय नहीं है। कभी पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर कहते हैं एस्टीमेट खर्चे से ज्यादा बढ़ गया है तो कभी सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर कहते है कि पैसा स्वीकृति से ज्यादा मांग लिया गया है। चार पांच जगह के लिये कुए बनाने के लिये पैसा जमा करा दिया। यह कहा जाता है कि सरकार ने इसके लिये स्वीकृति दे दी और लोगों ने पैसा जमा करा दिया। मैं यह कहूँगा कि अगर सरकार वायदों में सही नहीं हो तो मेरा यह कहना है कि वह सरकार योग्य सरकार नहीं कही जा सकती। जिस सरकार में पानी नहीं है तो उस सरकार से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं ?

अब मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान पाइप लाइन की स्कीम को चालू रखने के लिये सरकार ने जो विश्वास दिलाया उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। इसके लिये कमिश्नर, कलेक्टर ने विश्वास दिलाया था कि पाइप लाइन की योजना चालू की जावेगी। मगर आज तक उसके बारे में कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। कोई overseer नहीं पहुँचा है। हम ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। सरकार को चाहिये कि जनता के पीने के पानी के मामले में तो सतर्क रहे। मगर वह सतर्क नहीं रहती और जिस समय वोट्स का प्रश्न आता है उस समय काश्तकारों को अन्नदाता कह कर वोट के लिये कहते हैं। जिन काश्तकारों को अन्नदाता कह कर पुकारते हैं उनके लिये आप पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं करते तो ऐसी सरकार को हम क्या कहें। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इसमें ढिलाई बर्ती जा रही है वह न बर्ती जाए और जनता को मीठा पानी पीने के लिये उपलब्ध करने का प्रयास करे।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाणिया।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू सु०) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कट मोशन है वह है मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३६ जन स्वास्थ्य, हैल्थ सेन्टर खोलने के बारे में।

यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तहसील दूदू जहां करीबन ५० हजार से अधिक जनता बसती हो उस पूरी तहसील में हैल्थ सेन्टर का इन्तजाम न हो, वहां की जनता बीमारियों से परेशान होती रहे और हर प्रकार की तकलीफ उठाती रहे इस प्रसंग को ध्यान में लाते हुए

(श्री लादूराम मुलाणिया)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता के कष्ट निवारण की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है अतः इस ओर ध्यान देकर वहां पर एक हैल्थ सेन्टर खोलने की कृपा करें इसके द्वारा जनता को सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये । वहां की रेवेन्यू आय है और उससे जो सरकार को फायदा होता है लेकिन जन स्वास्थ्य पर जो धन राशि खर्च की जाती है उसकी उपलब्धि वहां की जनता को न होकर दूसरे लोगों को होती है तो मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिसका हक है उसको मिले उसके अनुसार भी वहां पर एक हैल्थ सेन्टर खोला जाना अति आवश्यक है ।

वहां पर जितने भी छोटे औषधालय हैं या एड मिलती है, ऐसी स्थिति में जो वहां पर दवाखाने हैं उनकी हालत असंतोषजनक है । उनका रवैया है कि वहां की जनता यदि दवाई लेने जावेगी, कोई टेबलेट लानी है, गोलियां लानी है, तो वहां पर जो वैद्य और डॉक्टर बन बैठे हैं वे जनता से उस दवाई का पैसा चार्ज करते हैं । मिसाल के लिए बताऊं कि तहसील मौजमाबाद में बराबर में, एक छोटा दवाखाना है, उस डॉक्टर की शिकायत कई दफा जनता ने की और सरकार से मांग की कि इस डॉक्टर का वहां से तबादला कर दिया जाय, कारण यह है कि हरएक आदमी से दस-बीस रुपया जब न मिल जावे तब तक वह इलाज नहीं करता है जनता ने इस प्रकार के केसेज़ सरकार के सामने रखे हैं और कहा गया कि इस डॉक्टर का वहां से तबादला कर दो लेकिन जनता व्याकुल है, शिकायतें करती हैं, लेकिन उनका ट्रान्सफर नहीं होता है, तीन साल हो गये हैं फिर भी ट्रान्सफर नहीं होता है । जनतन्त्र के राज्य में जनता जिस चीज़ की मांग करती है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये । लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जाता । बराबर लोगों की मांग होती रहती है लेकिन उनका ध्यान तो उधर जाता है जिधर उनका विचार होता है । यह सबसे बड़ा करप्शन है । माननीय सदस्य अपनी अपनी जगह से सुझाव देते हैं । अभी मैंने मोजमाबाद के डॉक्टर का बताया और सन् ५६ में एक मुसलमान परिवार को पोइजन हो गया, किसी ने जहर दे दिया या किसी वस्तु के खाने में आ जाने से ज़हर हो गया । सात मरीज़ों को अस्पताल में डॉक्टर के पास भेजा गया। डॉक्टर ने कहा मेरे बस का नहीं है । उसने किसी प्रकार से उनका इलाज किया नहीं बल्कि उनको होस्पिटल से निकाल दिया गया । उनको जयपुर लाया गया, आठ दिन तक उनका ट्रीटमेंट हुआ और वे ठीक हो गये । इस प्रकार के पोइज़न के केसेज़ हो जावें, मनुष्यों की मृत्यु का खतरा हो जावे और बचने की हालत नहीं, उनको इस प्रकार से निकाल दिया जाय डॉक्टर के द्वारा और इस प्रकार की अवस्था के लिये सरकार की इस अव्यवस्था पर सरकार का ध्यान न जावे यह सोचनीय बात है । इसलिये वहां पर एक हैल्थ सेन्टर खुल जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

दूसरा, जल की व्यवस्था के लिये इस इलाके के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि जल बोर्ड से एक कुंआ बनाया गया । वहां कुंए में पानी है, पानी का वह इलाका है । पीने के पानी के लिए ही कुंआ बनाया गया लेकिन लोग कुंओं से पानी नहीं पीते । वहां पर झगड़ा

(श्री लादूराम मुलाणिया)

ज़बर्दस्त है। हरिजनों को १ हजार रुपया जल बोर्ड से मिला जल कष्ट निवारण के लिए और उन्होंने एक हजार रुपया मिला कर दो हजार रुपया इसके लिये खर्च किया-गांव वाले कहते हैं कि हम पानी भरेंगे तो हरिजनों को नहीं भरने देंगे और हरिजन भरेंगे तो हम नहीं भरेंगे। एक तरफ सरकार जन-स्वास्थ्य की बहुत बड़ी बात करती है लेकिन भाई-भाई में प्रेम रहना चाहिये, सम्पर्क रहना चाहिये, उनका उत्थान होना चाहिये, इसकी कोई व्यवस्था सरकार नहीं करती। मैं माननीय सदस्यों और पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि हर चीज़ को आगे बढ़ाने में, जनता का उद्धार करने में और देश को आगे बढ़ाने में, इस प्रकार का मेल कराने में, झगड़े बाज़ी मिटाने में सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती। गांव चुलास के लिये अर्ज करूंगा कि वहां पर एक कुआ बनाया गया। जल बोर्डसे १,६००)रु० मिला। पहले ८००)रु. की किस्त मिली, ८००)रु. की किस्त बकाया रही। जब मांगी गयी तो करप्शन का केस लगाया गया इन्सपेक्टर पर और वह गिरफ्तार हुआ। हिसाब पेश हो जाने के बाद वह हरिजनों पर डिग्री लाता है कि वापिस ८००)रु. जमा कराओ क्योंकि तुमने सरकार के इन्सपेक्टर के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही की है। कुंआ बनाया है तो भी रुपया वापिस लाओ, यह बड़ा अन्याय होता है। सरकार ने सहायतार्थ रुपया दिया है, कुंआ बनाया है इसलिये कि सैकड़ों लोग उससे पानी पीयें लेकिन एक व्यक्ति से वापिस रुपया वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। यह कितना बड़ा अन्याय है ? आपके द्वारा, सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार से अन्याय रोकने के लिये विशेष कदम उठाया जाय और राजस्थान के जो भाग्य विधाता लोग हैं उनको चाहिये कि इसका निवारण करने के लिये इसका अच्छा गठन करें, कमेटीज़ बनायें। जैसे ग्राम पंचायतें हैं उनमें सर्क्युलर भेजा है कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको समाप्त करें और जब आगे आती हैं तो ऊपर वाले अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि नीचे के लेवल पर ठीक फैसले नहीं होते हैं, उनको जरूर देखना चाहिये। उच्चाधिकारी इन मामलों को अगर निपटायें तो निपट सकते हैं।

गांव बचूण के कुंए का मामला लीजिये। एक साल हो गया, अदालत में केस चल रहा है, न वे लोग पानी भरते हैं और न उन लोगों को पानी भरने देते हैं। कुंए में पानी है, मीठा पानी है, फिर भी इस झगड़े के कारण उनको उपलब्ध नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मसलों को निपटाना ज़रूर होगा।

एक निवेदन और करूं कि हरिजन छात्रों के विषय में जो बात है वह भी जन स्वास्थ्य को लेकर है। हरिजन छात्रावास जितने खुले हैं वहां पर और उनमें जो हरिजन छात्र विद्या-अध्ययन करते हैं उनके स्वास्थ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वे बुख़ार आदि कई बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। अस्पतालों में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि पैसा लाओ। इसलिए उनके लिए उचित प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये। इसलिए किसी डॉक्टर की व्यवस्था हो, जो होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट का सर्टिफ़ीकेट लेकर आये या सिफ़ारिश लेकर आये तो उनके

(श्री लादूराम सुलाणिया)

लिये स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिये। हरिजन बच्चों के लिए स्कूलों की फीस बन्द है, सन् १६५० से ऐसा सरक्युलर निकाला गया था सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से भी सब स्कूलों को ऐसा सरक्युलर भेजा गया था लेकिन अभी तक हरिजन छात्रों से पूरी फीस ली जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं हमारे बच्चों से फीस ली जाती है।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : कौनसी फीस ली जाती है?

श्री लादूराम सुलाणिया : पूरी फीस जितनी भी होती है लेते हैं। पढ़ाई की फीस...

श्री सभापति : यह मांग पब्लिक हैल्थ के बारे में है, आप स्वास्थ्य के विषय में ही बोलें।

श्री लादूराम सुलाणिया : सभापति महोदय, ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं जिनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : ऐसी तो बहुत सी बातें ज़रूरी हैं लेकिन आपका जिस विषय का कटमोशन है उसी पर बोलें।

श्री लादूराम सुलाणिया : सभापति महोदय, संक्षेप में ही बोलूंगा। स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है वह कई लाख रुपया होता है। यह लाखों रुपया जनता से वसूल होकर जो हमारी आय है उसमें से खर्च होता है और उसी आय पर राज्य चलता है। लेकिन जो इस प्रकार की आय देने वाले लोग हैं उसके स्वास्थ्य का ध्यान न रखें तो यह उचित नहीं है। जयपुर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन यहां पर कोई तीस मील दूरी से इलाज के लिये आये, यह स्वाभाविक नहीं हो सकता। अत: ऐसे स्थानों के लिए पांच सात मील की दूरी पर ही दवाखाने या हैल्थ सेन्टर्स खोल दिये जायं तो लोगों को बहुत सुविधा मिल सकती है।

(घंटी)

दो–चार मिनट में ही समाप्त कर देता हूं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर पंचायत समिति के क्षेत्र में एक हैल्थ सेन्टर अवश्य खोला जाना चाहिये ताकि वहां की जनता को पूरी सुविधा मिले। इसी विचार को लेकर मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है। आशा है, माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा।

श्री सभापति: श्री गोकुलचन्द जाटव।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं पहला प्रस्ताव है : देहाती इलाकों में पीने के पानी के लिये अधिक धन राशि खर्च की जाय।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में कुल जनसंख्या १ करोड़, ५६ लाख

श्री भीमसेन)

के करीब है उसमें से २७ लाख की आबादी शहरों और कस्बों में रहती है। इसके साथ साथ १.३० लाख की आबादी गांवों में रहती है। हमने पिछले....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं वह सरक्युलेट नहीं हुआ है। हमारे पास तो है नहीं।

श्री सभापति : सरक्युलेट तो नहीं हुआ है किन्तु डिप्टी स्पीकर साहब ने इनको अनुमति दे दी है।

श्री भीमसेन : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था हमारे देहातों में करीब १.३० की आबादी रहती है। हमने प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस कार्य के लिये १ करोड़ की व्यवस्था की थी जिला और केन्द्रीय योजनाओं के लिये और उसके साथ साथ हमने करीब १ करोड़ रुपया पीने के पानी के लिये खर्च किया। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हम कुल १.६० लाख ८० खर्च करने जा रहे हैं। १.२० लाख तो खर्च कर चुके हैं, ५० लाख का प्रोविजन इस साल के बजट में किया है। शहरों में जहां केवल २७ लाख की पोपुलेशन है उनके लिये हमने ६ करोड़, ३१ लाख की स्कीमें हाथ में ले रखी हैं। एक तरफ गांवों में ऐसी हालत है गांव में पीने के की पानी व्यवस्था के लिये वहां के लोगों को पूरा दिन भर पीने का पानी लाने के लिये खर्च करना पड़ जाता है और दूर दूर से पानी लाकर अपने जीवन की व्यवस्था करते हैं। दूसरी तरफ हमारे शहरों में हम देखते हैं हर एक मकान में नल की व्यवस्था की जा रही है। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं कि आप शहर के लोगों को इतनी सुविधायें क्यों दे रहे हैं। आप जितनी अधिक से अधिक सुविधायें दे सकते हैं शहर-वालों को दीजिये लेकिन इसके साथ साथ गांवों की आबादी १ करोड़, ३० लाख है उनके लिये कम से कम इतना प्रावधान तो जरूर कर दें ताकि गांवों में पीने का पानी मुहैया हो सके। आज हम प्रजातन्त्र में। देहातों में रहने वालों के लिये पानी जैसी बेसिक चीज़ की हर गांव में व्यवस्था कर पायें तो हमारे लिये बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन अभी जितनी योजनायें ली हैं, हमारा जितना प्रयास होना चाहिये, जितनी रकम रखी जानी चाहिये उतना प्रावधान नहीं कर पाते हैं।

हाल ही में राजस्थान सरकार ने रेगिस्तान में पानी की कमी को दूर करने के लिये वहां पानी के साधन उपलब्ध हो सकें, इसकी खोज के लिये एक कमेटी मनोनीत की थी। कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार के सामने प्रस्तुत करदी हैं और वे सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। लेकिन, सभापति महोदय जैसा कि अभी हमारे यहां स्टेट गवर्नमेन्ट का थर्ड फाइव इयर प्लानफ्रेम पब्लिश किया है उसको देखने से ऐसा जाहिर होता है कि हम जो यह उम्मीद करते थे कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम हर गांव में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के लिये प्रावधान देखेंगे लेकिन वह प्रावधान उसमें नहीं कर पाये हैं। सभापति महोदय, इस कटौती प्रस्ताव द्वारा मेरी सरकार से मांग यह थी कि हमने एक तरफ तो सुविधा के नाम पर

(श्री भीमसेन)

६ करोड़ और ३१ लाख की योजनायें हाथ में ले रखी हैं और उधर हमने देहातों में पीने के पानी जैसी बेसिक चीज़ को अभी तक प्रत्येक गांव में मुहैया नहीं कर पाये हैं। एक तरफ तो अत्यन्त आवश्यकता की चीज़ है और दूसरी तरफ सुविधा है जहां सुविधा के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं वहां आवश्यकता की जगह पर आप प्रावधान नहीं करते। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये ज्यादा से ज्यादा धनराशि रखी जाय।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है कि मेरे इलाके में दो तहसील हैं जिनका हैड-क्वार्टर लूणकरणसर तहसील है। लूणकरण-सर के नाम से सारा राजस्थान और सारा हिन्दुस्तान जानता है कि वहां पर पीने के पानी के लिये कितनी मेहनत करनी होती है और कितनी दूरी से पानी लाना होता है। सभापति महोदय, फिलहाल वहां लोगों के लिये सरकार बीकानेर से रेल द्वारा पानी ले जाकर व्यवस्था करती है। इस व्यवस्था में सरकार को तीस हजार रुपया खर्च करना पड़ता है। पिछले सालों से हमारी यह मांग रही है कि इस इलाके में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाय और सक्रिय कदम उठाया जाय। माननीय मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि पिछले दिनों में हमने ट्रायल बोरस करवाये लेकिन नतीजा यह कह रहा कि सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता। जितने भी राजस्थान में अब तक बोरस किये गये करीब करीब सभी स्थानों पर कोई अच्छा नतीजा नहीं आया। या तो इस वर्किंग में डिफेक्ट होना चाहिये, मेरी जहां तक जानकारी है वह यह कि हमारे यहां जो कम्प्रेशर मशीन है जिससे पानी ऊपर लाया जाता है वह ठीक ढंग की नहीं है। वह इतनी केपेसिटी की नहीं है कि वह ३००, ४०० फीट नीचे से पानी ऊपर फैंक सके। मशीन की खामी की वजह से ट्रायल्स फेल हुये हैं। कालू में जहां तीन-चार कुंए चल रहे हैं वहां पर भी विभाग की तरह से बोर किया गया। वहां पर भी वह असफल रहा। वहां जब कि कुंओं में पानी है और काफी मात्रा में पानी है लेकिन वहां पर जो बोर किया गया वह सक्सेसफुल नहीं हुआ। यह चीज़ एक साधारण व्यक्ति के समझ में भी आ सकती है कि नीचे कुंए में पानी है और वहीं पर ट्रायल बोर किया जाता है तो पानी क्यों नहीं आया? तो अब तक विभाग ने कालू डूंगरगढ़, चैनपुर, राज-गढ़ और लूणकरणसर में टैस्ट बोर किये और सभी जगह एक ही नतीजा रहा कि नीचे पानी नहीं है। तो मैं समझता हूं, सभापति महोदय, कि मशीन की जो केपेसिटी है उसकी वजह से ऐसा काम हो रहा है। तीन सौ चार-सौ फीट से वह नीचे नहीं जा सके। पर दूसरे इससे नीचे जो कुंए हैं उनमें काफी पानी है। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा कैपेसिटी की मशीन से ज्यादा गहराई तक बोर किया जाय तो पानी निकल सकता है और इससे लोग राहत महसूस कर सकते हैं। इसी तरह रूणियावास का एरिया है जिसके आसपास पांच मील के एरिया में पांच हजार आदमी रहते हैं। वहां नेशनल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत एक पाइप सप्लाई करने की स्कीम गवर्नमेंट हाथ में ले तो वहां के पानी की समस्या हल हो सकती है। तो इस तरह से मैंने इन दो कटौती प्रस्तावों के जरिये की वहां इस पानी की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, इस मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९ के संबंध में मेरे भी पांच कटौती के प्रस्ताव हैं। इस मांग के अन्तर्गत, सभापति महोदय, जो धन राशि रखी गई है वह है एक करोड़, ५१ लाख, ५७ हजार। सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : एक आपका पहले था न ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले एक था, जब मैं नहीं था, बाकी चार अब आये।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, when once the Hon'ble Member was called to put his cut motion before the House the Hon'ble Member was not present, and since it is the ruling of the Chair that all the cut motions are to be placed once before the House, then if he was not present when his name was called, he would not be allowed now. He has lost his chance.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय चेयरमैन महोदय, बयाना से आनेवाले हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह से अगर हम लेटीट्यूड देते रहे तो सदस्यगण सदन में वक्त पर हाजिर रहने की महरबानी नहीं करेंगे। जब आपका नाम उस समय पुकारा गया था तो आप हाज़िर नहीं थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं विचार यह प्रकट....

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, the point of order is for your Honour's ruling and not for discussion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो यह विचार प्रकट कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक आपत्ति यह हो सकती है कि मैं वह कट मोशन नहीं मूव कर सकता जिसके लिये मेरा नाम कॉल किया गया और मैं यहां नहीं था। पर बाद में तो लिस्ट में जब सक्युलेट हुआ है जो कटमोशन उसके समय तो मैं हाजिर हूँ। उनपर मैं अपने विचार प्रकट कर सकता हूं, particularly when the chair has called me.

श्री श्रीभानसिंह : Point of order पर रूलिंग नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : There should be vacuum, Sir. In special circumstances he can be allowed to speak.

श्री चन्दनमल वैद : N o special circumstances.

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, your Honour has not given your ruling yet.

श्री सभापति : जिस समय कट मोशन कॉल किया जाता है उस समय अनुपस्थित रहते हैं तो माननीय सदस्य का बाद में राइट नहीं रहता है। जब कॉल किया गया तो

(श्री सभापति)

श्री अग्रवाल अनुपस्थित थे और चूंकि सारे कट मोशन्स एक साथ उपस्थित किये जाने होते हैं इसलिये अब उनको व्यवस्था के अनुसार मूव नहीं करना चाहिये । मूव करने का उनका राइट एक्च्युअली नहीं रहता ।

श्री भैरोंसिंह : पर इन स्पेशल सरकमस्टान्सेज़ ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सदन में जो अनेकों माननीय सदस्यों ने अपने कटमोशन्स प्रस्तुत किये मैं उनके समर्थन में बोल रहा हूं ।

श्री सभापति : You can speak on other cut motions.

श्री श्रीभानसिंह : अब तो कट मोशन आगे तेजारामजी का है ।

श्री भैरोंसिंह : He has also lost his right.

श्री श्रीभानसिंह : सारे कट मोशन्स मूव हो गये हैं । आप क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि किस कट मोशन के पक्ष में बोलना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : एक बार इजाजत दे दी जावे चेयर की तरफ से....

श्री श्रीभानसिंह : यह तो रूलिंग चैलेन्ज कर रहे हैं । दुबारा आपत्ति क्यों होती है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि आपने नाम पुकार दिया तो बोलने खड़े हो जाते हैं । आपने व्यवस्था दी, स्वीकार करनी चाहिये ।

श्री चन्दनमल वैद : करेंगे नहीं, करनी चाहिये कहते हैं । करेंगे नहीं आप । very objectionable.

श्री सभापति : मैं कह दूँ कि आपने कैसे मान लिया कि मैंने कट मोशन पर बोलने के लिये इजाजत दी ? कट मोशन सब मूव हो चुके । तो कट मोशन मूव होने के बाद उनके ऊपर बोलने खड़े हुए । खड़े हुए तो मैंने इजाजत दे दी । अब भी इजाजत देता हूं कि आप पक्ष में बोल सकते हैं । अपने कट मोशन पर नहीं पर किसी भी दूसरे कट मोशनों के फेवर में वे बोल सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, यहां पर जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, विशेष कर एक तो परिवार नियोजन के सम्बन्ध में और जल प्रदाय के सम्बन्ध में, मैटर्निटी और चाइल्ड वैलफेयर और स्पोर्ट्स के सम्बन्ध में उन समस्त कटौती के प्रस्तावों के समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । (श्री चन्दनमल वैद की ओर देखते हुए) अब आप बताइये ।

श्री चन्दनमल वैद : The time limit is only for five minutes. ज्यादा बोलना ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक करोड़, ६१ लाख, ५७ हजार की रकम इसके लिये आपने इस बजट में रखी है जब कि पिछले साल १ करोड़, ७६ लाख, ४६ हजार की थी । इसमें एक पर्सेन्ट का इन्क्रीज़ हुआ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जब कि एजुकेशन के बजट में पिछले साल से इस साल २० पर्सेन्ट की वृद्धि हुई है ; मैं कहता हूं कि पब्लिक हैल्थ की यह डिमान्ड इन दोनों डिमान्डों से किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जितने अभाव-अभियोगों के सम्बन्ध में यहां माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं चाहे वे फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में हों, चाहे वाटर सप्लाई के बारे में हों, चाहे स्पोर्टस् के बारे में हों, चाहे मैटर्निटी और चाइल्ड वैलफेयर के बारे में हों वे इस कारण से हैं कि हमारी इस डिमान्ड में जो धन राशि रखी गई है वह बहुत कम रखी गई है। प्रोपोर्शनेटली इन्क्रीमेंट के साथ यह डिमान्ड रखनी चाहिये थी वह नहीं रखी गई।

मैटर्निटी और चाइल्ड वैलफेयर के बारे में जो धनराशि रखी गई है प्लान्ड १.३० लाख है और नॉन प्लान्ड में ३ लाख, २६ हजार और कुल मिला कर कोई ५ लाख १६ हजार की रखी है। इसके बारे में सरकार भी जानती है कि जन-जीवन अगर अच्छा करना है, अच्छे नवयुग का निर्माण करना है, स्वास्थ्यकारी अगर नागरिक पैदा करने हैं तो इसकी शुरुआत बच्चों के लुक आफ्टर से होनी चाहिये। बच्चा जब से पैदा हो उसकी केअर होनी चाहिये। उसके प्रोपर लुक आफ्टर के सम्बन्ध में राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। उसकी एजुकेशन के सम्बन्ध में, मैडिकल-एड के सम्बन्ध में उसकी जिम्मेदारी बाद में खड़ी होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो उसको लुक आफ्टर करने की आती है। आर्थिक और सामाजिक सुधार के सम्बन्ध में सारी समस्याएं बाद में आती हैं। सबसे पहला सवाल तो खड़ा होता है बच्चा पैदा होते ही, जब कि वह दुनिया में आता है, राज्य के शासन में आता है तब उसकी देखभाल की हम क्या व्यवस्था करते हैं। राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई भी सुव्यवस्थित, सुनियोजित और सुन्दर व्यवस्था नहीं की है। आज ऐसी महिलाएं हैं जिनके बारे में और जगहों की मैं बात नहीं करता यहां जयपुर शहर के जनाना अस्पताल की बात करता हूं इस अस्पताल में कोई अच्छी देखभाल की व्यवस्था नहीं। प्रसूति गृह सारे शहर में खोल रखे हैं पर उनका इन्तजाम ऐसा है कि कहीं अच्छी तरह का कोई मैटर्निटी का अरेन्जमेन्ट नहीं है। चाइल्ड वैलफेयर का कोई अरेन्जमेन्ट नहीं। सारे जयपुर में नहीं है जयपुर में रहने वाली गरीब महिलाएं बच्चा जनती हैं अस्पताल में नहीं, तांगा और रिक्शा में जनने को मजबूर हो जाती हैं। उसके वाहन का कोई प्रबन्ध नहीं, घर पर अटेन्ड करने का कोई प्रबन्ध नहीं, कोई हैल्थ विजिटर नहीं, कोई उनका सलाहकार नहीं, कहीं उनका प्रबन्ध नहीं, जहां हैं भी तो उनके लिये पूरे बैड्स नहीं, पूरी जगह नहीं। आपको दिल्ली कॉरपोरेशन के बारे में पता है, वहां उनका क्या प्रबन्ध है ? किसी भी घर पर आप डिलीवरी करा सकते हैं। घर पर नर्स जाती है, लैडी हैल्थ विज़िटर जाती है, घर पर डेली विज़ीट करती है, पूरी सलाह और देखभाल करती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था पर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिये।

कुछ बिगड़ता नहीं अगर हमारे पास

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसके लिये पैसे की कमी है तो आप एजुकेशन में कटौती करें, मैडिकल में कटौती करें, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कटौती करें। पुलिस पर हम बहुत कुछ कमी कर सकते हैं उनकी कम करके इस पर ज्यादा खर्च करते। इतना ही सभापति महोदय, मैं समझता हूँ एक माननीय सदस्य ने विचार प्रकट किया बाल गृहों के बारे में। मैं बाकी कस्बों और और जगहों की बात छोड़ देता हूं, जयपुर शहर की ही बात लीजिये कहीं बच्चों के स्पोर्ट्स की व्यवस्था नहीं है।

यह बात दूसरी है कि हमने बाल-क्रीड़ा केन्द्र बना दिए होंगे उनमें कुछ रिक्रियेशन के साधन लगा दिए होंगे, कुछ झूले लगा दिए होंगे, कुछ फिसलन रख दी होगी लेकिन व्यवस्थित रूप से कुछ नहीं किया। आज जयपुर शहर में दस चौकड़ियां होंगी उसके लिए कम से कम दस-पन्द्रह स्थानों पर इस प्रकार के बाल क्रीड़ा केन्द्र लगाने चाहिए। पर ऐसी कोई व्यवस्थित चीज़ हमारे शहर के बालकों के लिए नहीं है कि वह अपका खेल-कूद में समय बिता सकें, अपना कुछ रिक्रियेशन कर सकें। नतीज़ा यह होता है कि छोटे छोटे बच्चे, बस्तियों में रहने वाले बच्चे, कोई जेब काटता है, कोई दूसरी बुरी आदतों में पड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चों के रिक्रियेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। आपने पूरे शहर में कोई एक जगह कुछ झूले लगा दिए होंगे, कुछ फिसलन लगा दी होगी या किसी कौने में जाकर यह चीजें लगा दी होंगी इससे बच्चों के खेलने की सुविधा पूरी नहीं होती। हमारे शहर की आबादी के लिहाज से स्पष्ट है कि स्पोर्ट्स की व्यवस्था करनी चाहिए, रिक्रियेशन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे बाल-केन्द्र बनाने चाहिए जहां कुछ झूलों का इन्तजाम हो, कुछ फिसलन का इन्तजाम हो। इस तरह से बच्चों को यदि अच्छे स्थानों पर ले जाया जायेगा और इस प्रकार का रिक्रियेशन प्रोवाइड किया जायेगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान की आगे आने वाली संतति अच्छे नागरिकों के रूप में आ सकेगी।

अब एक वाटर सप्लाई स्कीम का प्रश्न आता है। मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने विशेष कर ग्रामजल योजना के बारे में विचार प्रकट किए। इसलिए मुझे इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात की ओर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्रामों की जल व्यवस्था सुधारने के लिए जल बोर्ड की स्थापना की गई थी और उसमें क्या कुछ हुआ, उसके अन्दर कितने घोटाले हुए यह सब को मालूम है। सदन में भी उसके ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है। उसके ८० लाख के हिसाब किताब का पता नहीं। आश्वासन देने के बाद भी कुछ पता नहीं। हमें संतोष होता है कि हमने ५० लाख रुपया रूरल वॉटर सप्लाई स्कीम में दिया पंचायतों में। तो उसके लिए क्या स्कीम होगी, किस तरह से वह खर्च किया जायेगा, कहां नल लगेंगे, कहां क्या होगा, कुछ पता नहीं। इसके संबंध में मैं विशेषकर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जयपुर की वॉटर सप्लाई स्कीम की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जयपुर की आबादी कभी तो ६ लाख की बता दी जाती है और जब डेवलपमेन्ट के लिए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पैसा मांगने की बात आती है तो ३ लाख बता दी जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि यह वाटर वर्क्स उस जमाने का है जब कि जयपुर की आबादी २ लाख की थी। आज वह ६ लाख की आबादी के लिए पर्याप्त समझा जा रहा है। राजस्थान सरकार ने उसके लिए ग्रान्ट दी, योजना बनाई लेकिन सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि बिजली के खम्भे गड़ जाते हैं तो तार नहीं लगते हैं और अगर तार लग जाते हैं तो लट्टू नहीं लगते हैं और अगर लट्टू लग जाते हैं तो रोशनी नहीं आती। इसी तरह से इस वाटर स्कीम में लगता है कि स्कीम बन गई, पानी की पाइप लाइन डल गई और पाइप डल गई तो पानी नहीं आयेगा। मैं समझता हूं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यहां पहले से काफ़ी जनसंख्या बढ़ गई है उस सब को देखते हुए जरूरी है कि राजस्थान सरकार को उसके लिए तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जो वाटर वर्क्स २ लाख की आबादी के लिए था जो आज से २० वर्ष पहले बनाया गया था, उस वाटर वर्क्स के लिए जो योजना बनी है उसको तुरन्त कार्यान्वित करें। मैं समझता हूं कि गर्मियों के अन्दर हर जगह पीने के पानी के लिए हाहाकार मचता है। लोग लाइनों में खड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, सिर फूटते हैं और फिर भी पूरा पानी नहीं मिलता। लोग घड़ा मार्च करते हैं और मंत्री महोदय के मकान पर पहुँचते हैं वहां उनको पुन: आश्वासन दे दिया जाता है, वक्तव्य दे दिया जाता है कि अगली गर्मियों तक इसका इन्तजाम हो जायेगा लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वह स्कीम पूरी नहीं होने पाई और उसके कारण से पानी की समस्या इतनी गम्भीर बनी हुई है कि पानी २४ घंटों में से मुश्किल से दो-दो घन्टे आता है और वह भी किस तरह से आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। शायद दो-दो घन्टे में भी घड़ा नहीं भरता। इस प्रकार का दृश्य जयपुर शहर में गर्मियों में देखने को मिलता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जरूर निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें, ताकि जो जयपुर शहर के नागरिक हैं उनको कम से कम पीने के पानी की तो सुविधा मिल सके।

अब एक बात मैं मलेरिया के संबंध में कहना चाहता हूं। मलेरिया और दूसरी एपिडेमिक डिज़ीजेज़ के लिए ३६,४३,८०० रु० रख दिये हैं जो कि लगभग ४० परसेंट ऑफ दी होल डिमाण्ड है। मलेरिया इरेडीकेशन के लिए ज़रूर कुछ होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मलेरिया की रोकथाम की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने क्या उन्नति की? आज भी एपिडेमिक डिज़ीजेज़ के लिए कितनी भी स्कीम्स बनती रहें लेकिन मैं उदाहरण के रूप में बताऊं तोपखाना चौकड़ी के बाहर, पांच बत्ती के पास एनिमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेन्ट है। उसमें एपिडेमिक डिज़ीजेज़ के एनिमल्स आते हैं और मर जाते हैं और मरने के बाद उनके कम्पोज़ का कोई इन्तजाम नहीं है। इसका नतीज़ा यह होता है कि वे मरे हुए जानवर यों ही बस्तियों के पास पटक दिए जाते हैं। तो जहां बस्तियों के पीछे जानवरों को पटक दिया जाये और दूसरी तरफ सेनिटेशन की स्कीम, मलेरिया इरेडीकेशन की स्कीम बनायें और मलेरिया को दूर करने के लिए ३० लाख रुपये की योजना बनायें इस तरह से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आखिर सब डिपार्टमेन्ट का सहयोग लेना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पड़ेगा। मलेरिया निरोध के लिए सरकार को शख्ती से कदम उठाना पड़ेगा। आज बड़े ताज्जुब की बात है कि मलेरिया जैसी बीमारी जो कि राजस्थान सरकार की इतनी बड़ी धन-राशि खर्च करवाती है और जिसके ऊपर इतनी बड़ी राशि रखनी पड़ती है उससे भी हमें पूरी रिलीफ नहीं मिले, यह सोचने की बात है। फिर इतनी बड़ी राशि खर्च होती है आँफिस के एस्टेब्लिशमेन्ट के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर लेकिन कोई भी सब्सटेन्शियल एक्सपेन्डीचर, जो कि हम कह सकें कि इससे इस ओर अधिक उन्नति की जा सकती है, नहीं किया जाता है! हमने ५२ हजार रुपया फैमिली प्लानिंग के लिए रख दिया। होता क्या है कि गाड़ियों की खरीद होती है. आँफिसर्स की तनख्वाह भी उसमें से ही होती है। हम किसी भी डिपार्टमेन्ट को ले लें हर डिमाण्ड में २० परसेन्ट इन्हीं चीज़ों पर खर्च होता है। पर्टिक्युलरली इस डिमाण्ड में तो सिवाय गाड़ियों के खरीदने के और जीपों के दौड़ाने व्हीकल्स के दौड़ाने के और किसी में खर्च नहीं होता। वास्तविक रूप में जनता के दुख को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। इसके लिए क्या किया? डी डी टी के छिड़कने का इन्तजाम कर दिया इससे मलेरिया के मच्छर मर जायेंगे। मैं तो कहता हूं कि एक भी दिन कोई भी मलेरिया इरेडिकेशन का आदमी नहीं आया, कोई मेरे इलाके में नहीं आया, मेरे क्षेत्र में नहीं आया, मेरी चौकड़ी में नहीं आया। लोगों की जो हालत है वह मैं समझता हूं, कहने की आवश्यकता नहीं है। जिन स्थानों में वर्षा अधिक होती है वहां मलेरिया का जोर होता है।

मैं वाटर स्कीम की सप्लाई के लिए कहना चाहूंगा कि आपने रूरल एरिया के लिए ६६ लाख रुपये की राशि रख दी है पर आपने अर्बन एरिया के लिए कुछ नहीं कहा। उसमें से आपने ४३ लाख तो एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर के लिए रख दिए, सर्वे इन्सपेक्शन में १ लाख रख दिये मिस्लेनियस में १३ लाख रख दिए और कलेक्टर और कमिश्नर के द्वारा ६०,००० रु० खर्च होंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि वह इस राशि को कैसे खर्च करेंगे? जहां तक जन स्वास्थ्य का संबंध है तो उसके प्रतीक तो स्वयं हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका स्वास्थय राजस्थान के लोगों के लिए किसी प्रकार से भी आदर्श नहीं है। वह अक्सर अस्पताल में रहते हैं। जब उनका ऐसा स्वास्थ्य है तो शायद यह विभाग किसी हट्टे कट्टे को दिया जाता तो अच्छा रहता। वास्तव में इन सब चीजों की शुरू, आदि तो वहां से करनी होगी। सभापति महोदय, इसलिए मैं यह बात कहता हूं कि परिवार नियोजन की कितनी भी बातें हम कहते रहें। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य कभी परिवार नियोजन के लिए आदर्श नहीं बन सकते, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य नियोजन के लिए कभी आदर्श नहीं बन सकते। गरीबों के लिए बातें करते हैं, मैं समझता हूं मेरी जानकारी गलत नहीं है तो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री के आधे दर्जन से ज्यादा बच्चे हैं तो वे दूसरों के सामने किस प्रकार से आदर्श रख सकते हैं?

श्री भैरोंसिंह : आपने आधे दर्जन के लिए कहा, वे स्वयं करेक्ट कर दें, ७ हैं या ८ हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं केवल इतनी बात कहना चाहता था कि कोई भी स्कीम हो जब तक आप सारी योजनाओं को आदर्श रूप से नहीं रखेंगे तब तक मैं समझता हूं कि जन-स्वास्थ्य विभाग के अन्दर जो धनराशि रखी है उसका उपयोग नहीं हो सकेगा और नतीजा यह होगा कि स्पोर्टस की दृष्टि से कहीं भी बाजी मारनी होगी, कुश्ती का सवाल हो या किसी भी प्रतियोगिता का सवाल हो राजस्थान का आदमी कहीं भी इस प्रकार का प्राइज़ लेकर नहीं आता। कभी राजस्थान का आदमी ऑल इण्डिया टूर्नामेन्ट्स हों या कुछ भी हो, वह कभी फर्स्ट नहीं आयेगा। लेकिन जब तक आप नीचे से स्वास्थ्य में सुधार नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता। इसलिए इन सारी बातों को जो सदन के माननीय सदस्यों ने यहां कही हैं जो कि राजस्थान की जनता के हित की दृष्टि से कही हैं, मैं उनका समर्थन करता हुआ जयपुर की विशेष रूप से वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में, मलेरिया इरेडिकेशन के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, जो श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्ताव रखा है कि राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम में सरकार असफल रही है उस कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा।

राज्य सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बने हुए प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट को राजस्थान में लागू किया। उसका मतलब यह कहा जाता था कि उससे खाद्य पदार्थों की मिलावट में रोकथाम होगी लेकिन इसका असर यह हुआ कि आम जनता में इसकी खिलाफत है। खाद्य पदार्थों में मिलावट में रोकथाम तो नहीं हुई लेकिन आम जनता में इसके एप्लीकेशन से जो हैरानी हुई है उसका अन्दाज़ नहीं है। राज्य सरकार ने यह कानून राजस्थान में लागू करके उसके अनुसार जो नियम बनाये हैं उसके अनुसार जो भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करता है, उनको बेचता है या अपने यहां रखता है उसको एक लाइसेन्स लेना लाजमी हो जाता है। अगर राज्य सरकार इस कानून को सही मायने में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए लागू करती तो कम से कम इतना हो जाता कि उसको पहले किसी ऐसे एरिया में लागू किया जाता जहां कि मिलावट होती है। आज इस कानून के लागू होने के बाद ग्रामीण कोई चार आने का दूध बेचता है, चाहे दूध बेचने का उसका पेशा नहीं हो लेकिन अगर इस कानून की दृष्टि से लाइसेन्स नहीं लेता है तो उसके ऊपर एक हज़ार जुर्माना चालान करने के बाद में हो सकता है। एक किसान जो अपने घर में मवेशी रखता है उसके खुद के काम के लिए और मवेशियों की दूध-वृद्धि के लिए वह बाजार से कपासिये लाकर उनको देता है उसके एवज में मवेशी से पैदा हुआ घी या दूध बाजार में बेचता है तो उसके लिए १२ रुपये का लाइसेन्स लेना लाजमी है। तो कहने का मतलब यह है कि नीति, खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं हो वह तो सिद्ध नहीं हुई है लेकिन आम जनता में इससे

(श्री तेजाराम गलोत)

हैरानी बड़ी है। उसकी ओर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

इसके साथ साथ इसका लाइसेन्स लेने और फीस जमा कराने में जो हैरानी होती है वह मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा। इस लाइसेन्स की फीस रखी गई है १२) रु० और स्वास्थ्य विभाग वाले हर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं हैं इसलिए यह फीस जमा होती है डिविज़न हैडक्वार्टर पर जहां कि उनका असिस्टेन्ट डिप्टी डाइरेक्टर या जो कोई भी हो वह रहता है, उसके ऑफिस में जमा होती है। अब एक गांव के आदमी को १२) रु० जमा कराने के लिए जोधपुर या बीकानेर जहां कहीं भी उनका ऑफिस हो जाना पड़ता है। इसके अलावा ऑफिस में रुपया नहीं लेते हैं, वे कहते हैं कि ट्रेज़री में रुपया जमा कराओ, और ट्रेजरी में रुपया जमा नहीं होता है वहां पर २५ रु० से कम पैसा ट्रेजरी में जमा नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि या तो वह बगैर लाइसेन्स के वापिस आता है या इधर उधर भेजता रहता है और किन्हीं दूसरे आदमियों को पैसा देता है। अगर राज्य सरकार इतनी सी व्यवस्था कर दे तो सही माने में जनता को हैरानी नहीं हो। राज्य सरकार ने जो लाइसेन्स खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए जारी किये हैं वे शहरों के अन्दर जहां कि ज्यादातर खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है, वहां के लिए ही लागू करे और इसकी फीस जमा कराने की व्यवस्था करें ताकि कोई आदमी १२) रु० लेकर आता है दूर गांव से उसको हैरानी नहीं हो। इसलिए डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर या तहसील हैडक्वार्टर में फीस जमा करवाने का प्रबन्ध किया जाय और लाइसेन्स भी उसको उसी वक्त मिल जाय। अभी क्या होता है कि रुपया तो जमा करा दिया लेकिन लाइसेन्स साल-साल भर बाद में पहुँचता है और इस बीच में फूड इन्सपेक्टर आता है और उनको हैरान करता है और चालान करता है। और जो इस कानून के सम्बन्ध में विभाग की ओर से दुर्व्यवस्था है जिससे जनता को हैरानी होती है उन पर अगर माननीय मंत्री महोदय गौर करेंगे तो लाखों किसानों के, गांवों के रहने वाली जनता के हित में होगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिहाज से कानून लागू होता है तो वह शहर में लागू हो जहां कि मिलावट होती है और ग्रामीण क्षेत्रों को इससे मुक्त कर दें तो अच्छा होगा।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Mr. Chairman, Sir, I have also tabled one cut motion on this, as I wanted to discuss the mentality of the Doctors in the Government hospitals I believe unfortunately a heavy sum that we are spending on these hospitals is being wasted. Here is a good number of Doctors who are intersted in extorting money heavily from the public patiets for the performance of their official duties...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय चेअरमैन महोदय, यह डिमान्ड मैडिकल के सब्जेक्ट पर नहीं है। हैल्थ के सब्जेक्ट पर है।

श्री सभापति : He has already spoken. The Hon'ble Minister should reply now.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : चेअरमैन महोदय, जन-स्वास्थ्य के संबन्ध में माननीय सदस्यों ने जो कटमोशन्स प्रस्तुत किये हैं और उनके संबंध में बहुत सी बातें कहीं हैं उसके लिए मैं उन सब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विभाग के संबंध मे काफी लाभप्रद बातें कहीं हैं और मैं आशा करता हूं कि उन्होंने जो सुझाव रखे हैं उनको क्रियान्वित करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जायगी।

जो बातें कटमोशन्स के संबन्ध में कही गई हैं उनमें बहुत से माननीय सदस्यों ने वाटर सप्लाई के बारे में काफ़ी जोर दिया है। वाटर सप्लाई के बाद फेमिली प्लानिंग के बारे में भी काफी प्रकाश डाला गया और उसके बाद मैटर्निटी सेन्टर्स के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इसके साथ साथ नर्सेज़ और दाइयों की ट्रेनिंग के बारे में भी बातें कही गई और प्रिवेन्शन के लिए और हैल्थ के प्रचार और प्रसार के लिए भी माननीय सदस्यों ने बड़ी लाभप्रद बातें कहीं। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के बारे में जो कानून बना है उसके बारे में जो दिक्कतें हैं, ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है उसके बारे में भी विचार प्रकट किये गये हैं।

मैं सब से पहले एक बात अर्ज करूंगा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रीजी बहुत बीमार रहते हैं और उनका खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वे क्या जनता का स्वास्थ्य अच्छा करेंगे? मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि उनसे मेरा स्वास्थ्य अच्छा है चाहे वे चल कर देख लें या भाग कर देख लें....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : और बोलने की स्पीड को भी देख लें।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने पहले भी कहा था कि तीन रोज तक विनोबाजी के साथ रहा हूं जिसमें पहले दिन ६ मील, दूसरे दिन ७ मील और तीसरे दिन ११ मील पैदल चला हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इन सब में तो मुझसे पिछड़ जायेंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने में जरूर आगे रहेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी आपको मालूम नहीं है। मेरी उम्र में आ जायेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी आप बच्चे हैं इस मामले में।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उम्र के साथ क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वाटर सप्लाई के बारे में एक बात कहूंगा कि जन-स्वास्थ्य के हैड में अर्बन वाटर सप्लाई नहीं है। दरअसल कैपिटल में जो लोन दिया जाता है म्युनिसिपैलिटीज़ को उसके अन्दर शामिल है। अर्बन वाटर सप्लाई इस हैड के अन्दर नहीं है। रूरल वाटर सप्लाई का हैड इसके अन्दर है। अर्बन वाटर सप्लाई के लिए जिन माननीय सदस्यों ने कहा तो वह दूसरे हैड में है और ऑलरेडी उसमें रुपया प्रोवाइड किया गया है। रूरल वाटर सप्लाई के संबंध में, चेअरमैन

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

महोदय, खास तौर से कुछ इलाकों की ओर ध्यान दिलाया गया है, जैसे बाड़मेर, जालोर, भरतपुर, लूणकरणसर और झालावाड़ और इस तरह के कुछ और इलाके हैं, जोधपुर व जैसलमेर सब इलाके उसके अन्दर शामिल हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि राजस्थान सरकार इस पानी की समस्या को हल करने के लिए हमेशा से जागरूक रही है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने करीब १॥ करोड़ इस बात पर खर्च किया और इसके लिए एक वाटर बोर्ड बनाया गया। उस वाटर बोर्ड के संबन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा कि उसके हिसाब किताब के बारे में यानि उसके संबंध में उसके आॅडिट का क्या हुआ? उसके बारे में जानकारी नहीं है। पहले भी यह बात उठाई गई थी तो मैंने कहा था कि रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड का सारा एकाउन्ट आॅडिट हो गया है और आॅडिट होकर सारे एकाउन्ट हमारे यहां आये हैं और ए. जी. के डिपार्टमेंट को जांच करने के लिए कह दिया है और फाइनल होते ही हाउस के सामने रखा जायगा।

मैंने अकाउन्टस को देखा है, उनकी जानकारी प्राप्त की है। रूरल वाटर बोर्ड के लिए कहा गया कि उसके अकाउन्ट्स में गड़बड़ी थी इसलिए बन्द कर दिया। मैं निवेदन करूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके कारण बन्द करना पड़ा। दरअसल में रूरल वाटर बोर्ड करीब चार लाख हर साल चन्दे से इकट्ठा करता था और डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ लगाता था। बाद में उसने कहा कि हम चार लाख का चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ नहीं लगा सकते, इसलिए उसको बन्द करना पड़ा। वैसे उसका काम संतोषजनक था और उसके अकाउन्ट्स का आॅडिट होकर आ गया है और उसकी जांच ए. जी. के द्वारा की जा रही है....

श्री जगदीप्रसाद माथुर (सीकर) : आगे इसकी जांच करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ए. जी. के यहां हो रही है।

रूरल वाटर सप्लाई के लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि वाटर सप्लाई की प्रोब्लम यहां पर राजस्थान में महत्व रखती है। राजस्थान में ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे बीकानेर और जोधपुर डिविजन के एरियाज हैं जहां वाटर की बहुत दिक्कत है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जब रूरल वाटर बोर्ड बना, तब भी और वह समाप्त हो गया अब भी जहां फन्ड्स की बात होती है, फन्ड्स ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुश्किल यह है, जैसा कि लूणकरणसर के लिए कहा गया कि वहां पानी अवेलेबल नहीं है....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मैंने यह नहीं कहा कि वहां पानी अवेलेबल नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने बोर्स कराये, काफी कोशिश की। अब भी फन्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन अन्डर ग्राउन्ड पानी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए तो मजबूरी है। फिर भी इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जहां जहां केबिनेट मीटिंग हुई, जैसे अभी बाड़मेर में हुई तो वहां हमने इस पर विचार किया, जितने आॅफिसर्स हैं उनको बुलाया गया, ग्राउन्ड इन्जीनियर सेन्टर के हैं उनको बुलाया

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

गया और यह व्यवस्था करने की कोशिश की है कि अन्डर ग्राउन्ड जितना पानी अवेलेबल हो सकता है उस पानी को काम में लें। हमने सारी व्यवस्था को देखा है और केबिनेट की मीटिंग में विचार किया है। तो सरकार का इस ओर ध्यान है और सरकार इस व्यवस्था को करने के लिए बहुत गौर से सोच रही है लेकिन कहीं कहीं सरकार के सामने भी मजबूरियां हैं, इसलिए इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर सकती....

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : चन्दन वैल के लिए क्या मजबूरी थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चन्दन वैल का जो सवाल है, जब मैं आया था वहां तब जैसलमेर में टैस्ट होते हुए देखा था। स्कीम बने, बन कर कैसे सफल हो, ये सारी बातें एग्जामिन करने की हैं। चन्दन वैल से पानी मिल गया है लेकिन वह वहां कैसे जा सकता है, जैसलमेर में ग्रेविटी से पहूँच सकता है या नहीं, यह भी एग्ज़ामिन करने की बात है। यह कोई आसान बात नहीं है क्योंकि जैसलमेर वहां से कितनी दूर पड़ता है। वहां तक पानी पहुंच भी जायगा तो उस पर कितना खर्चा बैठेगा और जो कॉस्ट होगी उस पर लोग पानी ले सकेंगे या नहीं, यह एग्ज़ामिन करने की बात है....

श्री अनूपसिंह : इसनें ढाई वर्ष लग गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ढाई वर्ष नहीं, हमारे बुजुर्ग जिन्दा रहे, वे काम करते रहे, लेकिन वे नहीं कर सके। यह ढाई वर्ष में सोल्व होने वाली नहीं है, यह मानने में मुझे हिचक नहीं है। अधिक से अधिक फण्ड्स प्रोवाइड करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके, यह सरकार की मज़बूरी है। हम चाहते हैं चन्दन वैल के अलावा और बोर करायें। हमने बोर कराये भी लेकिन पानी नहीं मिला। बाड़मेर में भी हमने देखा कि वहां कहां कहां पानी मिल सकता है, वहां भी बोर कराये गये लेकिन बोर असफल रहे। इस तरह मैं बताना चाहता हूं कि जो यह कहा जाता है कि सरकार का ध्यान नहीं है, मैं समझता हूँ, यह उपयुक्त नहीं होगा।

इसी तरह से भरतपुर के बारे में कहा। मैं निवेदन करूं कि हमने विचार किया जरूर है कि भरतपुर शहर के लिए वाटर सप्लाई की स्कीम हो और वहां स्कीम चालू होने वाली है। भरतपुर के अलावा और जगहों के लिए कह सकता हूँ कि वाटर सप्लाई स्कीम चालू होगी और स्कीम शुरू करने का सरकार का इरादा है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह भी कह दूं कि जब से डीसेन्ट्रेलाइ-ज़ेशन हुआ है तब से पानी सप्लाई का काम भी डीसेन्ट्रलाइज़ करके पंचायत समितीज़ को दे दिया है। इसके लिए पिछले साल जो रुपया था वह पंचायत समितीज़ को दिया गया था और इस साल भी जो बजट में रुपया प्रोवाइड किया है वह पंचायत समितीज़ को दिया गया है। इस सदन के माननीय सदस्य पंचायत समितीज़ के सदस्य हैं, वे उस रकम को खर्च करने की व्यवस्था में अपनी राय दे सकते हैं। पंचायत समिति जिस तरह चाहे रुपया खर्च कर सकती है अगर सरकार से कोई मदद की बात हो तो सरकार मदद करने के लिए हमेशा तैयार होगी। मैं इस सम्बन्ध में एक बात अर्ज़ करूं कि दूसरी पंचवर्षीय

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

योजना और पहली पंचवर्षीय योजना में जल व्यवस्था के लिए जो रुपया रखा गया था वह करीब करीब रूरल वाटर सप्लाई और अर्बन वाटर सप्लाई के अन्दर खर्च किया और हमारे विभाग की ओर से किसी तरह की कमी नहीं हुई और उस सारे रुपये को सेकिंड फाइव इयर प्लान के एन्ड तक खर्च कर देंगे, उसमें किसी तरह की ढिलाई या और तरह की बात नहीं होगी।

इसी सम्बन्ध में एक और दूसरी बात भी पानी के विषय में है। बहुत से इलाके राजस्थान में ऐसे हैं जहां शुद्ध पानी नहीं मिलता है और इस कारण नेहरू की बीमारी फैलती है। सरकार इस ओर सचेत है और जिस किसी इलाके में इस तरह की बीमारी फैलती है उस इलाके में जब मैं गया हूं तब भी और जब हमारी केबिनेट की मीटिंग वहां हुई तब भी, उदयपुर के डिविज़न और दूसरे इलाकों में जहां भी मैं गया हूं सबसे मैंने खास तौर से कहा है कि जितने स्टेप्स वैल्स हैं उनको कुओं में कन्वर्ट कर देना चाहिए उसके लिए जो अमाउन्ट की आवश्यकता है, सरकार से जिस मदद की आवश्यकता है वह देने को तैयार है। माननीय चेअरमैन, मैं आज भी यह बात कहता हूं कि स्टेप्स वैल्स को कुओं में कन्वर्ट करने के लिए सरकार की तरफ से जितने रुपयों की आवश्यकता है वह देने को तैयार हैं लेकिन मजबूरी इस बात की है कि उनको कन्वर्ट करने के लिए जनता तैयार नहीं। मैं पंचायत समितीज़ के पंचों से, सदस्यों से मिला, इसके साथ ही वहां केव वर्स ऑफिसर से ज़िक्र किया कि स्टेप्स वैल्स को कुओं में कन्वर्ट कर देना चाहिए, इसके लिए सरकार मदद देने को तैयार है। इसके बावजूद भी जितनी प्रोग्रेस, जितनी कामयाबी होनी चाहिए वह नहीं मिल पाई है। फिर भी इस काम में शीघ्रता हो रही है और स्टेप्स वेल कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस किसी इलाके में कोई कम्प्लीट स्कीम हो, जितने स्टेप्स वेल्स हैं उनको कन्वर्ट करने की स्कीम हो तो उसको पंचायत समिति के जरिये भिजवायें, कलेक्टर के जरिये भिजवायें तो उसके सम्बन्ध में जो नियम है उनके अनुसार सरकार रुपया जरूर प्रोवाइड करेगी। वैसे हम खुद जागरूक हैं। यह ठीक है कि नेहरू की बीमारी शुद्ध पानी के न पीने से फैलती है उसको मिटाने के हमारे प्रयत्न के बाद भी जनता का सहयोग न मिलने के कारण सफल नहीं हो सके। मैं माननीय सदस्यों से आशा करता हूं, जैसे जो झालावाड़ के इलाके से आने वाले माननीय सदस्य हैं, अगर वहां कोई स्कीम स्टेप्स वेल्स को कन्वर्ट करने के लिए हो और उसके लिए रुपया चाहिए तो सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है और सरकार उस पर सहृदयतापूर्वक विचार करेगी। मैं समझता हूं कि इसे टोप प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस पर गौर करने के लिए मैंने एक कमेटी का अपॉइन्टमेंट कर दिया है, जो इस सम्बन्ध में इन्वेस्टीगेशन करें। इसके साथ ही कलेक्टर्स को भी लिखा है कि वे अपने अपने इलाके से जानकारी करके भेजें कि वहां कितने स्टेप्स वेल्स हैं और कितनों को कन्वर्ट करने के लिए कितना रुपया चाहिए ताकि सेकिंड फाइव इयर प्लान के एन्ड से पहले रुपया इस काम के लिए प्रोवाइड कर सकें। मैं माननीय सदस्यों से उनके सहयोग के लिए प्रार्थना करुंगा। मैं अर्ज करूंगा कि इस काम में ज्यादा से ज्यादा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सहायता करें।

इसके साथ ही मैं नेहरू के बारे में अर्ज करूंगा कि इसकी रिसर्च के लिए एक सेन्टर उदयपुर में खोल रखा है। उसके अन्दर काफी प्रगति हुई है। नेहरू की बीमारी का इलाज करने के लिए कई तरह के प्रयोग किये हैं और प्रयोग में काफी कामयाबी-हासिल हो रही है।

मैं समझता हूं कि वाटर सप्लाई के बारे में एक बात खास तौर पर जयपुर शहर के बारे में कही गई। हालांकि इस डिमान्ड में वह नहीं आती लेकिन मैं निवेदन करूं कि ९८ लाख की स्कीम फर्स्ट फाईव इअर प्लान में सैंक्सन्ड है। उसमें से ८६ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। जयपुर वाटर सप्लाई स्कीम के सम्बन्ध में जितना आवश्यक काम था वह सारा काम हो चुका है और उसकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं कि किस प्रकार काम किया है और जो माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले हैं उनको अलग से मैं जानकारी दे दूंगा। वैसे मैं बताऊं कि एक डबल लाइन शहर तक डाली है। उसके लिए व्यवस्था हो रही है। जयपुर में जो पानी की कमी है वह पूरी हो जायेगी।

एक बात माननीय सदस्य जो रेनवाल से आने वाले हैं ने कही कि दो साल तक रूरल वाटर सप्लाई की स्कीम को चलाने का वायदा किया था। मैंने जानकारी की है। मैं निवेदन करूं कि पब्लिक की तरफ से जो कन्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, यह शर्त थी कि पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन मिलता है तो सरकार दो साल तक चला सकेगी। लेकिन पब्लिक की तरफ से कन्ट्रीब्यूशन नहीं मिला इसलिए उस शर्त को भी रिलेक्स करना पड़ा। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज कर दूं कि जितनी रूरल वाटर सप्लाई और पाइप वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं उनमें पांच परसेन्ट जनता का कन्ट्रीब्यूशन हो और ९५ परसेन्ट गवर्नमेन्ट की ग्रान्ट होती है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि पांच परसेन्ट के साथ साथ पंचायत समिति इस बात की अन्डर टेकिंग दे कि उस स्कीम के चालू होने के बाद आगे स्कीम को कार्यान्वित कर सकेगी, चला सकेगी, उसके लिए टैक्स लगा सकेगी और अगर जितना रुपया उसको चालू रखने के लिए चाहिए वह रुपया पंचायत प्रोवाइड कर सकेगी। लेकिन बहुत सी पंचायतों को एप्रोच किया, रेनवाल के सरपंच को खास तौर से बुलाया और जब पंचायत विभाग ने उनसे पूछा तो उन्होंने इन्कार कर दिया। जब यह पूछा गया कि दो साल सरकार चला सकेगी, उसके बाद उसको चलाने के लिए पंचायत तैयार है या नहीं, तो रेनवाल की पंचायत ने इन्कार कर दिया। तो अब स्कीम को चालू करने के लिए क्या किया जाय....

श्री पी० के० चौधरी : वहां के लोगों ने कन्ट्रीब्यूशन तो ५ प्रतिशत से ज्यादा दिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले वन-थर्ड का था वह दिया है, ५ परसेन्ट का तो अब हुआ है।

अब एक इन्ट्रेस्टिंग सब्जेक्ट फेमिली प्लानिंग का है इस पर काफी माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। चेयरमैन महोदय, सरकार इस बारे में काफी जागरूक है और

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

यह समस्या केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिए एक बड़ी समस्या है। इसको हल करने के लिये भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने कई प्रयास किये हैं। इसमें दो दिक्कतें हैं। एक दिक्कत तो यह है कि इसके लिये जितना स्टाफ़ चाहिये उतना स्टाफ़ नहीं मिलता खास तौर से फीमेल स्टाफ़ किसी तरह से नहीं मिलता। इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था के बारे में जब ट्रेनिंग की बात आयेगी तब निवेदन करूंगा। रूरल एरिया में स्टाफ़ नहीं है इसलिये ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते।

दूसरी, एज्युकेशन साइड है। इसका जितना प्रचार होना चाहिये उसके लिये हम तैयारी कर रहे हैं और अभी लेटेस्ट डिसिज़न यह लिया है कि एक इसके लिये वान रखें कि जो इसकी एज्युकेशन का प्रचार करेगा और इसमें खास तौर से ऑपरेशन्स होने चाहिये। राजस्थान में वह वान जायेगा और इन दोनों कामों के लिये वह वान प्रचार कर सकेगा।

इस सम्बन्ध में एक बात अर्ज करूं कि फेमिली प्लानिंग के बारे में जितने हिन्दुस्तान में ऑपरेशन्स हुए, राजस्थान का नम्बर ऊपर है। अजमेर में हमारा कैम्प हुआ। उसमें १०२ ऑपरेशन मेल्स के हुए वहां। अजमेर का रेकॉर्ड राजस्थान में सबसे बैस्ट है। ब्यावर में मैं पर्सनली गया और लोगों ने बड़ी दिलचस्पी बताई। ट्रेनिंग देने के लिये जयपुर में....

श्री पी० के० चौधरी : केबिनेट के मेम्बर्स ने भी इसमें एग्ज़ाम्पल रखा है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कम से कम मैं तो हूं।

एक माननीय सदस्य : और भी हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और भी हैं।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि जयपुर में ऑपरेशन का कैम्प यहां लगाया था और राजस्थान के जितने अच्छे सर्जन हैं उनको ट्रेनिंग दी थी। यहां ऑपरेशन्स हुए जयपुर में एक पार्टी सब जगह शहर में भेजी। उसने शहर में प्रचार किया, लोगों को कन्विन्स किया और उनको ऑपरेशन की बात इसकी आवश्यकता को समझाया।

फेमिली प्लानिंग के बारे में सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह है कि लोगों को खास कर के स्त्रियों को इसमें बड़ा संकोच होता है, कभी कभी इसका जिक्र होता है तो। एक बार की बात मुझे याद है। हमारे कृषि मंत्री मीटिंग एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चे पैदा नहीं होने चाहिये तो इस बात के कहते ही जितनी औरतें बैठी थीं वे उठ कर चली गईं और जब उन्होंने दूसरी तरफ़ बैठे औरतों के समूह की ओर ध्यान देकर यह बात कही तो उधर की ओर बैठी हुई औरतें भी उठ कर चली गईं....

श्री सभापति : भाषण फिर भी जारी रहा।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : यह स्कीम आपकी बनाई हुई है इसलिये औरतें इसे पसंद नहीं करतीं। अगर उनकी बनाई होती तो जरूर पसंद करतीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो यह एज्युकेशन की बात है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है, उनमें इस चीज़ का प्रचार करके उन्हें कन्विन्स करने की ज़रूरत है। इससे हमारे मुल्क की तरक्की को, विकास को कितना नुकसान हो रहा है, इस तरह तो हम अपने मुल्क का विकास नहीं कर सकेंगे। इसलिये इसके प्रचार की आवश्यकता है। इस ओर सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है।

फेमिली प्लानिंग के बारे में कानून की बात कही, अभी भारत सरकार ने फेमिली प्लानिंग बोर्ड बैठा रखा है। अखबारों में इस बोर्ड की रिकमन्डेशन्स आई हैं। एक यह भी रिकमन्डेशन थी कि ऐसा कानून बनाना चाहिये कि एक आदमी के तीन-चार बच्चे हो जांय तो फोर्सिब्ली उस आदमी का ऑपरेशन कर देना चाहिये। और भी इस तरह के प्रोपोज़ल्स थे; लेकिन मैं समझता हूं अभी कानून बनाना बहुत आसान है, कानून बना सकते हैं पर कानून बनाने से पहले पब्लिक एज्युकेशन का प्रोग्राम होना चाहिये और जो कानून हम बनाना चाहते हैं उसकी इम्पोर्टेन्स सभी को मालूम होनी चाहिये। यह जब तक नहीं हो जाता तब तक कानून बनाने का असर उल्टा होता है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं एक बार मौसर बन्द करने की व्यवस्था की थी तो उस समय बहुत से लोग रिश्वत देकर भी मौसर करते थे पर अब आम तौर से प्रचार हुआ है कि मौसर नहीं होने चाहिये तो अब लोग मौसर नहीं करते। अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं कि मरे हुए के पीछे खाना नहीं चाहिये।

तो जब तक लोगों को इस प्रकार की बात प्रचार के जरिये समझाई नहीं जाय, उन्हें कन्विन्स नहीं किया जाय, एज्युकेशन नहीं दी जाय तब तक कानून बनाना उचित नहीं होगा। अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है कि इस प्रकार का कानून बनाना चाहिये या नहीं। यह मेरी खुद की राय है कि अभी कानून बनाने के लिये उपयुक्त समय नहीं है।

तो इस सम्बन्ध में ट्रेनिंग के बारे में बातें कह दूं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने नर्सेज़ की ट्रेनिंग के बारे में काफी प्रकाश डाला। मैं अर्ज करूं कि हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई राजस्थान में मैडिकल एन्ड हैल्थ के बारे में यह है कि स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं, नर्सेज अवेलेबल नहीं, और दाइयां नहीं। डॉक्टर्स के बारे में हमने प्रयास किये। बंगाल तक से डॉक्टर्स को लाने का प्रयास किया। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हमने राजस्थान में ट्रेनिंग के लिये ६ सेंटर्स खोल रखे हैं, जहां हैल्थ विजिटर, नर्सेज और मिड्वाइफ की ट्रेनिंग दी जाय पर पढ़ी-लिखी लड़कियां इस ट्रेनिंग के लिये नहीं मिलती हैं। पहले इसके लिये क्वालिफिकेशन रखी थी मैट्रिक पास की, वह हटा कर मिडल की क्वालिफिकेशन रखी पर जितनी लड़कियां हमें चाहिये उतनी ट्रेनिंग के लिये नहीं मिल रही हैं। इसका एक कारण यह भी है कि पढ़ी लिखी लड़कियां जितनी चाहिये उतनी नहीं मिलतीं और मिड्वाइफ, नर्सेज़ ऐसे महकमें में आना पसंद नहीं करती हैं।

श्री भैरोंसिंह : इनका पे स्केल इनएडीक्वेट है, यह भी न आने का एक कारण है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कारण नहीं। मैट्रिक पास को बिना ट्रेनिंग के जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी हम देते हैं। फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, ५०) रु० स्टाइफण्ड दिया जाता है। ट्रेनिंग पीरयड में और ट्रेनिंग करने के बाद जो एक मेट्रिक्युलेट को, अन्ट्रेन्ड मैट्रिक्युलेट को पे मिलती है उतनी हम मिडिल पास को देते हैं। तो कमी इस बात की है कि ट्रेनिंग सेन्टर में क्वालिफाइड लड़कियां नहीं मिलतीं। हमने आखिर सोचा कि इसके लिये क्या व्यवस्था करें, पहले मैट्रिक पास लेते थे, हमने मिडिल पास लड़कियों को इसके लिये लेना स्वीकार कर लिया। हमने तीन साल का कोर्स रखा जिससे मिडिल पास वालों को भी सुविधा हो जाए। तो इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक ट्रेनिंग के लिये फीमेल स्टाफ का संबन्ध है हमारे सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिये आप कोशिश करें कि लड़कियें ट्रेनिंग के लिये आवें। हम यह चाहते हैं कि ऐसे सेन्टर रूरल एरिया में हों। हम लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं, वे लड़कियें भी शहरों से ही आती हैं और वे गांव में जाने से इन्कार करती हैं और अगर मजबूरी से उनको भेज देते हैं तो वे नौकरी छोड़ कर चली जाती है और दूसरी जगह नौकरी कर लेती हैं। यही बात लेडी डॉक्टर्स की है, वे भी बाहर जाना नहीं चाहती हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग पंचायत समितीज़ और ब्लॉक्स में काम करने वाले हैं वे लड़कियों को तैयार करके भिजवा दें तो हम उनको फ्री ट्रेनिंग देने के लिये तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह से इस समस्या का समाधान हो सकता है वर्ना मैंने इस समस्या को हल करने का बहुत विचार किया मगर कोई नतीजा नहीं निकला। एड के लिये जब हम कहते हैं तो वे यही कहते हैं कि एड तभी देंगे जब पूरी संख्या में ट्रेनिंग लेनेवाले हमारे पास हों। वे कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा फण्ड देने के लिये तैयार हैं, मगर जब लड़कियें न मिले तो हमारी मजबूरी है। मैंने अभी डाइरेक्टर से कहा कि हम सर्क्यूलर इश्यू करें कि जितनी लड़कियें ट्रेनिंग के लिये चाहिये आप दें हम उनको फ्री एज्युकेशन देना चाहते हैं और उनको आपके यहीं पर पोस्टिंग कर देंगे। मगर ऐसी औरतें भेजी जावें जो शादी करके दूसरी जगह न चली जावें अन्यथा वही दिक्कत पेश होगी। मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि वे हमारी इस समस्या को हल करने में सहायता करेंगे।

अब एक बात है कि कुछ प्रिवेन्टिव मेज़र्स के बारे में कहा गया, बीमारी को पहले से रोकने के बारे में। मैं इसके बारे में आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहां मलेरिया का प्रोग्राम सारी जगह मौजूद है। जयपुर में नहीं है, जयपुर में यह हमने म्यूनिसिपैलिटी को दे रखा है और जब हमने यह देखा कि म्यूनिसिपैलिटी ने ठीक तरह से इसको नहीं किया है तो सरकार ने इसको वापिस चालू करने के लिये म्यूनिसिपैलिटी से ले लिया है और मलेरिया के युनिट हमारे यहां काम कर रहे हैं। जालोर में मैं गया। वहां बहुत कार्य हुआ और जो लोग मलेरिया से पहले बीमार रहते थे उनमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और लोगों को काफ़ी संतोष है।

इसके अलावा मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये अर्ज करूं कि स्मॉल पोक्स के टीके लगाने का काम

Page No.116

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करते हैं। अब हम राजस्थान में १ अप्रेल से यह कार्य चालू कर रहे हैं और इसके लिये हमने सबसे पहले जयपुर डिस्ट्रिक्ट को चुना है। स्माल पोक्स रेड प्रोग्राम लागू करने की स्कीम है और हम समझते हैं कि इसके बाद जो स्माल पोक्स की शिकायत हमारे पास आती है वह नहीं आवेगी।

अब एक बात प्रसार और प्रचार के बारे में कही गई। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारा मलेरिया रोकने का प्रोग्राम, बी.सी.जी. का प्रोग्राम, स्माल पोक्स के बारे में भी हम करते हैं और यह बात माननीय सदस्यों को मैंने बता दी है कि हमने इसके लिये....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : पांच मिनट रहे हैं, जल्दी समाप्त करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : डिमान्ड भी पुट करनी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रसार के बारे में हमने एक कमेटी एपॉइन्ट की है कि हम किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य को कायम रख सकते हैं। इसके लिये एक कमेटी एपॉइन्ट कर रखी है कि सरकार को इस बारे में क्या करना चाहिये और क्या क्या एक्शन लेने चाहिये।

अब खाद्यान्न में मिलावट की बात बाकी रह जाती है और मेटर्निटी सेन्टर्स के बारे में भी। अब हमारा तीसरा प्रोग्राम है। हमने ६ मेटर्निटी सेन्टर्स के साथ साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना में और भी, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स के अलावा, रखने की व्यवस्था की है।

खाद्यान्नों में मिलावट के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमने इस संबन्ध में एक स्कीम लागू की है और उसको हमारी लोकल बॉडीज़ को दिया है और हमारे ऑफिसर उसके लिये देखभाल करते हैं। खाद्यान्नों के बारे में शिकायत जरूर है और हम भी इसके बारे में सोचते हैं कि जब तक एक आदमी को अच्छा खाने और अच्छा पीने को नहीं मिलेगा तो उसकी तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं रह सकती। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से और लोकल बॉडीज़ से निवेदन करूंगा कि इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और मैं समझता हूं कि तभी हम इसमें कामयाब हो सकते हैं।

माननीय चेअर मैन, माननीय सदस्यों ने जो बातें रखीं उनके बारे में मैंने अपने विचार रख दिये हैं और मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उनसे माननीय सदस्यों को संतोष हुआ होगा और मैं समझता हूं कि वे अपने कटमोशन वापिस ले लेंगे।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : लाइसेन्स के बारे में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो सारे हिन्दुस्तान में है और हमारे यहां पर भी है।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : लाइसेन्स लेने के तरीके आसान करा दीजिये।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री लक्ष्मण हीरात : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : Yes ...

श्री मूलचन्द डागा : I beg leave of the House to withdraw my cutmotion.

श्री सभापति : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my cutmotion.

श्री मोतीलाल : I may be permitted to withdraw my cutmotion.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री चन्दनमल वैद।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री भीमसेन : I may be permitted to withdraw.

श्री सभापति : और कोई माननीय अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहें तो ले सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाही है उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

(उपरोक्त सभी माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्ताव वापिस लिये)

श्री सभापति : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : विचारार्थ प्रस्तुत है।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि उपरोक्त सदस्य (श्री जगदीशप्रसाद माथुर) ने सदन के सामने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये, क्या वे स्वीकार किये जावें।

(श्री सभापति)

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

एक माननीय सदस्य : What about others......

श्री सभापति : I don't want to put them before the House now. If the demand is passed by the House all the cut motions shall be deemed to have been negatived.

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३६-जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २ करोड़, ६६ लाख, ३६ हजार रुपयों तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही २१ मार्च, १९६० को सायं ५ बजे, मंगलवार, दिनांक २२ मार्च, १९६० के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, २१ मार्च, १९६०)

स्कम्भ

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक। ३९००

बुसी के जागीरदार द्वारा मुआवजे उठाने हेतु प्रस्तुत गलत स्टेटमेंट।

श्री बनेसिंह धाभाई, डाईरेक्टर कोलोनाइजेशन, हनुमानगढ़ के विरुद्ध हुई शिकायतों में जांच।

बारानी भूमि पर कुंआ बनवाने पर लगान बढ़ाया जाना।

लूणकरणसर से कालू तथा कालू से सरदारशहर तक सड़क।

तहसील छीपा बड़ोद में स्कूल भवनों का निर्माण।

भीलवाड़ा में डाली गई बिजली की लाइन।

जोधपुर डिविजन में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता।

जयपुर जिले में नम्बरदारों को दी जाने वाली छूट।

मंत्रीगणों के दौरा करने के नियम।

ढाणी शालिग्रामपुरा, तहसील

लालसोट में आगजनी से ग्रसित लोगों को सहायता।

अजमेर में सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण।

बसवा से राजपुर बड़ा तक सड़क।

पाली जिले में हरिजन व पिछड़ी जाति की बस्तियां।

चम्बल योजना के अन्तर्गत सिविल डिविजन।

बारां तहसील के चपरासी श्री चन्दालाल शर्मा की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच।

१० वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के अध्यापकों को ट्रेन्ड अध्यापकों की ग्रेड दिये जाने सम्बन्धी नियम।

तहसील नोहर के ग्राम भूगान में कुंए निर्माण हेतु प्रदत्त धनराशि।

रिटायर्ड एस. डी. ओज. की पुनर्नियुक्ति।

सीकर जिले में पंचायत समितियों को दिये जाने वाले अध्यापक।

Page No.120

स्कम्भ स्कम्भ

बीकानेर जिले में 'एसचीट, रेगुलेशन एक्ट' के अन्तर्गत मामले।

नाथद्वारा प्रकरण में नियुक्त आयोग के परिणामों पर कार्यवाही।

झुंझुनू तहसील के जागीरदारों की बकाया रकम का चुकारा।

सेटलमेन्ट विभाग में सरप्लस इन्सपेक्टर्स।

ग्राम ढाणीबड़ी, तहसील रामगढ़ की पड़तल भूमि में काश्त।

ब्यावर तहसील में बिल्डिंग स्टोन, पट्टी, कातला एवं चूने के पत्थर पर रॉयल्टी।

भूमि अवाप्तिकरण की प्रक्रिया।

रतनगढ़–फतहपुर सड़क का निर्माण।

स्थगन प्रस्ताव ३९६५

जगमालसिंह व विजयसिंह डाकुओं के भय के कारण बरसलपुर, भीकमपुर व युगाल के इलाके में उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा ने दी थी उसे प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

उक्त विषय पर गृह मंत्री, श्री रामकिशोर व्यास द्वारा एक वक्तव्य भी दिया गया।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र ३९७०

सचिव, विधान सभा ने सदन की मेज पर गत सत्र में पारित उन दो विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी, रखा। ये विधेयक इस प्रकार हैं :–

१. राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९।

(The Rajasthan Gramdan Bill, 1959)

२. राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८।

[The Rajasthan Tenancy (Sixth Amendment) Bill, 1958]

विधायी कार्य—पुरः स्थापित किया गया विधेयक ३९७८

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान कृषि-भूमि उपभोग (संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरः स्थापित किया।

आयव्ययक, १९६०-६१ द्वितीय अवस्था)

अनुदानों की मांग पर मतदान

मांग संख्या २७—मुख्य शीर्षक ५४ खा-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते ३९७१

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार किया गया तथा ५ और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री के उत्तर के पश्चात् इस मांग पर प्रस्तुत कुल ७ कटौती प्रस्तावों में से ४ कटौती प्रस्ताव वापिस लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३१-जन-स्वास्थ्य ४००४

उपरोक्त मांग श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर २९ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। स्वास्थ्य मन्त्री के उत्तर के पश्चात् १७ कटौती प्रस्ताव वापिस लिए गये तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

सदन की बैठक ठीक ५.०० बजे मंगलवार, दिनांक २२ मार्च, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

कार्य-विवरण दिनांक २२ मार्च, १९६० की कार्य-सूची

मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३४ का उत्तर देखिये)

जोधपुर डिविजन में सन् १९५८-५९ में समाज कल्याण विभाग की ओर से जिन जिन संस्थाओं को आर्थिक सहायता के रूप में जो धनराशि दी गई उसकी सूची

क्रमांक	संस्था का नाम	वर्ष	रकम : रुपयों में
१.	हरिजन किसान छात्रावास, डीडवाना	१.४.५९ से ३१.१२.५९ तक	५,६४१.३७
२.	आदिवासी छात्रावास, पिंडवाड़ा, जिला सिरोही	मार्च, १९५९ से नवम्बर, १९५९ तक	२,६६३.८६
३.	आदिवासी छात्रावास, नाना ,जिला पाली	मार्च से नवम्बर तक	१,६४९.६८

स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जानेवाले पिछड़े वर्ग के लिये छात्रावासों को मान्यता व सहायता प्रदान करने सम्बन्धी नियम की प्रतिलिपि संलग्न है। स्वयं सेवी संस्थाओं के नियम अभी तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये हैं। ये नियम उपरोक्त प्रकार के छात्रावासों से सम्बन्धित न होकर अन्य प्रवृत्तियों के लिए हैं।

परिशिष्ट

कार्यालय, संचालक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा चलाये जानेवाले पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावासों को मान्यता व सहायता प्रदान करने सम्बन्धी नियम :

१. पिछड़े वर्ग छात्रावास को मान्यता तथा सहायता के लिये आर्थिक वर्ष जिसमें छात्रावास को सहायता मिलनी है के आरम्भ होने अर्थात् एक अप्रेल के कम से कम सात महीने पहिले समाज कल्याण विभाग के संचालक को प्रार्थनापत्र देना चाहिये । यदि संचालक सन्तुष्ट हो जाय कि प्रार्थनापत्र देने में विलम्ब किन्हीं विशेष कारणों से जो प्रार्थी के वश के बाहर है हुई है तो संचालक द्वारा इस शर्त में रियायत की जा सकती है ।

२. मान्यता के लिये प्रार्थनापत्र संलग्न फॉर्म परिशिष्ट 'क' में प्रस्तुत करने चाहिये इस प्रकार के प्रार्थनापत्रों पर संचालक, समाज कल्याण विभाग निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे :—

क. क्या उस जिले या समीपवर्ती जिले में कोई पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावास है या नहीं । और यदि है तो क्या उसमें स्थान की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उस स्थान पर नवीन छात्रावास खोलने की आवश्यकता है ।

ख. क्या प्रबन्धकों ने नियम संख्या ३ में उल्लिखित सुविधाओं के स्वीकृत स्तर की व्यवस्था करली है ।

ग. क्या छात्रावास के साधन इसके आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं ।

घ. क्या विभाग में वर्ग छात्रावास के लिये उस वर्ग की सहायता की निधि में इतनी रकम है कि वह अतिरिक्त व्यय भार को पूरा कर सकती है ।

३. सरकार का छात्रावास की मान्यता व सहायता के लिये प्रार्थनापत्र देने के पूर्व प्रबन्धकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का स्वीकृत स्तर निम्न है :—

क. जहां छात्रावास स्थित है वह स्थान स्वच्छ अवस्था में होना चाहिये और निरीक्षक अधिकारी (सम्बन्धित पिछड़ी जाति कल्याण अधिकारी) ने इसे एतदर्थ पास कर लिया है ।

ख. छात्रावास में रहनेवाले छात्रों के लिये उसमें खाने, पीने व सोने का स्थान पर्याप्त होना आवश्यक है ।

ग. सहायता आकांक्षी छात्रावास के छात्रों को निःशुल्क स्वास्थ्यकर तथा पर्याप्त भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए ।

घ. साहित्यिक व सामाजिक प्रवृत्तियों तथा अन्दर व बाहर खेले जाने वाले खेलों का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिये।

ङ. सामान्यत: घरेलू आवश्यकता की साधारण औषधियों का संग्रह होना चाहिये और बीमारी की हालत में छात्रों की चिकित्सा का उचित प्रबन्ध रहना आवश्यक है।

च. वे छात्र सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा मान्य संस्थाओं अथवा स्कूलों में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक संगठित शिक्षा पाठ्यक्रम के अध्ययन की व्यवस्था है।

४. किसी पिछड़े वर्ग छात्रावास, जिसको नियमानुसार मान्यता दी जाने वाली है, में कम से कम २० छात्रों का होना आवश्यक है।

५. मान्यता होने के पश्चात् छात्रावासों को सहायता की रकम निम्न प्रकार से प्रदान की जावेगी :—

क. यदि निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि स्वीकृत स्तर की सुविधाओं में कोई कमी है तो संचालक, समाज कल्याण विभाग उसके स्तर के अनुसार उस वर्ष की सहायता में एक मुश्त कटौती की जा सकेगी। समय समय पर जारी की गई हिदायतों का पालन नहीं करने की अवस्था में संचालक को अधिकारी होगा कि वे सहायता की रकम का चुकारा रोक दें अथवा एक मुश्त कटौती की आज्ञा दे दें।

ख. छात्रावास के प्रबन्धकों को प्रदान की जाने वाली सहायता छात्रावास के छात्रों की औसत उपस्थिति के अनुसार दी जावेगी न कि छात्रावास की पंजिका की औसत संख्या के अनुसार। परन्तु छात्रावास को सहायता दी जाने के लिये छात्रों की निर्धारित अधिकतम संख्या का ध्यान रखा जावेगा।

ग. मान्य छात्रावासों की औसत उपस्थिति पर १५ रु० प्रति मास की सहायता प्रदान की जावेगी। आगे वाली धाराओं में वर्णित शर्तों के साथ और कोष में रकम होने की अवस्था में छात्राओं के छात्रावासों में १ रुपया प्रति माह प्रति छात्रा औसत उपस्थिति पर अतिरिक्त दिया जा सकेगा।

घ. सहायता की रकम निश्चित करने में ३१ जुलाई के बाद प्रवेश पाने वाले छात्रों की हाजरी नहीं गिनी जावेगी, जब तक कि वे संचालक, समाज कल्याण विभाग की पूर्वानुमति से प्रविष्ट न किये गये हों। औसत हाजरी निकालते समय

प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की उपस्थिति नहीं गिनी जावेगी।

नोट :—यह उप नियम उन छात्राओं के लिये जो राज्य से सहायित पिछड़े वर्ग छात्रावासों में रहती हैं, नहीं लागू होता है ।

ङ. ऐसे छात्रों को जिनकी प्रगति असन्तोषजनक पाई जावेगी, सहायता नहीं दी जावेगी अर्थात् जो उच्च कक्षा में पहुँचने में उत्तीर्ण होने में असफल रहे हैं, सिवाय ऐसे छात्रों को, जिनकी कक्षा के लिये सफलता प्राप्त करने के प्रथम प्रयास में असफलता मिली हो और बशर्ते कि संस्था के अध्यक्ष तथा संचालक, समाज कल्याण विभाग इस बात से सन्तुष्ट हों कि असफलता ऐसी परिस्थिति के कारण हुई जो छात्र के वश के बाहर थी। प्रत्येक अवस्था में संस्था के अध्यक्ष को यह प्रमाणित करना होगा कि छात्र द्वारा अध्ययन के लिये किये गये परिश्रम में न्यूनता के कारण परीक्षोत्तीर्ण होने में असफलता नहीं हुई ।

च. ऐसे छात्र को सहायता नहीं दी जावेगी जिसको एक या अधिक छात्रवृत्तियां मिलती हैं जिसकी मासिक रकम पाठशाला शुल्क, यदि कोई हो, वह देने के बाद प्रति माह निर्धारित प्रति व्यक्ति दी जाने वाली सहायता के बराबर या अधिक हो। यदि छात्रावास के छात्र की कुल मासिक रकम उक्त प्रकार की कटौती के पश्चात् निर्धारित प्रति माह प्रति व्यक्ति सहायता से कम है तो ऐसे छात्रों को अनुपातिक सहायता दी जावेगी ताकि छात्रवृत्ति की कम रकम तथा निर्धारित प्रति व्यक्ति दी जाने वाली सहायता का अन्तर पूरा हो जाता हो।

छ. अध्ययन वर्ष आरम्भ होने के दो महीने पश्चात् छात्रावास में प्रविष्ठ होने वाले छात्रों को कोई सहायता नहीं दी जावेगी। इसी प्रकार अध्ययन वर्ष की समाप्ति के दो माह पूर्व छात्रावास छोड़ देने वाले छात्रों को भी नहीं दी जावेगी। बशर्ते कि इस उप नियम में विशेष परिस्थिति में शिथिलता बर्ती जा सकेगी, जब संचालक, समाज कल्याण विभाग संतुष्ट हो जावे कि इसमें कोई विशिष्ट कारण है। एक या अधिक छात्रों के बारे में लागू नहीं हो सकते हैं।

ज. जिन छात्रों के माता पिता की वार्षिक आय १,२०० रु० या इससे अधिक होगी उनको सहायता नहीं दी जावेगी।

झ. **उन छात्रों को सहायता नहीं दी जावेगी।**

(१) जिनके माता पिता या संरक्षक उसी कस्बे या गांव में रहते हों जिसमें छात्रावास स्थित है।

(२) जो बाहर के कस्बे या गांवों से आकर छात्रावास में प्रविष्ट हुए हों किन्तु

प्राथमिक व माध्यमिक पाठशालाओं में चतुर्थ कक्षा तक में पढ़ते हों बशर्ते कि विशेष अवस्था में इस नियम में शिथिलता बर्ती जा सकेगी, जहां संचालक समाजक, ल्याण विभाग सन्तुष्ट हो जावे कि ऐसा करने के लिये विशिष्ट कारण हैं।

(३) प्रत्येक छात्रावास जिनको इन नियमों के अन्तर्गत ५०० रु० या अधिक की पहले वर्ष सहायता मिली है उसे रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से अपना हिसाब जांच कराना होगा और नियम १२ के अन्तर्गत की अन्तिम किश्त उस समय तक नहीं दी जावेगी जब तक आय व्यय निरीक्षक के हस्ताक्षरों सहित जांच वक्तव्य के साथ पहले वर्ष का हिसाब का वक्तव्य संचालक, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त नहीं कर लिया जाता।

(६) पिछड़े वर्ग छात्रावास समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के लिये खुले होंगे व विवरण तथा सूचना जैसी समय समय पर आवश्यक हो, भेजनी होगी।

(७) छात्रावासों को शर्त के साथ मान्य किया जावेगा कि बिना किसी जाति, धर्म के भेदभाव के वे पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के सब छात्रों को जो प्रवेश पाने के इच्छुक हों, के लिये कोई रोट-टोक न हो।

(८) साधारणतः वर्ष की सहायता उस वर्ष की सहायता होगी और उस वर्ष की छात्रावास की औसत उपस्थिति पर गिनी जावेगी। जहां तक सम्भव होगा सहायता औसत उपस्थिति के आधार पर प्रति माह दी जावेगी।

(९) पहली बार और बाद में समय समय पर सहायता की रकम देने के पहले सहायता के लिये रकम का अंकन करते समय संचालक, समाज कल्याण विभाग यह विचार करेंगे कि :—

क. नियम ३ या ४ में उल्लिखित शर्तें पूरी हुई या नहीं।

ख. आय-व्यय के हिसाब रखने की व्यवस्था सन्तोषजनक है।

ग. रजिस्टर जैसे छात्रों का जनरल रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर और अन्य रेकॉर्ड सन्तोषपूर्ण ढंग से रखे जाते हैं।

घ. निरीक्षक, कर्मचारी पर्याप्त और सुयोग्य हैं।

ङ. छात्रों का व्यवहार व अनुशासन विशेषतः ढंग, स्कूल में नियमित उपस्थिति उनकी प्रगति तथा परीक्षा का परिणाम सन्तोषपूर्ण है।

(१०) छात्रावास की मान्यता इन नियमों के अन्तर्गत वापिस ले ली या रोक दी जावेगी यदि छात्रावासों के कर्मचारी या छात्र राजनैतिक वा साम्प्रदायिक आन्दोलन जो

सीधे या परोक्ष में सरकार के विरुद्ध अप्रियता उत्पन्न करता हो या नाराजगी पैदा करता हो या विभिन्न वर्गों में घृणा या शत्रुता की भावना फैलाता हो और सार्वजनिक शान्ति को भंग करता हो। बशर्तें कि इस प्रकार मान्यता की वापिसी या सहायता के रोक देने के पहले प्रबन्धकों को अवसर दिया जावेगा कि क्यों न उनके प्रति ऐसे कार्य के लिये कार्यवाही की जावेगी।

(११) जिस वर्ष छात्रों की संख्या में वृद्धि के अनुसार सहायता में वृद्धि चाही जाय उसके लिये छात्रों की संख्या में वृद्धि की निर्धारित संख्या उस वर्ष १ सितम्बर तक भेजनी होगी।

साधारणतः छात्रावास में छात्रों की संख्या २५ से अधिक नहीं होगी जब तक कि उक्त प्रकार से संचालक की पूर्व अनुमति नहीं प्राप्त कर ली गई हो।

(१२) अध्ययन वर्ष के अन्तिम बार माह में छात्रावास को दी जाने वाली सहायता की रकम साधारणतः मई माह में जब कि छात्रावास का निरीक्षण हो चुका हो, दी जावेगी किन्तु आवश्यक परिस्थिति में और सम्बन्धित छात्रावास की अधिष्ठात्री स्वयं सेवी संस्था के क्षेत्रीय समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा संचालक, समाज कल्याण विभाग को प्रार्थना-पत्र देने पर पिछड़े वर्ग छात्रावास को अग्रिम सहायता तीन किश्तों में प्रति माह के अन्त में निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत की जा सकेगी :—

क. कि प्रत्येक किश्त मासिक सहायता की आधी हो और उस वर्ष (सैशन) में अन्तिम भुगतान के समय संवार ली जावे।

ख. कि अभिरक्षा के लिये प्रबन्धकों को एक संविदा पर अग्रिम रकम को चुकाने के लिए हस्ताक्षर करने होंगे क्योंकि छात्रावास अध्ययन वर्ष के पूर्ण बन्द हो जाय या किन्हीं कारणों से सहायता प्राप्ति के लिये योग्य नहीं रहने की सम्भावना हो सकती है।

(१३) यदि किसी सरकारी कॉलेज के प्रिन्सिपल, स्कूल के प्रधानाध्यापक या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज या स्कूल ऐसे छात्रावास खोलने चाहते हों तो प्रति माह २० रु० का विशेष भत्ता उस व्यक्ति को दिया जावेगा जो उस छात्रावास की देखभाल करेगा और जिसकी प्रिन्सिपल या प्रधानाध्यापक सिफारिश करेंगे।

(१४) ऐसे पिछड़े वर्ग छात्रावासों को मान्यता, जिनके बारे में सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं होने की रिपोर्ट मिले और जिन्होंने पूर्व कथित नियमों की उपेक्षा की हो, संचालक, समाज कल्याण विभाग, छात्रावास के प्रबन्धकों को चेतावनी देकर, वापिस ले लेंगे। मान्यता को वापिस लेने के पश्चात् छात्रावास सरकार से सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४० का उत्तर देखिये)

पाली जिले में गत वर्ष स्वीकृत हुई नई एवं अतिरिक्त मकान सहायता की सूची

मकान जहां बन रहे हैं	मकान सहायता की स्वीकृत जो हुई है — अतिरिक्त मकान सहायता	मकान सहायता की स्वीकृत जो हुई है — नई मकान सहायता	तारीख स्वीकृति	कितने परिवारों को रकम स्वीकृत हुई है	किस जाति के परिवारों के लिए	मकान जो बने हैं	मकान जो बन रहे हैं	विशेष
१	२	३	४	५	६	७	८	९
सोजत	३९६,०० रु०		१.२.५८	९९	गाड़िया लुहार	२२	३३	४४ मकान बनने शुरू नहीं हुए हैं
सेवाड़ी	३,९०० रु० १०० रु०		२४.१.५९ २५.२.५९	४९	सरगरा, जटिया भांभी, मेघवाल	४०	९	
कुंडाल	२,००० रु०		२४.१.५९	१०	ग्रासिया	—	१०	
नयागांव	९,६०० रु०		२४.१.५९	४८	बावरी, सांसी	४८	—	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९
कालना	१,३०० रु०	—	२४.१.५६	१३	मांझी	१३	—	
बेड़ा	७,२०० रु०	—	२४.१.५६	३६	मेणा	३६	—	
नयागांव	—	१,१०० रु०	१०.३.५६	२	बावरी, सांसी	२	—	
बेड़ा	—	७,७०० रु०	३.३.५६	१४	मेणा	१४	—	
कालना	—	६०० रु०	२५.२.५६	२	मांझी	२	—	

————

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४७ का उत्तर देखिये)

नं० शु	लावारिस मृतक व्यक्ति का नाम	चल	अचल
१.	कालू चमार। सिंघगुरू	—	५०)
२.	धूमसिंह, कक्कू	—	४०)
३.	लालूदान चारण	—	८०)
४.	जुहारसिंह, जांगलू	—	१२५)
५.	रेवन्त सिंह, नासी	—	६०)
६.	पेमा, राजासर	—	३५)
७.	प्रेमदास साधु, बीकानेर	५००)	२,०००)
८.	गंगा ब्राह्मण	—	८०)
९.	मूली, घरनोक	—	६०)
१०.	बैका महाराज-शिवबाड़ी	—	२ ०००)
११.	कुंभा जाट, बीकानेर	—	३,०००)
१२.	गोविन्दपुरी, सिंघगुरू	—	११५)
१३.	जेता चमार, सीलवा	—	७५)
१४.	रामबख्स, मैनसर	—	३३)
१५.	गुली, पिथरासर	—	४५)
१६.	रामदेई, बीकानेर	—	२,०००)
१७.	हरीहरगिर, कोलायत	—	२,०००)
१८.	हरीहरगिर, बीकानेर	—	६०,०००)
१९.	गुलाबी, सीथल	—	१२५)
२०.	रोडमल, जैसिंगदेसर	—	३३)
२१.	चांदा, पांचू	१२५)	८०)

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, २१ मार्च, १९६०)

स्तम्भसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
३९०२	शीर्ष	तारांकित	तारांकित
३९०३	२	क एक	है कि एक
३९०४	१३	०) गोरधनपुरा	(४) गोरधनपुरा
३९१९	२२व३२	ivisional	Divisional
३९२७	१७	समय ग्रीर	समय और
,,	२१	फोर्येलिटीज़	फोर्मेलिटीज़
३९३९	अन्तिमसे ५	क्या करेंगे	कृपा करेंगे
३९४२	२	मुभाव है	सुझाव है
३९४३	१	नं० २	—
,,	४	श्री जगीशचन्द्र	श्री जगदीशचन्द्र
३९४४	१०	है, नहीं	नहीं है,
३९६१	१२	श्री दामोदरलाल वास :	श्री दामोदरलाल व्यास
,,	२१	बड़ तक सड़क	बड़ा तक सड़क
३९६६	अन्तिम	दा ट्रक	दो ट्रक
३९६९	अन्तिम से२	क आप जो	कि आप जो
३९७०	८	पर गये वाले पत्र	पर रखे गये पत्र
,,	१९	विधे,यक १९६०	विधेयक, १९६०
३९७७	९	दृष्टिकोण से	के दृष्टिकोण से
३९८२	४	की बढ़ीतरी	की बढ़ोतरी
३९९५	२८	यह करमेशन	यह कन्सेशन
,,	अन्तिम से ३	प्रापर्टी से	प्रोपर्टी से
३९९९	१	वगैरर का	वगैरह का
४००६	शीर्ष	-२२ मार्च	—२१ मार्च
,,	१	मुख्य शीर्षक	मुख्य शीर्षक
,,	५	शीर्पक	शीर्षक
,,	२६	जन पुस्वास्थ्य	जन-स्वास्थ्य
,,	२८	मिडवाइफ	मिडवाइव्ज़
३९९९	१	वगैरर का	वगैरह का
४००८	२१	जन १ स्वास्थ्य	जन-स्वास्थ्य
४०१०	शीर्ष	मांग संख्या २७	मांग संख्या १७
४०१५	,,	जन स्वाथ्य	जन-स्वास्थ्य
४०२९	,,	डाल्यूट	डाइल्यूट

१	२	३	४
४०४७	१६	पीने की पानी	पीन के पानी
४०५०	शीर्ष	(श्री आ स	(श्री अनूपसिंह)
४०५१	शीर्ष	आपन इस	आपने इस
,,	१७	हरए के	हर एक के
४०७०	शीर्ष	२१ नार्च	२१ मार्च
४०७१	१३	अकाउन्टेन्टड के	अकाउन्टेन्टस के
४०७२	शीर्ष	श्री जगदीसप्रसाद	श्री जगदीशप्रसाद
४०७८	शीर्ष	—	(श्री रामचन्द्र)
४०८६	१०	वांटर वर्कस	वाटर वर्क्स
४०६१	६	सर्कडलर	सक्युंलर
४०६४	२८	पीने के की पानी	पीने के पानी की
४०६६	२०	be vacuum	be no vacuum
४११०–११	शीर्ष	–१२ मार्च, ६०–	–२१ मार्च, ६०–
४११२	शीर्ष	(श्री तेजाराम गलोत)	(श्री तेजाराम गहलोत)
४११३	२७	patiets for	patients for
४११८	२५	सकेगे या नहीं	सकेंगे या नहीं
४१२५	१४	के नारे में	के बारे में
४१३३	शीर्ष	जन-स्वास्न्य	जन-स्वास्थ्य
४१४२	अन्तिम	प्रवृ यों के	प्रवृत्तियों के